Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम् सत्र, १९६५ का द्वितीय दिवस [संख्या २

मंगलवार, दिनांक २१ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. १०.१४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(यातायात, खनिज, न्याय, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, उद्योग, विद्युत्, समाज कल्याण, वक्फ, जन-स्वास्थ्य एवं सहकारी विभाग)

श्री अध्यक्षः प्रश्न, श्री विजयपाल कटारा ।

डूंगरपुर में बसों के मांग में भीड़

१. श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु.): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि डूंगरपुर जिले में चलने वाली बसों में सभी रूट्स पर हमेशा बहुत अधिक भीड़ रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी इस सम्बन्ध में कोई जानकारी की है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सच है कि गाड़ियों में इतनी भीड़ रहने पर भी काफी यात्रियों को रास्ते में छोड़ देना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और बस परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) जी हां, आर. टी. ए., उदयपुर ने स्कोप रिवीजन करने हेतु राज-पत्र में १-७-६५ को नोटिस जारी कर १ व २ सितम्बर, १९६५ को हुई बैठक में निम्नलिखित मार्गों पर स्कोप बढ़ाने का निर्णय लिया :—

	मौजूदा स्कोप	वृद्धि करने के पश्चात्
(१) डूंगरपुर-पीठ	३	५
(२) डूंगरपुर-बांसवाड़ा वाया सागवाड़ा	८	१२
(३) डूंगरपुर - गलियाकोट वाया ओजरी	३	४
(४) सागवाड़ा-पारसोला	१	२

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मार्गों का सर्वे कराया जाने के पश्चात् स्कोप बढ़ाये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

Page No 2

(श्री भीमसिंह)

(२) जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर (१) में वर्णित कार्यवाही के अतिरिक्त आर. टी. ए. ने तारीख ३१–५–६५ व १–६–६५ की बैठक में ७ परमिट निम्नलिखित मार्गों पर और दिये हैं :—

(१) सागवाड़ा-मांडली
(२) डूंगरपुर-विजयामाला
(३) आसपुर - निढ़ाऊवा
(४) सलूम्बर-गलियाकोट
(५) गलियाकोट-मांडली
(६) आसपुर-डूंगरपुर
(७) बांसवाड़ा-मांडली

श्री विजयपाल कटारा: डूंगरपुर से सरथूंणा के बारे में नहीं बताया....

श्री भीमसिंह: मैंने निवेदन किया : डूंगरपुर-बांसवाड़ा वाया सागवाड़ा, मौजूदा ८ हैं, वृद्धि १२ की हो रही है।

श्री विजयपाल कटारा : डूंगरपुर सरथूंणा का नहीं बताया, वहां दो गाडियां हैं, वे भी खराब हैं।

श्री भीमसिंह: आप जरा माइक से मुंह दूर रख कर फरमायें, साफ सुनाई नहीं देता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आप कह रहे हैं कि डूंगरपुर-सरथूंणा के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री भीमसिंह : यें स्पेसिफिकली उसके लिये क्वेश्चन करते तो मैं निवेदन करता। जनरल पूछा इसलिये निवदन किया कि जहां जहां स्कोप है वृद्धि करने के लिये वहां वृद्धि कर दी है। फिर भी इसक लिये फरमाते हैं तो इसके बारे में सर्वे करायी जायगी और स्कोप होगा तो वृद्धि की जायगी।

श्री विजयपाल कटारा : डूंगरपुर से सरथूंणा का क्यों नहीं बताया ?

श्री भीमसिंह : मौजूदा सर्वे से वहां आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री विजयपाल कटारा : आप आवश्यकता का फरमाते हैं, वहां दो गाडियां बडी खराब हालत में चल रही हैं, ९ तारीख को ८ यात्री घायल हो गये और एक मर गया। इस पर दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि आप फरमाते हैं तो सर्वे करा लेंगे।

श्री विजयपाल कटारा : सर्वे क्या, यह सबसे बड़ा रूट है, जनता की सुविधा की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकांश बसें ठीक हालत में नहीं हैं और मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि बहुत से बस मालिक जिनको परमिट दिये गये हैं, राजनीतिक कारणों से, पोलीटिकल कन्सीडरेशन से दिये हैं, उनको दें तो पर्याप्त रूप से व्यवस्था होनी चाहिये।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : कोई भी बस का परमिट किसी कन्सीडरेशन पर नहीं दिया जाता। आर. टी. ओ. क्वॉजी-जुडिशियल ऑथोरिटी होती है, वह देती है। दूसरी बात कही कि रूट पर खराब बसें चलती हैं तो इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स बने हुए हैं कि यह मोडल चलना चाहिये, मोडल के अलावा और गाड़ियां गलत तरीके से चलाई जाती हैं

(श्री मथुरादास माथुर)

तो उनके संबंध में शिकायत करनी चाहिये, सख्त कार्यवाही की जायगी।

डूंगरपुर में जहां जहां ज्यादा स्कोप है वहां के लिये बताया कि इतने नम्बर और बढ़ेंगे; जो जो पोटेन्शियल साबित नहीं हुए हैं पैसेन्जर्स की दृष्टि से उन रूट्स पर नम्बर नहीं बढ़ेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रूल्स की पूरी पाबन्दी नहीं होती, मेरा यह निवेदन है। बसेज उन रूट्स पर नियमानुसार नहीं चलतीं, जहां बसेज नहीं चलती हैं राजनैतिक कारणों से पैनल्टी आदि भी लगाने की व्यवस्था नहीं की जाती, ऐसे इन्सटान्सेज हैं पर मंत्री महोदय कह रहे हैं, तो कहने के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है, पर वास्तविक रूप में स्थिति यह है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : राजनैतिक कारणों के पीछे क्या है, आप बार बार कह रहे हैं · · ·

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कितनी बसेज के परमिट दिये गये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : एक भी नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : टोंक जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट को कितने परमिट दिये हैं, जो भी प्रेसीडेन्ट बना है उसको हर एक को परमिट दिये हैं। जो टोंक जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट बनते हैं उनको परमिट दिये जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप जब कांग्रेस में थे तो आपको भी मिला होगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आॅफर किया गया था लेकिन स्वीकार नहीं किया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चाहे परमिट हो, चाहे कोटा हो, चाहे लाइसेन्स हो, सब राजनैतिक आधार पर दिया जाता है, विरोधी पक्ष रात-दिन इस चीज को अनुभव करता है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उसको मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रीजनल ट्रांसपोर्ट आॅथोरिटी एक ऐसी जुडिशियल आॅथोरिटी है जहां नोटिस निकलते हैं, वकील खड़े होते हैं, उसकी अपील होती है, अपीलेट आॅथोरिटी अलग है। इतना होते हुए भी अगर कोई कांग्रेसमैन परमिट होल्डर हो तो कानून में कहीं नहीं है कि स्वतंत्र पार्टी वाला दर्ख्वास्त दे सकता है, कांग्रेसमैन नहीं। दरख्वास्तें मैरिट्स पर तय होती हैं। जिसके पास बस होती है उसको अधिकार है परिमिट लेने का। अगर किसी विशेष रूट पर कानून की अवहेलना हो रही है तो आप बताइए, मैं जानकारी करूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्र पार्टी का प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिक इन्सटान्सेज कलेक्टर को बताए जाते हैं तो उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता और फर्स्ट प्रिफरेन्स उन्हीं डिफॉल्टर्स को दी जाती है जिनको नहीं देना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं। शायद आपको ज्ञान नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के अन्दर जो गड़बड़ी चलती है उस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य चिट्ठियां लिखते हैं उसकी हम जांच करते हैं, उनको जवाब देते हैं। अगर डूंगरपुर से भी कोई माननीय सदस्य लिखें कि किसी रूट पर मोडल के अलावा गाड़ी है या और कोई गड़बड़ी है

(श्री मथुरादास माथुर)

तो मैं जांच कर सकता हूं। अगर चिट्ठी ही नहीं लिखेंगे तो क्या किया जा सकता है ?

श्री रामकिशन (वैर) : आपने जो जो प्रोसीजर बताया उसमें आपने यह नहीं बताया कि मंत्रियों के फोन जाते हैं, तब मामला तय होता है।

श्री मथुरादास माथुर : यह कतई सही नहीं है कि all lines are out of order.

ठेका श्रमिक खनिज पदार्थ सहकारी समिति का निर्माण

२. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की तहसील नैनवा, मानकचौक, सबलपुरा, सुवा डूंगरी व पीपल्या के आदिवासियों ने ठेका श्रमिक खनिज पदार्थ सहकारी समिति का निर्माण किया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या उक्त समिति ने उन्हीं गांवों में निकलने वाली खड्डी की खानें समिति को देने हेतु राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(३) उक्त सहकारी समिति को खड्डी की खानें दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, दिनांक १४-७-६४ को।

(२) जी हां, दिनांक ४-३-६५ को।

(३) जी नहीं, समिति ने अपने आवेदन-पत्र में केवल गांवों के नाम अंकित किये थे, किन्तु प्लान में कोई निश्चित सीमा नहीं बतलाई, जिसके कारण उस क्षेत्र का सीमांकन करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त इन गांवों में से कुछ गांवों के क्षेत्रों के लिए पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति को खनन पट्टे का नवीनीकरण किया जा चुका था। अतः समिति को इन कमियों को पूरी करने व पहले से ही दिये हुए क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र के लिए पृथक आवेदन-पत्र देने के लिए लिखा गया, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अतः उनका प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जिन आदमियों को आपने लीज दिया है उनसे पहले इस समिति ने प्रार्थना-पत्र दिया था तो आपने उनको नहीं दिया। इस संबंध में बूंदी जिले के आदिवासी संघ के अध्यक्ष आपसे मिले भी थे। तो आपने वहां के ही रहने वाले आदमियों को क्यों नहीं दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस एरिया के लिए समिति ने मांग की है उसमें दो गांव पहले से ही किसी और व्यक्ति के सन् १९६० से ही लीज पर हैं और उनका रिन्यूअल किया जा चुका है। सरकार के लिए रिन्यूअल करना ऑब्लीगेटरी है। इसलिए वे गांव रिन्यूअल में चले गए।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कितने वर्ष के लीज पर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पांच वर्ष।

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : रिन्यूअल कौनसी तारीख को हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १-४-६५ को।

नागौर की अदालत में मुकदमें।

३. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नागौर सिविल व फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में अभी कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ? इनमें से कितने मुकदमें सिविल के हैं व कितने फौजदारी हैं व कितने मिस्लेनियस मुकदमे हैं ?

(२) क्या सरकार इन मुकदमों की संख्या की दृष्टि में इस अदालत के अलावा एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत और खोलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सका है। इसे कल तक पोस्टपोन किया जाय, कल इसका डेफिनिटली जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

फियेट कार की बिक्री

४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भोम): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि फियेट कार की रिटेल कीमत बढ़ी हुई होने के कारण फियेट कार का बहुत जोरों से ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा आदेश निकालने का विचार रखती है कि पांच साल से पहले कोई अपनी फियेट कार नहीं बेच सकता ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) कोई कार-डीलर कार की कीमत जो तय है उससे ज्यादा नहीं ले सकता। यह कीमत केन्द्रीय मोटर कार डिस्ट्रीब्यूशन व सेल्स कन्ट्रोल ऑर्डर के अन्तर्गत तय होती है।

(२) केन्द्रीय सरकार के ३-३-६० के ऑर्डर के अन्तर्गत कोई भी खरीददार बिना इजाजत अपनी गाड़ी दो साल से पहले नहीं बेच सकता। राजस्थान सरकार जो अपने डिस्क्रीशनरी कोटा से गाड़ी अलॉट करती है उससे इकरारनामा लिया जाता है कि अलोटी पांच साल से पहले फियेट कार केवल राज्य सरकार को ही डेप्रिशियेटेड वैल्यू पर बेच सकता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या राज्य सरकार ने किसी को गाड़ी बेची है ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): नहीं। इस एग्रीमेन्ट फार्म को बने हुए करीब छः महीने हो गए होंगे, इसलिए बेचने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामकिशन (वैर) : कुछ गाड़ियां तो बिकी हुई होंगी ?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार का जो डिस्क्रीशनरी कोटा है उसके लिए हमने नियम बनाए हैं कि पांच साल से पहले बेचे तो राज्य सरकार को बेचे डिप्रीशियेटेड वैल्यू पर। अभी तक जो गाड़ियां अलॉट की गई हैं उसके अंदर अभी तक किसी ने बेचने की इजाजत नहीं मांगी है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : आपको मालूम है कि इस प्रकार गाड़ियों के बेनामी ट्रांजेक्शन्स कितने हुए होंगे ?

Page No 6

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास सूचना नहीं है। अगर आपके पास हो तो बताइए, मैं जांच कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या कार कन्ट्रोल के तहत राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकती है जिसने नियमों का उल्लंघन करके दो साल के अन्दर गाड़ी बेच दी हो ?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार नहीं ले सकती, लेकिन कन्ट्रोलर ले सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से कन्ट्रोलर को इस बात की सूचना नहीं दी जाती कि किस किस व्यक्ति ने दो साल से पहले गाड़ी बेची है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो दो साल से पहले बेचते हैं वे इजाजत से बेचते हैं, अगर कोई वजह हो। अगर दो साल के बाद बेचते हैं तो इजाजत लेना जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब है कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से कन्ट्रोलर को कोई सूचना नहीं दी गई, जिसका अर्थ यह निकलता है कि किसी व्यक्ति ने दो साल से पहले नियमों का उल्लंघन करके कोई गाड़ी नहीं बेची ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका मतलब यह है कि जब सूचना नहीं तो इसका मतलब यह कि कोई गाड़ी नहीं बिकी।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यहां की दी हुई गाड़ियां बम्बई में जाकर बिकी हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास में कोई सूचना नहीं है। आप दो बातों को कन्फ्यूज़ मत कीजिए। एक सरकार का कोटा है और एक जनरल कोटा है। जनरल कोटा के अन्दर आदमी क्यू के अन्दर खड़ा रहता है। सरकारी कोटा में कुछ एम० एल० एज०, एम० पीज०, सरकारी कर्मचारी, इत्यादि आते हैं, जिसको जरूरत समझते हैं उनको अलॉट करते हैं। बाकी लोगों के लिये दो साल हैं। दो साल से पहले कोई बेचना चाहे तो इजाजत लेकर बेचनी पड़ती है। अगर दो साल से पहले बेचता है और हमारे नोटिस में आता है तो कार्यवाही हो सकती है। इस समय तक कोई ऐसा केस पेन्डिंग नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्रश्न यह है कि जितनी भी गाड़ियां जनरल कोटा और ऑफिशियल कोटा में बिकी हैं उस पर यह विजिलेंस रखने के लिए कि उसने स्पेसिफाइड समय से पहले नहीं बेची हैं, आपकी तरफ से क्या प्रोसीजर है ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारी तरफ से विजिलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। जो बेचग वे हमारी इजाजत से बेचेंगे वर्ना सौदा नल और वॉइड होगा।

श्री भैरोंसिंह : बेचने की इजाजत राज्य सरकार देती है या कन्ट्रोलर ?

श्री मथुरादास माथुर : कन्ट्रोलर। कन्ट्रोलर से बेचने के लिए इजाजत मांगते हैं तो वे जांच करते हैं, उसके बाद इजाजत देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब यह पोजीशन

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
आपके सामने है कि फियेट कार्स का ब्लेक हो रहा है...

श्री भीमसिंह : ब्लेक नहीं हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह हर व्यक्ति जानता है। आपको खुद को इन्क्वायरी करनी चाहिए। लिमिटेड नम्बर ऑफ कार्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। आपकी तरफ से सिस्टम होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी डीलर ब्लैक कर नहीं सकता। माननीय सदस्यों के दिमाग में यह भ्रम है कि वह ब्लैक कर सकता है, वह गलत है। इण्डिविजुअल को गाड़ी अलॉट हो जाती है, दो साल पहले वह उसको बेच नहीं सकता और उसका अगर वह ट्रान्जेक्शन कर लेता है और हमारी नॉलेज में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि सरकार को मालूम हो जाय तो उसकी जांच की जा सकती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, यह आम तौर पर जानकारी है सब को कि दो साल पहले ही फियेट गाड़ी लेकर बेच देते हैं फिर ले लेते हैं और इस प्रकार फिर बेच देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जनरल कोटा में से कोई गाड़ी ले लेता है तो उसको वह दो साल बाद में बेच सकता है। उसको फिर क्यू में खड़े होना पड़ता है और जब उसका नम्बर आता है तब ही उसको वह मिलती है। स्टेट कोटा में तो पांच साल कर दिये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : एग्रीमेंट में ऐसा है क्या कि किसी को गाड़ी अलॉट की गई, क्या वह उसको ड्राइव करेगा या उसके फेमिली मेम्बर भी ड्राइव करेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : एग्रीमेंट की कापी मैं सदन की मेज पर रख दूंगा। आप उसको देख सकते हैं। जनरल कोटा में कोई एग्रीमेंट का सवाल नहीं है। आप रुपये जमा कराइये और क्यू में खड़े होइये। गाड़ी जब नम्बर आयगा आपको तब मिलेगी। ६२-६३ में जिन्होंने रुपया जमा कराया उनको गाड़ी मिली। उसको वे दो साल बाद बेच सकते हैं। फिर उनको क्यू में खड़े होना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल।

उनियारा इन्द्रगढ सड़क

५. श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उनियारा इन्द्रगढ़ रोड (जिला टोंक) का निर्माण प्रथम पंच वर्षीय योजना में पूर्ण हो जाना निर्धारित था?

(२) क्या यह सही है कि धनराशि उपलब्ध होते हुए भी यह सड़क अभी तक पूरी बन कर तैयार नहीं हुई है?

(३) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं।

(२) कार्य योजनानुसार चल रहा है।

(३) आशा है चतुर्थ योजना तक।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

नगरपालिका कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते

६. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका कर्मचारियों को दिए जा रहे मेडिकल भत्ते की दरें क्या हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर जो मेडिकल अटेन्डेंटस रूल्स लागू हैं उनको सरकार नगरपालिका कर्मचारियों पर लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो नगर-पालिका एवं सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सुविधायें दिये जाने के नियमों में अन्तर क्यों है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) :

(१) (अ) कर्मचारी जिनका बेसिक वेतन १००) रु० माह तक है	५) रु० प्रतिशत बेसिक वेतन का प्रति माह ।
(ब) कर्मचारी जिनका बेसिक वेतन १००) रु० से ज्यादा व ३००) रु० तक है ।	२॥) रु० प्रतिशत बेसिक वेतन का प्रति माह ।

(२) जी नहीं । नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति ठीक न होने से यह अन्तर है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस अन्तर को दूर करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? वित्तीय स्थिति ठीक है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका अपनी वित्तीय स्थिति ठीक कर लें तब ही हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेण्ट प्रश्न है । नगरपालिकाओं में निम्न स्तर के लोग काम करते हैं, उनमें समाज का वह वर्ग है; भंगी वगैरह, दबे हुए, कुचले हुए लोग हैं । कम से कम सरकार इस क्षेत्र में नगरपालिकाओं को मजबूर करे कि अपने कर्मचारियों को वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लेवल पर मेडिकल एड दें ।

श्री दौलतराम सारण : स्वायत्त शासन संस्थाओं को सरकार मजबूर नहीं कर सकती । उनकी वित्तीय स्थिति जैसी होती है उसके मुताबिक ही सरकार कर सकती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप ग्राण्ट-इन-एड ही दीजिये । कुछ तो कीजिये । कम से कम सौ रुपया तनख्वाह पाने वाले तक के लिये अनिवार्य रूप से यह हो कि उनको मेडिकल एड मिले । ग्राण्ट-न-एड दीजिये या और कोई चीज कीजिये । भंगी वगैरह लोग हैं जो बीमारियों के बहुत नजदीक रहते हैं उनको मेडिकल एड की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू नियम की मान्यता

७. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सैलाइन एरियाज अलॉटमेंट) रूल्स १९६२, राज-पत्र में प्रकाशन से पूर्व किस तारीख को केबिनेट द्वारा एप्रूव कर लिये गये थे ?

Page No 9

(श्री भैरोंसिंह)

(२) एप्रूवल के कितने दिन पश्चात् प्रकाशन हेतु राजकीय मुद्रणालय को भेजे गये थे ? यदि इसमें अधिक विलम्ब हुआ है, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि यह नियम कैबिनेट द्वारा स्वीकृत होने तथा प्रकाशन के पूर्व ही सरकार ने इन नियमों की आड़ में पुराने नियमों के आधार पर या अन्य प्रकार के नियमों के आधार पर या अन्य प्रकार से नमक बनाने के लिये भूमि के प्लाट का अलॉटमेंट बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो कब ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सैलाइन एरिया अलॉटमेंट) नियम, १९६२ मंत्रिमंडल (कैबीनेट) द्वारा तारीख ७-१२-६२ को एप्रूव कर लिये गये थे ।

(२) नियम मंत्रिमंडल द्वारा एप्रूव होने के ग्यारह दिन बाद दिनांक १८-१२-१९६२ को राजकीय मुद्रणालय को भेजे गये । इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

(३) जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : ७-१२-६२ के बाद में किसी को इस प्रकार की जमीन अलॉट नहीं की गई ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

खनिज व्यवसाय को सुविधा हेतु खजूरना से मंडाना सड़क ।

८. **श्री जुझारसिंह (बेचट)**: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कनवास तहसील के खजूरना पंचायत एरिया से लगती हुई कई पत्थर की खानें हैं, जिनसे हजारों फुट फरशी व पट्टियां मंडाना से बाहर भेजी जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पत्थरों के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए फोर्मर कोटा स्टेट के समय मंडाना से खजूरना तक सड़क बनाने की तजवीज थी व राजस्थान बनने के बाद भी इन दोनों स्थानों के बीच कोटा कलेक्टर द्वारा पुलियाएं बनाई गई थीं या पुरानी पुलियाओं को मरम्मत की गई थी ?

(३) मंडाना खजूरना के पहाड़ी क्षेत्र में से पिछले पांच सालों में कितनी कीमत का कितना पत्थर निकाला जाता रहा है और इससे सरकार को कितनी रॉयल्टी मिलती रही है ?

(४) क्या पत्थर के बढ़ते हुए व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए सरकार खजूरना से मंडाना तक सड़क पक्की कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, खजूरना पंचायत क्षेत्र से लगते हुए लाडपुरा-मंडाना ग्रामों में कई पत्थर की खानें हैं ।

(२) जी नहीं, कोटा राज्य के समय में मंडाना से खजूरना तक सड़क बनाने की कोई तजवीज होना ज्ञात नहीं होता । राजस्थान बनने के बाद पिछले तीन सालों में भी ऐसी कोई तजवीज नहीं हुई और न कोई पुलिया इत्यादि की मरम्मत करवाई गई ।

(३) पिछले दस वर्षों में मण्डाना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
खोदिया खेड़ी, लाडपुरा, के क्षेत्रों से करीब छः लाख रुपये का पत्थर निकाला जाना प्रतीत होता है और सरकार को लगभग १,७५,६८३ रु० की रॉयल्टी की आमदनी हुई।

(४) इसके संबंध में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में वित्तीय साधनों के अनुसार स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जावेगा।

श्री जुझारसिंह : आपने प्रश्न के भाग (२) में यह फरमाया कि राजस्थान बनने के बाद कलेक्टर कोटा की ओर से पुलियायें वगैरह नहीं बनाई गईं, लेकिन में अर्ज करूं कि पुलियाएं वगैरह बनाई गई हैं; में वहीं का रहने वाला हूं, आप अभी भी उसकी जांच कर सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : में कलेक्टर कोटा के यहां से जो सूचना प्राप्त हुई है उसी के अनुसार जवाब दे रहा हूं।

श्री जुझारसिंह : में भी वहीं की जानकारी के आधार पर ही आपको अर्ज कर रहा हूं। डेवलपमेन्ट कमेटीज थीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है लोकल डेवलपमेन्ट के जरिये यह काम हुआ हो। मेरे को पूछा गया कि सड़क को योजना में लेना, मरम्मत कराना या पुलिया बनाना उसका जवाब दिया है। लोकल डेवलपमेन्ट वर्क हुए हों, पंचायत समितियों ने या वहां के लोगों ने काम किया हो और सरकार की ओर से सबसिडी के रूप में पैसा मिला हो तो यह बात अलग है। सरकार के प्लान के तरह या किसी मंजूरी के तहत ऐसा काम नहीं किया है।

श्री जुझारसिंह : कोटा डिस्ट्रिक्ट में बहुत से माइनिंग एरियाज में माइनिंग डिपार्टमेन्ट ने रोड बनाने के लिये कितनी मंजूरी दी है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सड़क का प्रश्न है, हमने स्वयं ने इसको थर्ड फाइव इयर प्लान में रखा था लेकिन रकम की कटौती होते होते इतनी कटौती होगई कि ऑलरेडी रोड्स का कन्स्ट्रक्शन भी हमारे फण्ड्स से जारी रखना संभव नहीं हो रहा है, इसलिये कटौती के कारण यह काम नहीं कर सके हैं। अतः चतुर्थ योजना में हमारे साधनों को ध्यान में रखते हुए करेंगे।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, थर्ड फाइव इयर की चीज थी यह करने की उसके लिये चतुर्थ प्लान में करने के लिये भी एश्योरेन्स नहीं दे रहे हैं, यह बड़े खेद की बात है

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर शहर की बसें

६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में चल रही बसों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न की जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी?

(२) क्या इस प्रकार नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो कब तथा उसकी क्या सिफारिशें हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि वर्तमान में चल रही बसों की संख्या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या करने का विचार रखती है ?

(४) क्या यह सही है कि प्रादेशिक यातायात प्राधिकारी (आर. टी. ए.) जयपुर ने अभी तक समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) जी हां ।

(२) जी हां, समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष ता० २१–६–६१ को प्रस्तुत किया है, उसकी सिफारिशें निम्न हैं:

(१) ३० नई बसें एक ही कलर की व डिजाइन की, ६ बसें त्रैमासिक के हिसाब से जयपुर शहर की जनता की सुविधा के लिये लगाई जायें ।

(२) पैसेन्जर शेड जनता की सुविधा के लिये जो एक ही डिजाइन के हों, शहर में छः महिने की अवधि में लगवाये जावें । इन शेडों का डिजाइन संचालक, यातायात व जिलाधीश, जयपुर से एप्रूव करा कर उन स्थानों पर, जो रिपोर्ट में दिये गये हैं, लगवाये जायें । राज्य सरकार द्वारा पांच साल की गारन्टी जो कम्पनी बस चलाये, उनको दी जाय और यह कम्पनी इन शेडों की मरम्मत व अच्छी हालत में रखने की जिम्मेवार होगी ।

(३) इस सिटी बस सर्विस पर चलने वाली बसों के ड्राइवर व कन्डक्टरों की यूनिफोर्म मुताबिक आदेश के एक ही प्रकार व रंग की हो ।

सिफारिशें प्रादेशिक यातायात प्राधिकारी के समक्ष रखी गईं जिस पर प्रस्ताव नं० १ दिनांक ९ व १० नवम्बर, १९६० को विचार किया जाकर ३० बसों का अनुज्ञापन देने का निर्णय दिया गया; अन्य सिफारशें भी स्वीकार की जा चुकी हैं ।

(३) जी हां । आर. टी. ए., जयपुर के रेज्योलूशन नं० १ ता० ९।१०–११–६४ के अनुसार हर तिमाही पर ६ बसें लगानी चाहिये थीं और इस रेज्यूलेशन होने के वक्त १५ बसें काम कर रही थीं । इस प्रकार दो तिमाही गुजर जाने पर अब तक १२ बसें और लग जानी चाहिये थीं जबकि सिर्फ दो बसें ही और बढाई गई हैं । इस संबंध में सेक्रेटरी आर. टी. ए. ने आज्ञा के पालन न करने के संबंध में नोटिस जारी किया है और फलस्वरूप ऑपरेटर ने जवाब भी दिया है । वे सारे कागजात उचित कार्यवाही व आदेश हेतु आर. टी. ए., जयपुर में विचाराधीन हैं ।

(४) इसका उत्तर प्रश्न संख्या ३ में दे दिया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ३० बसें लगाने के बारे में सिफारिश की गई थी उनमें से कुल कितनी बसें लगाई जा चुकी हैं ?

श्री भीमसिंह : आन्सर ३ में बताया है, दो लगी हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९६१ में

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)

राज्य सरकार को सिफारिश करने के बाद कि जयपुर में बसें बढाई जानी चाहियें, इस दृष्टि से तीस नई बसों का परमिट दिया जाना था, उस बारे में तीन साल तक कार्यवाही नहीं की गई, इसके क्या कारण हैं ?

श्री भीमसिंह : समय समय पर इन्क्वायरी सर्वे, रूट्स की जानकारी आदि प्रोसीजरल कार्यों में अधिक समय लग गया इसलिये इतना विलम्ब हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् ६१ से ६४ तक जिस समय कमेटी ने राज्य सरकार के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसको क्रियान्वित करने के अलावा सरकार के पास और कोई कार्य नहीं था तो सरकार ने उसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया ?

श्री भीमसिंह : ऐसा था कि जो बसेज ऑलरेडी चल रही थीं उन बसेज के बारे में काफी शिकायतें थीं और कोई पार्टी सामने नहीं आ रही थी और सरकार के यह भी विचाराधीन था कि इसको नेशनलाइज किया जाय या नहीं। दूसरी पार्टीज कोई सामने नहीं आ रही थीं तो एक ही पार्टी जिसने तीस बसेज के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था उसी पर विचार किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि आपने जो यह कहा कि सर्वे करने में समय लगा, जब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने थी उसमें इस बात का हवाला था :

"The committee, therefore, was definitely of the opinion that new routes, as mentioned in Annexure 'A' should be approved by the Government."

इसमें रूट्स की सर्वे करने का सवाल कहां रहा ?

श्री भीमसिंह : सन् ६१ के बाद शहर की आबादी है वह काफी बढी है। वे जो प्रोपोजल्स थे वे केवल ६१ की आबादी के अनुसार थे; जब आबादी बढी उस हिसाब से दुबारा सर्वे कराने की आवश्यकता महसूस हुई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह आपको कब पता लगा कि शहर की आबादी बढी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो आपको पता लग रहा है।

श्री भीमसिंह : मर्दुमशुमारी के बाद पता लगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् ६१ के बाद रूट्स की सर्वे के लिये कोई कमेटी बनाई क्या ?

श्री भीमसिंह : यह आपको भी मालूम होगा कि गत सत्र में भी इस प्रकार का सवाल आया था, कमेटी बिठाई गई थी रूट्स के रिऑर्गेनाइज करने के बाद, बारे में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार को कमेटी की रिपोर्ट के बाद केवल एप्रूवल देने की बात थी, सरकार ने एप्रूवल नहीं दिया, इसके क्या कारण हैं ?

श्री भीमसिंह : यह काम आर. टी. ए. का है, वह सैपरेट बॉडी है, वही इस बारे में फैसला करती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार ने इसके लिये कितनी कमेटियां बिठायी थीं रूट्स आदि के सर्वे के बारे में ?

श्री भीमसिंह : सिर्फ एक ही कमेटी है।

Page No 13

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब उस कमेटी ने तीस नयी बसेज के लिये सिफारिश की थी तो और कोई पार्टी तैयार नहीं थी, तो सरकार उनकी जगह राष्ट्रीयकृत बसेज चलाने के लिये क्यों तैयार नहीं हुई ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यहां पहले १५ या १७ बसेज चलती थीं और जयपुर के हिसाब से चलनी चाहिये थीं २७। इस प्रकार से १० बसेज की कमी रहती थी। उसके लिये मामला आर. टी. ए. के विचाराधीन है। राज्य सरकार इतना ही कर सकती है कि वह सर्वे करके कितना पोटेन्शियल है, उसके बारे में कमेटी नियुक्त करके फैसला करा सकती है, लेकिन परमिट आदि देने के लिये आर. टी. ए. है, जो बसेज के बारे में शिकायतें आदि हैं उनकी जांच करना, उनको सजा आदि देने का काम भी आर.टी.ए. का है। सरकार इसमें बिल्कुल दखलन्दाजी नहीं करती।

अब प्रश्न यह आता है कि जब कोई पार्टी सामने नहीं आयी तो राष्ट्रीयकृत बसेज चलानी चाहिये थीं जहां तक राष्ट्रीयकृत बसेज के चलाने का सवाल है उसके बारे में कार्पोरेशन बना हुआ है। वह विचार करता है। जैसा पोटेन्शियल है उसके हिसाब से वह राष्ट्रीयकृत बसेज चलाने का प्रोग्राम बनाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने कार्पोरेशन को सूचना दी है कि इन बसेज से डिमाण्ड पूरी नहीं हो रही है, जनता को दिक्कत है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मामला कार्पोरेशन के सामने रखा गया। लेकिन दिक्कत यह है कि सिटी बसेज के अन्दर प्रोफिट कम मिलता है ऐसा उनका थिंकिंग है। फोर्थ प्लान का फाइनल रूप तय हो जायगा उस वक्त इस बारे में विचार करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कोर्पोरेशन को बने अभी जुम्मा जुम्मा चार रोज हुए हैं, यह रिपोर्ट १९६१ में रख दी गई थी उस समय नेशनलाइज क्यों नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि इन रूट्स को नेशनलाइज किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो नेशनलाइज कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : रूट्स के नेशनलाइज करने के सिलसिले में यह देखना पड़ता है कि इसमें कितना प्रोफिट है, जो इनवेस्टमेन्ट कर रहे हैं उसमें लाभ है या नहीं, उसको देख कर राज्य सरकार फैसला करती है। पहले जब, कोर्पोरेशन बना, पांच साल के लिये एग्रीमेन्ट था। १२ बसेज और चलानी चाहिये थीं वे नहीं चलायीं, उसके लिये नोटिस दिया गया। इन सब के लिये आर० टी० ए० कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्राइवेट पार्टीज जहां लाखों रुपया कमा रही हैं आपका मतलब है नेशनलाइज़ करने पर लोस होगा ?

श्री मथुरादास माथुर: यह कोर्पोरेशन का काम है। प्राइवेट पार्टीज़ की बेलेन्स शीट आपने देखी होगी जिस आधार पर आप लाभ का कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उप मंत्री महोदय ने जवाब में कहा कि एक ही पार्टी तीस बसेज़ को चलाने के लिये सामने आयी, बाकी किसी ने एक की एप्लीकेशन दी। क्या यह मामला आर० टी० ए० ने ड्रॉप किया या गवर्नमेन्ट ने ड्रॉप किया ?

श्री भीमसिंह : आर० टी० ए० ने इसके लिये गजट निकाला था, जिन जिन ने प्रार्थना-पत्र दिये, आर० टी० ए० उस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। आर० टी० ए० के पास तीस बसेज़ के लिये केवल एक ही प्रार्थना-पत्र आया, दूसरे लोग हाजिर भी नहीं हुए, एक पार्टी हाजिर हुई, लेकिन क्लेम पेश नहीं किया अब केवल ऑल्टर्नेटिव रह गया उसका जिसने तीस बसेज़ के लिये प्रार्थना-पत्र दिया।

श्री भैरोंसिंह : आर० टी० ए० द्वारा जो नोटिस निकाला गया है उसमें किस प्रकार की कन्डीशन इम्पोज की गई है, जिससे एक ही पार्टी लाभ उठा सके बाकी के लोग पार्टनर नहीं बन सकते, इस पोइन्ट को सरकार ने देखा है ?

श्री भीमसिंह : नोटिस की कापी इस समय मेरे पास नहीं है इसलिये निवेदन नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : जो कन्डीशन्स इम्पोज की गई उसके अनुसार एक ही पार्टी लाभ उठा सकती है। क्या सरकार ने कभी इस बात को भी ध्यान में रखा है कि पीस मील में भी लोग आवेदन दे सकें, दो-दो, तीन-तीन रूट्स के लिये ?

श्री मथुरादास माथुर : सिटी बसेज़ में कहीं भी इस तरह से नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : पंजाब में सिटी बसेज़ में इस तरह से रूट्स पर परमिट दिये गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अलग अलग टाउन्स के लिये दिये जा सकते हैं। यह नहीं हो सकता कि जैसे चन्डीगढ़ है उसमें दस रूट हैं और उन दसों के लिये अलग अलग पार्टी को परमिट दिये गये हों।

श्री भैरोंसिंह : जहां आप समाजवादी समाज की रचना की बात करते हैं, वहां आपको पूंजी का इस प्रकार विभाजन करना चाहिये। इस तरह से तो आप एक ही व्यक्ति को पूंजीपति बनाना चाहते हैं ?

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अजमेर में सिटी बसेज़ अलग अलग पार्टीज की चलती हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अजमेर में कोई सिटी बस नहीं चलती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का उत्तर दिया है, उससे एक बात स्पष्टतया मालूम होती है कि इस संबंध में दुर्व्यवस्था है। यह सोशियल सर्विसेज़ का प्रश्न है इसमें नफा या नुकसान का सवाल नहीं है आज जो सरकार यह कहती है कि हमारी समाजवादी सरकार है उसका प्रथम कर्तव्य है कि जो भी सोशियल सर्विसेज़ हों उस संबन्ध में उचित व्यवस्था करे। लेकिन जिस प्रकार के उत्तर दिये जाते हैं उससे यह स्पष्ट है, ये केवल लंगडे और थोथे बहाने मात्र हैं। जहां सोशियल सर्विसेज़ की पूर्ति का सवाल है उसके बारे में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये, केवल कमेटियां अपोइन्ट करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

डेगाना स्टेशन सड़क निर्माण

१०. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(श्रीमती गौरी पूनिया)

(क) क्या डेगाना स्टेशन रोड के एस्टीमेंट बन कर सरकार के पास आ चुके हैं ?

(ख) अगर हां, तो यह सड़क कब बनना शुरू होगी ?

(ग) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि बरसात में इस रास्ते पर घुटने-घुटने तक कीचड हो जाता है और कई कई दिनों तक आवागमन बन्द रहता है जिससे तहसील भर के सरकारी कर्मचारी और बाजार वाले बड़े परेशान होते हैं और इस गंदगी के मारे कई रोग फैलते हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध चूंकि जोधपुर क्षेत्र से है और जोधपुर के जितने भी अधिकारीगण हैं वे सिविल डिफेन्स के काम में लगे हुए हैं इसलिये इसका जवाब नहीं आ पाया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

बीकानेर नगर परिषद् को सहायता

११. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बीकानेर नगर परिषद् की वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बीकानेर नगर परिषद् को शहर में सफाई रखने के लिये सक्षम बनाने हेतु सहायता, अनुदान या ऋण दिया है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या बीकानेर नगर परिषद् ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार की सेवा में भेजे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां । २५ हजार रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया गया है ।

(२) जी हां । २५ हजार का ऋण स्वीकृत कर दिया गया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह राज्य सरकार यह समझती है कि बीकानेर नगर की नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जो आपकी इस २५ हजार की मदद से सुधर जावेगी और वह वहां की सड़कों वगैरह को ठीक करा लेगी । आप भी वहां आते-जाते रहते हैं, दौरे करते हैं, आप भी वहां की सड़कों की हालत जानते हैं, उस हालत को देखते हुए क्या यह ऋण काफी है और क्या यह ऋण किसी पर्टीक्यूलर पर्पज के लिये ईयरमार्क करके दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां, बीकानेर नगरपालिका ने २५ हजार की विशेष सहायता सफाई-कार्य के लिये मांगी थी और वह ऋण रूप में दे दी गई है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह ऋण किस तारीख को दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : १९-५-६५ को ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां की नगर परिषद् के चेयरमैन ने आपको प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उनमें १ लाख की राशि अनुदान हित मांगी है सड़कों की ग्रान्ट के लिये, क्या यह स्थिति सही नहीं है जैसा प्रश्न के पैरा (२) में मैंने पूछा है ?

Page No 16

श्री दौलतराम सारण : चेयरमैन, नगर परषिद् ने अपना पत्र ११-५-६५ को दिया जिसमें निवेदन किया था कि २५ हजार की विशेष सहायता दी जावे और उस वक्त सहायता के अन्तर्गत पैसा देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं थी इसलिये १९-५-६५ को २५ हजार रुपया ऋण देने की स्वीकृति दी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा :-यह तो आपने सफाई और औजारों के लिये दिया है, जो सड़कों के लिये मांग की गई उसके लिये नहीं दिया है। पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर साहब के भी यह ध्यान में है। वे नगर परिषद् की मीटिंग में घोषणा करके आये हैं कि वे अपने बजट में से पैसा देंगे, तो क्या अभी तक उनको सड़कों की मरम्मत के लिये वह पैसा नहीं दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : निर्माण मन्त्री जी ने बीकानेर के दौरे के बाद लिखा था कि नगर परिषद् को सड़कों की मरम्मत के लिये सहायता के रूप में सहयोग दिया जाए। हमने उन्हें ५० हजार रुपया स्वीकृत किया जाने हेतु लिखा। निर्माण मन्त्री जी ने उसी के उत्तर में दस हजार की स्वीकृति अभी दी है, उनसे मेरी अभी बात हुई थी। दस हजार की स्वीकृति दे दी है। बाकी रुपया उनके पास नहीं है। ज्यों ज्यों आवेगा त्यों त्यों और देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या यह सही नहीं है कि बीकानेर की नगर परिषद् ने विकास के दृष्टिकोण से ड्रेनेज वगैरह के निर्माण के लिये दो लाख की स्कीम बनाकर राज्य सरकार के पास नहीं भेजी ? और यह रकम नहीं मांगी ?

श्री दौलतराम सारण : नगर परिषद् के मांगने न मांगने का सवाल नहीं है, नगर परिषद् ने जिस तरह से पैसा मांगा है और जो हमने दिया है वह मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्लान बनाकर उन्होंने रुपया मांगा है या नहीं जैसे दूसरों ने भी मांगा और उनको मिला है ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जैसे प्रश्न दो में साफ है। ये प्रार्थना-पत्र ऋण, अनुदान या सहायता के लिये हो सकते हैं। उनकी अभी आपको जानकारी नहीं है। इसलिये सम्पूर्ण जानकारी करलें आप पहले कि किस प्रकार की कितनी योजनाओं में कितना ऋण या सहायता या अनुदान मांगा है। मैं निवेदन करदूं कि वहां की सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब है। कोई मोटर गाड़ी, साइकिल, रिक्शा उन पर आसानी से चल नहीं सकती। एक एक फुट पर दो-दो गड्ढे वहां हैं। यह बात मन्त्री मण्डल के भी बहुत से सदस्यों को मालूम है। इसी हालत को देखते हुए नगर परिषद् ने सरकार से कहा है कि एक लाख रुपया उनको इसके लिये तुरन्त दिया जावे तो स्थिति कुछ सुधर सकती है। यह सिविलाइज्ड सिटी या सभ्य प्रान्त का सभ्य शहर है अन्यथा वहां की सड़कों को देखकर तो मन्त्रियों को भी रोना आता होगा।

श्री दौलतराम सारण : वहां की स्थिति तो तभी सुधर सकती है जब वहां की नगर-परिषद् अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से अदा करे और उनको समझे, आपस में कम लड़े और मिलकर ठीक प्रकार से ठीक व्यवस्था करे और निर्माण कार्य करे। तो यह हालत

(श्री दौलतराम सारण)
सुधर सकती है। केवल ऋण या सहायता से स्थिति नहीं सुधर सकती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या मन्त्री महोदय के कथनानुसार वहां की नगर-पालिका अपने काम को ठीक अंजाम नहीं दे रही है, यह माना जावे ?

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : यह सारा झगड़ा दूसरा ही है। खतूरिया अध्यक्ष बन जावें तो ये सब कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : फिर तो यह काफी रोमान्टिक समस्या है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): नगर परिषद् से प्रार्थना-पत्र आये थे। पांच हजार रुपया अपने पास से दिया है सड़क की मरम्मत के लिये, तो राज्य सरकार ने भी दस हजार रुपया यहां से भी मन्जूर किया है तो १५ हजार रुपयों में जितनी भी मरम्मत हो सकेगी की जावेगी। इसके अलावा और धनराशि की जरूरत होगी तो और भी देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मरम्मत के लिये यह जो राशि दी गई है उसमें वहां की सड़कों की आज की स्थिति काफी अच्छी हो जावेगी, निर्माण मन्त्रीजी स्वयं वहां जाकर देख कर आये हैं। और क्या वहां के चैयरमैन ने पचास हजार या एक लाख रुपये के लिये निवेदन नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केसरीसिंह।

प्रश्न संख्या १२

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् की व्यवस्था

१३. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान विद्युत् बोर्ड द्वारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम चालू है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या जिला टोंक में भी इस स्कीम को चालू कर दिया गया है। यदि हां, तो कब से तथा ६५-६६ में इस जिले के कौन कौन से ग्रामों को शामिल किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) :
(१) जी हां। १९६१-६२ से।

(२) जी हां। १९६१-६२ से। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : सूची, अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : आप लेलीजिये इसके बाद।

राजस्थान हरिजन सेवक संघ की सरकारी सहायता

१४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान हरिजन सेवक संघ कब से कार्य कर रहा है ? इसको राज्य सरकार से कितना सालाना रुपया दिया जाता है ?

(२) इस संस्था का लक्ष्य क्या है ?

(३) क्या संस्था जिलेवार कार्यक्रम चलाती है ?

Page No 18

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(४) क्या संस्था का ऑडिट होता है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) राजस्थान हरिजन सेवक संघ सन् १९५१ से कार्य कर रहा है। संघ को गत पांच वर्षों में दिये गये अनुदान की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) संस्था का लक्ष्य अस्पृश्यता निवारण और हरिजनों के उत्थान के कार्य करना है।

(३) जी नहीं। संस्था कुल चुने हुए १२ जिलों में कार्य करती है।

(४) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ये १२ जिले कौन कौन से हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने इस संस्था को पांच साल में ३।। लाख रुपया दिया है और छुआछूत आदि को दूर करने और समाज कल्याण के काम करने के लिये दिया है, तो यह बताने की कृपा करें कि इस लक्ष्य पूर्ति में यह संस्था कितनी आगे बढ़ी है ?

श्री अमृतलाल यादव : इस संस्था को जितना रुपया दिया गया वह बता दिया गया है और अब उसने कितना काम किया यह रुपयों से अन्दाज नहीं लगा सकते। काफी काम इस संस्था ने किया है और कर रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : काफी से आपका मतलब क्या है ? आखिर उसने काम कितना किया, यह बतावें ?

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : काम को अब तोलें कैसे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : तोला जाता है। मैं बताऊं। जितना रुपया दिया गया वह किन कामों में खर्च किया गया और उन कामों से हरिजनों का कितना लाभ हुआ, जो आपका लक्ष्य था उसकी कहां तक पूर्ति हो पाई है, यह आंकड़ों से जाना जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) काफी से मतलब यह है कि आप डिप्टी लीडर बन बैठे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : इसकी सालाना रिपोर्ट छपती है, उसमें सब कामों का जिक्र होता है, उसे आप पढ़ने की कृपा करें तो मालूम होवेगा। वे छात्रावास चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कालरशिप देते हैं। इसके अलावा मकान सहायता देते हैं। सार्वजनिक अधिकारों के स्थान; जैसे मन्दिर, कुंड, होटल आदि में प्रवेश दिलाया है। नागरिक अधिकार दिलवाने की कोशिश करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सेन्ट जैवियर में दाखिला करवाया है। स्कालरशिप्स दी हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : कितनी शालाएं खुलवाई, कितने कुंड, मन्दिर, होटल खुलवाये इनकी कुछ गिनती तो बताओ ? फिगर्स होंगे आपके पास। मुझे जहां तक मालूम है जितना रुपया इनको मिला है, उन्होंने गाड़ियों, जीपें खरीद रक्खी हैं। अध्यक्ष ने जीप खरीद रखी है। अपने आस-पास वालों को नौकर रख लिया है, अपने घरों में काम करवाते हैं उनसे। बाकी और कोई काम उनके पास नहीं है। अगर है तो मुझे आप बतावें कितनी पाठशालाएं चलाईं, कितने विद्यार्थियों को

(श्री जयनारायण सालोदिया) पढ़ाया, कितनों को स्कालरशिप्स दीं, कितने कुएं, मन्दिर खुलवाये? कितनी छुआछूत दूर की? कितने वर्कर हैं उनके पास कौन कहां कहां क्या क्या काम कर रहा है?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने निवेदन किया कि उनकी रिपोर्ट को पढ़ने की आप कृपा करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो क्या आप उत्तर नहीं दे सकते? मैंने तो आपको पूछा है। आप ही उस रिपोर्ट को पढ़कर बताते। आपने तो पढ़ी होगी वह रिपोर्ट. आपको तो उपलब्ध हुई होगी।

श्री अमृतलाल यादव : यह रिपोर्ट आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यादव साहब, वहां बैठने के बाद आप बदल गये हैं। कल जब यहां बैठते थे तो आप भी यही कह रहे थे जो सालोदियाजी कह रहे है। अब मन्त्री बन गये हैं इसलिये दूसरी भाषा में बात करना शुरू कर दिया है।

श्री अमृतलाल यादव : यह बात नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं है, तो फिर जवाब दीजिये न?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जब ऊपर बैठे थे तो रिपोर्ट नहीं पढी थी?

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है, हरिजनों के नाम से लाखों रुपया इस संस्था को दिया जाता है और वह पैसा उन नीचे के लाखों गरीब हरिजनों तक नहीं पहुंचता। यहां जब पूछते हैं तो सही जवाब नहीं आता सदन में।

(११.०० म.पू.)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कृपया वार्षिक रिपोर्ट मंगाकर माननीय सदस्य के पास भेज दें।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष के आज्ञानुसार वार्षिक रिपोर्ट मंगवाकर माननीय सदस्य को भेज दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

बमोरी कलां के समीप बाणगंगा पर पुल निर्माण

१५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही कि कोटा जिले की मांगरोल तहसील में ग्राम बमोरी कलां के समीप बाणगंगा नदी पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है और इस कारण जनता को काफी कठिनाई हो रही है?

(२) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने इस ग्राम में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के उद्घाटन के अवसर पर गांव वालों को पुल बनवा देने का विश्वास दिलाया था?

(३) अब कब तक इस पुल का निर्माण होगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, किन्तु यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) विचार करने का आश्वासन दिया था और चम्बल कन्ट्रोल् बोर्ड को लिखने के लिए कहा था।

(३) जब चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड इसकी स्वीकृति दे देगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने आश्वासन देने के बाद क्या कार्य किया ?

श्री हरिश्चन्द : मैंने आपसे कहा कि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को हम लिखें कि वह पुल को बनाये क्योंकि जो पानी बहता है वह चम्बल का आता है ?

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह आश्वासन कब दिया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : ८-१२-६४ को

श्री अब्दुल जब्बार : आज जनता की तकलीफ को देखते हुए क्या सरकार यह अनिवार्य नहीं समझती कि यदि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड इस कार्य को नहीं करे तो सरकार स्वयं इसको करे ?

श्री हरिश्चन्द्र : चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को ही लिखने का सवाल है। पी० डब्ल्यू० डी० उसमें आती नहीं है। क्योंकि वहां पर पानी चम्बल का आता है, बाणगंगा का भी आता है। इसलिये वहां की जनता को तकलीफ है उसके लिए चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को लिख देंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : आप कह रहे हैं कि अभी लिखा गया है, तो क्या लिखा भी नहीं गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अब लिखेंगे।

श्री रामकिशन : फिर आश्वासन का अर्थ क्या रहा, लिखने में भी कष्ट हो रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि जो नहर का पानी था उससे आवागमन बन्द हो गया और उससे सड़कों पर भी असर हुआ है और उसकी जिम्मेदारी न तो पी. डब्ल्यू. डी. लेता है और न इरिगेशन विभाग लेता है तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार जिम्मेदार है।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : पिछले बार भी ऐसे ही प्रश्न आये थे और आपने पहले भी कहा था कि यदि विभाग से नहीं बनेगा तो मैं अपनी जेब से बना दूंगा फिर भी ऐसी बात कहते हैं और इस तरह से टालते रहें, यह उचित नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने मना नहीं किया। मैंने यह कहा कि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को लिखा जायेगा वही बना सकते हैं।

श्री दयाचन्द सोन : फिर आपने कैसे रोब में आकर कहा कि यदि विभाग नहीं बनायेगा तो मैं अपनी जेब से बनवा दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह प्रश्न पहले भी कई बार आया है। हम यह जानना चाहेंगे कि आश्वासन देने के बाद में सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने यहां कहां रेकॉर्ड में दर्ज कर रखा है कि इस प्रकार का आश्वासन दिया है और उसे पूरा करना है ? आप जो उद्घाटनों के समय आश्वासन देकर आते हैं तो गवर्नमेन्ट रेकॉर्ड में किस तरह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
से रखते हैं, ताकि आप अधिक से अधिक सजग रहें और उस कार्य को करा सकें आप किस तरह से रेकार्ड में मेन्टेन करते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो आश्वासन दिया जाता है उसके लिए कार्यवाही की जाती है कोई सवाल नहीं है कि कार्यवाही नहीं की जाये। लेकिन जो चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड है उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के डिप्टी मिनिस्टर हैं जो कि उसके चेयरमैन हैं और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के और उनके इन्जीनियर्स भी हैं, मध्यप्रदेश वाले भी हैं और इस मामले में वहां जाकर कहा जायगा और वह उचित समझें या नहीं समझें उसके लिए तो बोर्ड ही डिसीजन ले सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम इस मामले को रिप्रेजेन्ट जरूर करवा देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपको ९ महीने आश्वासन दिए हुए हो गये·····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : ९ महीने में तो नई सृष्टि हो जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र : बोर्ड की मीटिंग इन दनों एक ही दफा हुई है और अब जब मीटिंग होगी तो हम इसको उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

डग से भवानी मंडी जाने वाली सडक की पुलियों का निर्माण कार्य

१६. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) डग से भवानी मंडी जाने वाली सड़क की पुलियों का काम किस ठेकेदार को दिया गया और उसकी मंजूरी कब हुई थी व अब तक कितनी पुलियां बनीं व कितनी शेष हैं ?

(२) शेष काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) ठेका मैसर्स राज इंजीनियरिंग कम्पनी को दिया गया था। पुलिया का कार्य १७-३-६४ को दिया गया था। एक पुलिया का कार्य पूर्ण हुआ है और ३ पुलियों का कार्य प्रगति पर है, बाकी ९ पुलियों का कार्य शेष है।

(२) आशा है चतुर्थ योजना में।

श्री दयाचन्द सोन : इसके पार्टनर्स कौन कौन हैं, इस कम्पनी के ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

राज्य में विभिन्न निजी उद्योगों में सरकारी धन-राशि

१७. **वंद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में विभिन्न निजी उद्योगों (प्राइवेट कन्सर्न्स) में सरकार की कितनी कितनी राशि हिस्सा पूंजी (शेयर्स) के रूप में लगी हुई है ? प्रत्येक उद्योग की अलग अलग राशि बताने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि इन उद्योगों में लगी हुई राशि पूर्णतया सुरक्षित नहीं है ?

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(३) क्या यह सही है कि सरकार इस प्रकार के नियोजन (इन्वेस्टमेन्ट्स) की देखरेख के लिये कोई उद्योग विभाग की ओर के और वित्त विभाग के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाने का विचार रखती है ?

(४) विजयनगर शुगर मिल को सरकार ने कितना रुपया ऋण के रूप में दिया है ? रुपया कब दिया गया और ऋण की वसूली कितनी हो चुकी है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) :

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राज्य सरकार ऐसा नहीं समझती, किन्तु यह परिस्थिति पर निर्भर है।

(३) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में एक समिति का गठन कर दिया है।

(४) राज्य सरकार ने विजयनगर शुगर मिल्स को कोई ऋण नहीं दिया। राजस्थान वित्त निगम को मिल्स के प्रति ५ लाख रुपये तक का ऋण दिये जाने की गारन्टी दी थी और उक्त ऋण मिल्स द्वारा न चुकाने पर राज्य सरकार ने निगम को ३,८४,५४६.५८ का भुगतान किया ....

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामसहाय (लालसोट) : जरा जोर से बोलिये, सुनाई नहीं दिया।

श्री चन्दनमल वैद : कितना बोलूं ? पूरे प्रश्न का उत्तर या चौथे भाग का ही ...

(४) राज्य सरकार ने विजयनगर शुगर मिल्स को कोई ऋण नहीं दिया। राजस्थान वित्त निगम को मिल्स के प्रति ५ लाख रुपये तक का ऋण दिये जाने की गारन्टी दी थी और उक्त ऋण मिल्स द्वारा न चुकाने पर राज्य सरकार ने निगम को ३,८४,५४६.५८ का भुगतान किया। मूलधन और ब्याज की वसूली की कार्यवाही जिलाधीश, अजमेर द्वारा पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट के तहत की जा रही है।

श्री रामसहाय : जो राज्य सरकार की पूंजी लगी है उस पर प्रति वर्ष कितना लाभ होता है ?

श्री चन्दनमल वैद : इसके फिगर्स तो नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वसूली की कार्यवाही कब शुरू की गई थी ? विजयनगर शुगर मिल्स की ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : डेट्स तो नहीं हैं, लेकिन पी. डी. आर. में कार्यवाही हो रही है, जैसा आपको बताया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक मुझे जानकारी है उसके अनुसार कई वर्ष हो गए गवर्नमेन्ट को यह पेमेन्ट किये गये। क्या यह सही है कि अभी तक इसमें कोई पैसा वसूल नहीं हो रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : इसके अन्दर पी. डी. आर. के तहत अपील रेवेन्यू बोर्ड में गई है और रेवेन्यू बोर्ड से स्टे कर रखा है और जब रेवेन्यू बोर्ड से अपील के बारे में तय हो जायेगा उसके बाद ही कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामसहाय : राज्य सरकार की ओर से प्राइवेट कन्सर्न्स की जो सूची दी गई है इतनी पूंजी लगी हुई है उसमें सरकार को कितना लाभ होता है। और कितना नुकसान होता है, यह सूची तो दिला दें ताकि यह मालूम हो सके कि ये घाटे में रहते हैं या फायदे में।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न कई बार उठाया गया है। माननीय सदस्य चाहें तो फिर भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न के दौरान में इस तरह की सूचना नहीं मिल सकती।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद ही एक कमेटी बना दी है वह जाकर देखेगी कि कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है और इसमें क्या आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : यह कमेटी कब बनेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : बन गई।

श्री अध्यक्ष : मीटिंग हुई ?

श्री हरिश्चन्द्र : मीटिंग अब करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ; श्री तेजाराम गहलोत।

टिकट काटने संबंधी नियम

१८. **श्री तेजाराम गहलोत (सोजत)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राजस्थान स्टेट रोडवेज की गाड़ियों में सामान ले जाने व कन्डक्टरों द्वारा आधा टिकट काटने के संबंध में कोई नियम हैं ? यदि हैं, तो कृपया उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। और यदि नहीं हैं, तो क्या सरकार ऐसे नियम तुरन्त लागू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : जी हां, नियमों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या इन नियमों की एक प्रति हर बस और कन्डक्टर के पास कोर्पोरेशन ने उपलब्ध कराई है ?

श्री मथुरादास माथुर : इन नियमों की प्रतिलिपि बसों और कन्डक्टरों के पास रखी जाती है या नहीं इसका मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्योंकि इन नियमों की प्रतिलिपि बस में और कन्डक्टर्स के पास नहीं रहने की वजह से यात्रियों को बड़ी कठिनाइयां होती हैं . . .

श्री मथुरादास माथुर : हर एक बस स्टैण्ड में इन नियमों की प्रतिलिपि रहती है। जहां टिकट इश्यू किये जाते हैं पब्लिक आम को मालूम है, अब उसके बाद में कन्डक्टर्स अपने साथ रखते हैं या नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आधा टिकट कितनी उम्र तक वालों के लिए काटा जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : १२ वर्ष।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन नियमों में है ?

श्री मथुरादास माथुर : हां है।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इन नियमों की एक एक प्रति या तो हर बस में दे दी जाये

Page No 24

(श्री तेजाराम गहलोत)
या फिर हर कन्डक्टर को दे दी जाये, ताकि रास्ते में चलने वाले यात्रियों को भी दिक्कत न हो और कन्डक्टर्स की सुविधाओं के लिये भी ये नियम गाइडेन्स का काम करें।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई मतलब हल नहीं होगा। रेल्वे के अन्दर भी टिकट के साथ कितना वजन है और कितना क्या है यह रेल्वे स्टेशन पर लगा रहता है, हर आदमी पढ सकता है। कोई टी. टी. तो अपने साथ में रखता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बस और कन्डक्टर्स के पास भी रख देंगे इन नियमों की एक प्रति, मगर कोई हल नहीं निकलेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० १९।

राजस्थान में वक्फ जायदाद के विवरण का प्रकाशन

१९. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में वक्फ जायदादों के विवरण का पब्लिकेशन अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों और कब तक कराया जायेगा?

(२) पब्लिकेशन न कराने के क्या सबब हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उप-मंत्री, वक्फ (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां। वक्फ जायदादों की सूचियां राजकीय मुद्रणालय को वक्फ बोर्ड द्वारा भेज दी गई हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित हो जावेंगी। इसके लिए प्रेस को स्मरण भी कराया जा रहा है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुल जब्बार : यह सर्वे कब हुआ था फाइनली?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्वे की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जनवरी, १९६५ के आखिर तक आई थी, उसके बाद में हमने १६-४-६५ को वापिस यह रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के पास भिजवा दी कि वह इसके प्रकाशन की कार्यवाही कराए। उन्होंने प्रकाशनार्थ प्रेस में भेजी, लेकिन प्रेस में अधिक काम होने की वजह से देरी हो जाएगी और इसलिये उन्होंने स्वयं प्राइवेटली छपवाने की अनुमति मांगी है, जो दे दी गई है इसलिये अब वे प्रेस या प्राइवेट जिस तरह से भी छपवाना चाहें जल्दी छपवालें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

जयपुर से लुहारू मार्ग का राष्ट्रीयकरण

२०. **श्री मोहरसिंह राठौड़** (चूरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर से लुहारू मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जावेगा?

(२) इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) :

(१) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ३ हजार मील के मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए हर साल कौन कौन से रूट लिये जायें, इन पर यातायात की आवश्यकता, लाभ की सम्भावना, सड़कों की हालत, राष्ट्रीयकृत मार्ग की निकटता व अन्य आवश्यक दृष्टिकोणों को ध्यान में रख कर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

(श्री मथुरादास माथुर)

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

अनूपगढ़ कस्बे में पानी की व्यवस्था

२१. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या अनूपगढ़ कस्बे में पीने योग्य पानी की मौजूदा व्यवस्था वहां की जन संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है ? अगर नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में नगरपालिका को कोई अनुदान दिया गया है ? अगर हां, तो कितना व कब ?

जन-स्वास्थ्य, मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (१) जी नहीं, इस कस्बे की जल-योजना बनायी जा रही है ।

(२) जी नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: जी नहीं से क्या यह मान कर चलें कि जो पानी की सुविधा है वह पर्याप्त नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी: जी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: तो वहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन चल रही है ?

श्री हरिदेव जोशी: आपने जैसा पूछा है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से डिपार्टमेंट के पास कोई मांग नहीं आई, डाइरेक्टर लोकल बोडीज ने सन् ६२ में रखी थी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: यह प्रश्न सरकार के सामने कब आया ? जो आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि क्या अनूपगढ़ कस्बे में पीने योग्य पानी की मौजूदा व्यवस्था वहां की जन-संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त नहीं है, इस पर आपने कहा है 'जी नहीं'। तो मैं यह जानकारी चाहता हूं कि यह प्रश्न कब आया सरकार के समक्ष कि वहां पर जो पानी की व्यवस्था है वह अपर्याप्त है ?

श्री हरिदेव जोशी : डाइरेक्टर लोकल बोडीज ने वाटर वर्क्स विभाग को सन् ६२ में यह कहा कि उसकी योजना बनाई जावे, ताकि वहां के लिए लोन स्वीकृति की कार्यवाही हो ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सन् ६२ के बाद इस संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

श्री हरिदेव जोशी : उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा गया और उसने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी। उस पर कुछ क्वेरीज करके भेज दिया गया है। मगर फिर भी जहां तक इस योजना का संबंध है मैं निवेदन कर दूं कि इस वर्ष तो इसे हाथ में नहीं लिया जा सकेगा। अनूपगढ़ छोटी मंडी है। इसके पहले दूसरे स्थान और भी हैं, जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि अनूपगढ़ कस्बे के अन्दर जो फिलहाल पानी की व्यवस्था है वह पानी खारा है और पीने लायक नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : दोनों ही तरह का पानी है, खारा भी है मीठा भी है। जहां

(श्री हरिदेव जोशी)
तक इस योजना से इस विभाग का ताल्लुक है, विभाग इसे हाथ में लेना चाहता है बशर्ते कि फण्ड अवेलेबल हों।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने कुए ऐसे हैं जिनमें पीने के लिए मीठा पानी है और कितने कुए ऐसे हैं जिनका पानी खारा है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक म्यूनिसिपैलिटी का सवाल है, म्यूनिसिपैलिटी डाइरेक्टर लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट को लोन सेंकशन करने के लिए लिखे तो डिपार्टमेन्ट को अपनी तरफ से इस योजना के लिए हाथ में लेने में कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

बकाया वेतन का भुगतान

२२. **श्री श्रवणलाल** (हिंडौन—सु.) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जे. एन. सक्सेना भूतपूर्व सहायक अभियंता, विद्युत, बीकानेर के वेतन की कुछ बकाया अभी भी सरकार में है ?

(२) क्या उसके उत्तराधिकारी इस बकाया को लेने हेतु गत आठ साल से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका भुगताम नहीं किया गया है ?

(३) क्या सरकार इस भुगताम को शीघ्रातिशीघ्र करवाने का विचार रखती है ?

(४) अभी तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार भुगतान में विलम्ब करने के लिए किसी को दोषी समझती है और उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करना चाहती है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) कानूनी कार्यवाही में काफी समय लगा है।

श्री श्रवणलाल : यह कार्यवाही कब से चल रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसा है कि उनका कोई रेगुलर सैलेरी में पेमेन्ट का तो यह प्रश्न था नहीं। उनका कोई ५१–५२ का फ्लेट रेट पर ग्रेड इन्क्रीमेन्ट का प्रश्न है जिसके बारे में कुछ बकाया है। उनकी खुद की जिन्दगी के समय में भी पांच-सात साल से कोरस्पोंडेंस चल रही थी। बीकानेर स्टेट के टाइम की यह बकाया है। इसके लिए कुछ तो कागजात नहीं मिले। जब कागजात मिले तो उनकी बकाया का बिल बना और उस पर उनके लीगल एयर (Legal heir) का सर्टीफिकेट उनकी पत्नि से मांगा गया, जिसे करीब उन्होंने करीब तीन साल से नहीं दिया। जब वह सर्टीफिकेट मिला तो ए. जी. ने कुछ आब्जेक्शन कर दिया जिसका जवाब भी दे दिया गया है और अब आशा है कि जल्दी ही रुपया मिल जावेगा।

श्री श्रवणलाल : अब भी कोई समय बता दीजिए कि कब तक पेमेन्ट हो जाएगा ?

श्री चन्दनमल वैद : जब तक ए. जी. सर्टिफाइड नहीं हो जाता हम पेमेन्ट नहीं कर सकते।

श्री श्रवणलाल : यह बता दें कि जो पिछले आठ साल से मामला चल रहा है, तो और भी आठ साल लग जायेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक ए. जी. सेटीस्फाइड नहीं हो जाता, पेमेन्ट नहीं किया जा सकता। हमने तो बिल बना कर भेज दिया है, अब तो ए. जी. पर निर्भर करता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ए. जी. को कौन सेटिस्फाइ करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : हम ही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जल्दी करिए।

श्री चन्दनमल बैद : जितनी भी खामियां ए. जी. ने निकाली थीं उनका जवाब दे रहे हैं। अब जब भी ए. जी. से बिल स्वीकार हो जाएगा पेमेन्ट हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह बड़े दुख की बात है कि आठ वर्ष से गवर्नमेन्ट ए. जी. को सेटिस्फाइ नहीं कर सकी। सारा रिकार्ड गवर्नमेन्ट के पास है। इसमें किसी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट का तो दोष नहीं है, कोई वेतन झूठा क्लेम किया हो या झूठा टी. ए. क्लेम किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर भी आठ वर्ष तक मामला पैंडिंग रहे, यह बड़े दुख की बात है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह कोई रेगुलर सैलेरी का मामला नहीं है, ५१-५२ में ग्रेड इन्क्रीमेन्ट मिला। उस जमाने का विवाद था कि पांच रुपये या दस रुपये मिलने चाहिए थे, इसका बीकानेर सरकार का आर्डर था, पहले उसके कागजात नहीं मिले। इन सब कारणों से ही देरी हो गई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अब तो सरकार को यह तो कहना चाहिये कि इतने टाइम में डिस्पोजल कर देंगे। इतने दिनों तक पैंडिंग रहे, यह तो ठीक नहीं है। "Justice delayed is justice denied." कुछ न कुछ तो इस बारे में स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए कि अब कब तक पेमेन्ट हो जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : इस बारे में पर्सनली इंटरेस्ट लेकर कार्यवाही करूंगा, लेकिन A. G. must be satisfied and we are trying to plead the case of the deceased person.

श्री भैरोंसिंह : ए. जी. का लेटेस्ट आब्जेक्शन क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह मेरे पास नहीं है इस वक्त।

श्री भैरोंसिंह : फिर आप कैसे बता रहे हैं कि ए. जी. के ऑब्जेक्शन हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो मेरे पास जो जवाब आया उसमें है कि ए. जी. ने क्वेरी की है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

पिड़ावा से झालावाड़ तक का प्रति व्यक्ति किराया

२३. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पिड़ावा से झालावाड़ (जिला झालावाड़) वाया सोयत चलने वाली बस में

(श्री गोविन्दसिंह)

एक यात्री का पिड़ावा से झालावाड़ का क्या किराया लिया जाता है ? यह किराया फी यात्री प्रति मील कितना होता है ?

(२) पिड़ावा से झालावाड़ वाया सोयत वाला रूट कौनसी श्रेणी का रूट है ?

(३) उपरोक्त श्रेणी के रूट का प्रति मील प्रति यात्री कितना किराया वाजिब होता है ?

(४) क्या यह सही है कि किराया रूट की श्रेणी के हिसाब से न लिया जाकर अधिक लिया जा रहा है ?

(५) यदि हां, तो यह अधिक किराया कब से लिया जा रहा है और अभी तक कितना अधिक किराया झालावाड़ ट्रांसपोर्ट व बरसात में कच्चा रूट पर वाया सोयत चलने वाली बसें ले चुकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : पिड़ावा से झालावाड़ वाया सोयत चलने वाली बस में एक यात्री का किराया मय यात्री कर २) ३ नया पैसा लिया जाता है। यह किराया फी यात्री प्रति मील ८ पाई के हिसाब से होता है व इस किराये पर २० परसेन्ट यात्री कर भी वसूल किया जाता है ।

(२) यह रूट 'ए' श्रेणी का है।

(३) इस श्रेणी वाले रूट का किराया प्रति मील प्रति यात्री ८ पाई वाजिब होता है।

(४) जी नहीं ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह : यह जो आपने बताया कि ८ पाई फी मील लेते हैं तो यह कब से लेना शुरू किया ?

श्री भीमसिंह : जब से परमिट इश्यू हुआ। 'ए' श्रेणी का किराया ८ पाई है और जब इस बारे में इन्क्वायरी की गई तो मालूम हुआ कि वे आठ पाई ही ले रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में जो पुराना प्रश्न था उसमें कहा था कि पांच पांच हजार रुपया ज्यादा किराया ले लिया है, उस पर कहा था किराया कम कर दिया है । उस प्रश्न का उत्तर था कि उन्होंने किराया ज्यादा ले लिया है ।

श्री भीमसिंह : आपने अभी हाल का प्रश्न पूछा है, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर आप पहले के बारे में पूछते, तो मैं पहले का बता देता।

श्री गोविन्दसिंह : मेरा निवेदन करना यह है कि पहले साल जब प्रश्न पूछा था तब किराया कम कर दिया गया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने अधिक किराया लिया था, उसके बारे में मैं यह जानना चाहता था कि कितना ज्यादा किराया लिया गया ?

श्री भीमसिंह: यह प्रश्न आपने इसमें पूछा नहीं है। आपने इसमें पूछा है कि "पिड़ावा से झालावाड़ (जिला झालावाड़) वाया सोयत चलने वाली बस में एक यात्री का पिड़ावा से झालावाड़ का क्या किराया लिया जाता है ? यह किराया फी यात्री प्रति मील कितना होता है ?" यह प्रश्न था इसका उत्तर मैंने दे दिया।

श्री गोविन्दसिंह: मैंने यह सूचना प्रश्न (५) में मांगी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): नं० (६) में साफ है।

श्री भीमसिंह: (५) में आपने पूछा है, "यदि हां, तो यह अधिक किराया कब से लिया जा रहा है?" अधिक तो नहीं लिया जा रहा है इसलिये प्रश्न कब का नहीं उठता है। यदि लिया जाता है तो प्रश्न उठता है।

श्री गोविन्दसिंह: ऐसा ही प्रश्न मैंने पचपहाड के लिए पूछा था। उस वक्त किराया कम कर दिया गया था। लेकिन ८-१० साल पहले से वे ज्यादा किराया लेते चले आ रहे हैं, तो पहले जो ज्यादा किराया लिया है वह कितना है?

श्री भीमसिंह: इसके बारे में आप अलग से बात कर लें, तो सारी एन्क्वायरी करके आपको सेटिसफाई कर सकता हूं। किन्तु यह प्रश्न नहीं था, इसलिये आन्सर नहीं आया और इसलिये आपको आन्सर नहीं दे सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय मंत्री महोदय ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह उचित नहीं है। जब गवर्नमेंट के नोटिस में यह बात लाई जाये कि पब्लिक से कोई अनुचित लाभ उठा रहा है तो उनका इन्डीकेशन मिलने पर स्वयं कार्यवाही करनी चाहिए।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): आपने जो एलिगेशन लगाया है उसको हम इवेड कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि किराया ज्यादा नहीं लगाया है। आपने कहा कि किराया ज्यादा लिया गया है, इसका हमें इल्म नहीं है। उसके लिए हम फिर से देख लेंगे और उसकी जांच करके बता देंगे। अगर ज्यादा लिया गया है तो क्या कार्यवाही की गई है, वह भी बता देंगे।

श्री गोविन्दसिंह: पहले भी इसी तरह का एक प्रश्न मैंने पूछा था और यह प्रश्न भी वैसा ही है। दोनों प्रश्न एक से हैं। जब प्रश्न पूछा गया था तो किराया कम दिया गया, लेकिन उससे पहले ज्यादा ले चुके हैं, और अभी तक अगर आप जांच करके देखें तो आपको पता लगेगा कि अब भी ले रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर: इसकी जांच करा लेंगे।

श्री भीमसिंह: पहले वाले क्वेश्चन का इसमें हवाला नहीं था। पहले वाले क्वेश्चन का हवाला होगा तो सारी एन्क्वायरी करा कर सेटिसफाई करेंगे। सारी जानकारी करने पर जो स्थिति होगी वह निवेदन कर देंगे। आज वाले प्रश्न में पहले वाले प्रश्न का कोई जिक्र नहीं था, इसलिये उसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री गोविन्दसिंह: अभी क्या किराया ले रहे हैं?

श्री भीमसिंह: २ रु० ३ न० पैसे ले रहे हैं।

प्रश्न संख्या २४

श्री अध्यक्ष: श्री रावतराम।

(अनुपस्थित —कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री उदयलाल वर्दिया ।

(विराम)

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाडिया) : प्रश्न संख्या २५

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा (उप-मंत्री, खनिज) : (१) जी नहीं ।

(२) बहुत हद तक जालोर जिले का खनिज सर्वेक्षण........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २५

धरियावद से प्रतापगढ रोड का निर्माण और धनराशि

२५. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि धरियावद से प्रतापगढ रोड को तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाने का निश्चय हुआ था और बजट में धन-राशि स्वीकार हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि बजट सेशन १९६२ में विधान सभा में मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि इस सडक का कार्य अगले वर्ष चलाया जा सकेगा ?

(३) क्या यह सही है कि सडक के नहीं होने के कारण प्रतापगढ धरियावद का आवागमन केवल २५ माइल के बजाय वाया उदयपुर–चित्तौडगढ–मन्दसोर होकर १६५ माइल का होता है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार अब भी इस सडक को शीघ्र बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) १२ मील सडक का निर्माण कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सडक का काम कब तक खतम होगा या हाथ में लेने के विषय में सरकार का क्या विचार है ? इस पर कुछ प्रकाश माननीय मंत्री महोदय डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : हाथ में ले लिया गया हो और चौथी पंचवर्षीय योजना में यह हो जायेगा काम ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और खत्म कब किया जायेगा जब हाथ में ले लिया गया है तो ?

श्री हरिश्चन्द्र : हाथ में ले लिया गया है और आगे वह चौथी पंचवर्षीय योजना में वह पूर्ण होगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई उत्तर नहीं है । यह तो मुसद्दीपन का है जवाब ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

जिला जालोर का खनिज सर्वेक्षण

२६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर का अभी तक खनिज सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा नहीं कराया गया है? अगर हां, तो क्यों?

(२) अब जालौर जिले का खनिज सर्वेक्षण कब तक करा लिया जावेगा?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) बहुत हद तक जालौर जिले का खनिज सर्वेक्षण पहले ही करवा लिया गया है जिसके फलस्वरूप निम्न खनिजों का पता लगा है:—

(१) माद्राजुन के पास सफेद मिट्टी जिसका पूरा प्रोस्पेक्टिंग किया गया है।

(२) जालौर तथा तीखी गांव के पास ग्रेनाईट पत्थर उपलब्ध हुआ है, जिसके लिए पॉलिशिंग फैक्ट्री लगाई जा रही है।

(३) मुरी ग्राम के पास फ्लोराइट। यह बहुत ही निम्न श्रेणी का है फिर भी इसके लिए इस वर्ष और सर्वेक्षण किया जावेगा।

(४) जालौर के पहाडों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये बहुत ही थोडी मात्रा में पाये गये हैं।

(५) टोडाग्राम के पास कच्चे लोहे के डिपोजिट। ये बहुत ही थोडी मात्रा में हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

राष्ट्रीयकृत मोटर यातायात में राजकीय धनराशि

२७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राष्ट्रीयकृत मोटर यातायात में राज्य की अब तक कुल कितनी पूंजी लग चुकी है?

(२) राज्य को इससे सन् ६२-६३ तथा ६३-६४ में यात्री टिकटों से कुल कितनी कितनी आय हुई तथा सन् ६२-६३ व ६३-६४ में कुल कितना खर्च हुआ है? इसमें कर्मचारियों के वेतन व भत्ते तथा गाडियों की मरम्मत का खर्च क्या है? कृपया अलग अलग बतावें।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) राष्ट्रीयकृत मोटर यातायात पर राज्य की अब तक कुल पूंजी एक करोड साठ लाख रुपये लग चुकी है। इसके अलावा चालीस लाख रुपये रेल्वे के भी लगे हैं। इस प्रकार आज तक कुल पूंजी २ करोड रुपये की है।

(२) यातायात व्यवसाय पर सन् १९६२-६३ व ६३-६४ में राज्य को यात्री टिकटों से क्रमशः ९०,८३,०४९.०० रुपए तथा १,१७,०६,१८५.०० रुपये की कुल आय हुई है तथा सन् १९६२-६३ व ६३-६४ में क्रमशः कुल खर्चा ६५,५८,३८९.०० रुपये व ९१,६०,२९१.०० रुपये हुआ है तथा उसमें कर्मचारियों के वेतन व गाडियों की मरम्मत पर वर्षवार खर्चा निम्न प्रकार हुआ है:—

सन् १९६२-६३

वेतन, भत्ता पर खर्चा ११,९१,७२८.०० रु०
गाडियों पर खर्चा

(श्री मथुरादास माथुर)

जिसमें सभी खर्चे शामिल हैं	..	५३,६६,६६१.०० रु०
योग	..	६५,५८,३८९.०० रु०

सन् १९६३-६४

वेतन व भत्ते पर खर्चा	..	१८,२०,३९९.०० रु०
गाडियों की मरम्मत जिसमें सभी खर्चे शामिल हैं	..	७३,६९,८९२.०० रु०
योग	..	९१,९०,२९१.०० रु०

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि आपने बताया है कि कुल ११ लाख रुपये ही कर्मचारियों के लिए खर्च होते हैं तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि उनके वेतन-स्तर को ऊंचा किया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, ११ लाख तो ६२-६३ में था और ६३-६४ में १८,२०,३९९ है और उसके बाद ६४-६५ के आंकड़े यहां अभी आये नहीं हैं, मगर राज्य सरकार ने मिनिमम वेजेज एक्ट को ट्रान्सपोर्ट पर लागू कर रखा है उससे लोगों के वेतन और भत्ते बढे हैं, और बराबर इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि सब जगह इन्क्रीज होती है तो इनको भी देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बोनस के सिलसिले में जो फैसला केन्द्रीय सरकार का हुआ है तो क्या इन कर्मचारियों को भी बोनस ४० पर्सेण्ट और कम से कम ४०) रु० मिलेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : उसमें लागू होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आवश्यकता क्यों नहीं है जब कि केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार का निर्णय है और स्टेट रोडवेज भी इस प्रकार की कन्सर्न्स हैं जिस प्रकार की दूसरी कन्सर्न्स हैं, तो उनको क्यों नहीं देते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : पहले मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करके इनकी मिनिमम वेजेज को बढा रहे हैं। सिर्फ मिनिमम वेजेज नीचे की श्रेणियों की ही नहीं बढाई है, बल्कि डिफरेण्ट केटेगरीज पर लागू किया है। मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करने से वेतन बढा है, इसलिये सरकार इस पर अभी विचार करने को तैयार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यातायात कर्मचारी बोनस एक्ट के तहत नहीं आते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जिस बोनस एक्ट की आप बात कर रहे हैं उसके तहत बढाने के वास्ते उससे हमारा संबंध नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह बोनस एक्ट जो अभी लोकसभा ने मन्जूर किया है।

श्री मथुरादास माथुर : उस बोनस एक्ट के अन्दर यह है कि जो जो स्टेट एडॉप्ट कर लेती हैं, उनमें वह लागू हो जायेगा। उसके हिसाब से हम एडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे यहां लागू होगा उसमें कोई चोइस नहीं है, लेकिन अभी तक हमने उसको एडॉप्ट नहीं किया है इसलिए लागू नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल "कालाबादल"।

कोटा में फैक्ट्रियां

२८. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा में सरकार से परमिट प्राप्त फैक्ट्रियां कुल कितनी हैं ?

(२) किस किस ने कब कब से उत्पादन आरंभ किया ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) इस समय तक प्राप्त सूचना के अनुसार कोटा में सरकार से परमिट प्राप्त १२२ फैक्ट्रियां हैं।

(२), (३) व (४) सूचना संकलित की जा रही हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : समझ में नहीं बैठा, साहब।

श्री चन्दनमल वैद : सूचना जो मांगी गई है, वह प्राप्त की जा रही है, इसलिए प्राप्त होने पर दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न संशोधित किया जा चुका है और भाग (२) में केवल यह पूछा गया है कि किस किस ने कब कब उत्पादन आरंभ किया ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है, अगले मंगलवार को इसका जवाब दे दूंगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या उन्होंने कोटा ले लिया और सामान नहीं बनाया उसकी जांच कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : अगले मंगलवार को मैं संशोधित प्रश्न का जवाब दे दूंगा।

कोट मैनुफेक्चर सहकारी समिति, बूंदी

२९. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बूंदी में कोट मैनुफेक्चर सहकारी समिति, बूंदी का निर्माण कब हुआ तथा इसमें कुल कितने सदस्य हैं ?

(२) इसकी शेयर पूंजी कितनी है तथा उक्त सोसाइटी को सरकार ने कितना अनुदान व कितनी रकम कर्जे के रूप में दी है और कब कब ?

(३) क्या यह सही है कि इसका उद्योग बिल्कुल बन्द है और इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं करवाया गया ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह)

(१) कोट मैनुफेक्चर सहकारी समिति लि०, बूंदी के नाम से समिति का पंजीयन दिनांक ३०-९-५८ को हुआ। इसके कुल सदस्य १६ हैं।

(२) इस समिति की हिस्सा पूंजी २,२००) रु० है। इस समिति को ५००) रु० व्यवस्थापकीय व्यय के लिए दिनांक ३१-३-६० को अनुदान और १०,०००) रु० [illegible]

(३) जी हां। दिनांक १०-६-६० से बन्द है और समिति दिनांक ४-३-६५ से अवसायन में लाई जा चुकी है।

(४) जी हां।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस सोसाइटी ने किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया ऐसी स्थिति में उसको अनुदान और कर्जा किस बिना पर दिया गया ?

श्री भीमसिंह: मैंने कहा है कि इसको अवसायन में लाया गया है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अवसायन में तो उसको अब लाया गया है, क्या आपने इससे पहले उसको सामान नहीं दिया था ?

श्री भीमसिंह : अवसायन में लाने के बाद नहीं दिया गया ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो कोटा उसको पहले दिया गया वह वापिस जमा कराया गया या नहीं ?

श्री भीमसिंह : यह समिति अब लिक्विडिशन में चली गई है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सन् ५८ के बाद उसने किसी प्रकार का काम शुरू नहीं किया फिर भी उसको अनुदान का पैसा मिला । आज ५८ से ६५ हो गया है वापिस जमा क्यों नहीं कराया गया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उसको अनुदान की रकम कितनी कब दी गई, यह बतला दीजिये ।

श्री भीमसिंह : ३१ मार्च, ५९ को १०,०००) रु० का ऋण स्वीकार हुआ था और अनुदान ५००) रु० का ३१-३-६० को स्वीकार किया गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अनुदान और ऋण देने के पूर्व क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया कि समिति कार्य कर रही है या नहीं ?

श्री भीमसिंह : यह समिति पहले तो कार्य कर ही रही थी । उसके बाद जब यह रिपोर्ट आई कि समिति नहीं चल रही है, इसमें गड़बड़ है, अनुदान वगैरह का मिसयूज हुआ है, अब उसके खिलाफ कार्यवाही और अवसायन में लाई गई ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पहले आपने किसकी रिपोर्ट पर यह माना कि यह समिति कार्य कर रही है, जिसके आधार पर आपने उसको ऋण और अनुदान दिया ?

श्री भीमसिंह : जब कोई समिति फार्म होती है तो शुरू में यह मान कर चलना पडता है कि वह काम कर रही है । जब इन्सपेक्टर्स और ऑडिटर जाकर देखते हैं और उनको पता चलता है कि वह काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की कार्यवाही की जाती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अनुदान और ऋण की रकम देने से पूर्व सरकार यह मान कर चलती थी क्या कि यह समिति कार्य कर रही है ?

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय सदस्य ने अनुदान और लोन के बारे में पूछा, उसका उत्तर दिया है । किसी समिति का कार्य आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं चलता है, तो लोन देकर अच्छा काम करने के लिये उसको प्रेरित करते हैं । अच्छा काम नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं । फाइनेन्सेज रिसोर्सेज के कारण अच्छा काम नहीं चलता है तो उसको लोन दिया जाता है और दूसरी कार्यवाही की जाती है । इस केस में हमें महसूस हुआ कि जो सोसाइटी

(श्री मथुरादास माथुर).

कार्य कर रही है उसको लोन देने से वह अपने आप सेल्फ सफीशियेन्ट होकर काम करेगी इसलिये उसको लोन दिया गया। साल भर में देखा कि वह अच्छा काम नहीं कर रही है, फेल हो रही है तो उसके खिलाफ लिक्विडेशन की कार्यवाही की गई।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उसको कण्ट्रोल का कितना कोटा दिया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह पहले पूछते तो बता देते। बहुतसों को कोटा देते हैं याद नहीं रहता है।

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद): अनुदान किस पर्पज के लिये दिया गया ?

श्री मथुरादास माथुर: स्टाफ आदि के लिये ५००) एक पैटर्न है उसके अनुसार दिये जाते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: बूंदी में जितनी सोसाइटीज बनी हैं सब बोगस हैं। हजारों रुपये उनको अनुदान और लोन के रूप में दे दिये हैं। इस सोसाइटी ने एक भी वर्दी नहीं बनाई है और आपने उसको कोटा दिया, क्या यह आपकी जानकारी में नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर: आप पूछ लीजिये, जवाब दे दूंगा। सरकार की जानकारी में सब कुछ है, लेकिन इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह: १०,०००) रु० का कर्जा दिया है क्या उसकी वसूली हो चुकी है ?

श्री मथुरादास माथुर: इस सोसाइटी के खिलाफ लिक्विडेशन की प्रोसिडिंग्ज चल रही हैं, जितने इसके एसेट्स होंगे उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें से सरकार को भी मिल जायगा। यदि एक रुपये में बारह आना पांती मिलेगी तो वह सबको मिल जायगी। इसमें लोस ही हुआ है, प्रोफिट का सवाल नहीं है, क्योंकि प्रोफिट होता तो लिक्विडेशन में जाने का सवाल नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

देसूरी और फुलाद रूट पर बस सर्विस

१२. **श्री केसरीसिंह** (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि देसूरी और फुलाद के बीच गत वर्ष दो वक्त बस सर्विस चलती थी और इस वर्ष इस मार्ग पर केवल एक समय ही बस चलती है ?

(२) यदि हां, तो इस मार्ग पर चलने वाली बसों के मालिक अगर अपनी बसें दोनों वक्त नहीं चलाना चाहते हैं तो इस मार्ग पर किसी और को परमिट क्यों नहीं दिये जाते हैं जबकि इसके लिये अन्य पार्टियां तैयार हैं ?

उत्तर

(१) यह सही है कि गत वर्ष देसूरी फुलाद मार्ग पर दो वक्त बसें चलती थीं और इस वक्त भी चलती रही हैं पर जैसा कि ज्ञात हुआ, डीजल की कमी की वजह से एक समय ही चल रही हैं। ऑपरेटरों को हिदायत की जा रही है कि वे पहले की भांति ही दो वक्त बसें फिर चलाना आरम्भ कर देवें।

Page No 36

(श्री यातायात मंत्री)

(२) न तो मौजूदा बस मालिकों ने कभी आना-कानी जाहिर की कि वे दोनों [illegible] द्वारा ही कभी शिकायत प्राप्त हुई है।

चूरू जिले के कुओं एवं कुंडों का निर्माण

२४. **श्री रावतराम** (सादूलपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) चुरू जिले में गत साल अनुसूचित जाति के लिए पीने के पानी हेतु कितने कुओं एवं कुंडों का निर्माण समाज कल्याण विभाग ने करवाया है और कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) नया कुआ बनवाने हेतु विभाग अधिकतम कितनी धनराशि प्रदान करता है ? कृपया यह भी बतायें कि इसमें हरिजनों से कितना हिस्सा लिया जाता है ?

उत्तर

(१) गत वर्ष सन् १९६४-६५ में चूरू जिले में अनुसूचित जाति के लिये पीने के पानी हेतु सरदारशहर के एक कुए की मरम्मत में पम्प आदि के लिये २००० रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया था ?

(२) नया कुआ बनवाने हेतु विभाग अधिकतम २००० रुपये स्वीकृत कर सकता है। हरिजनों से हिस्सा लेने के नियम के अन्तर्गत प्रावधान नहीं है। यदि खर्च २००० रुपये से अधिक हो तो वह नकद या श्रम के रूप में अनुदायी को वहन करना पड़ता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास मण्डल, उदयपुर द्वारा प्लॉट का प्रबंध

१. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर विकास मण्डल ने सन् ६४-६५ में आयुर्वेद महाविद्यालय के सामने सडक के पास प्लॉट काट कर एलोट किए हैं।

(२) यदि हां, तो कितने प्लाट काटे गये और उनका अलॉटमेन्ट किस किस को दिया गया ? उनकी दर क्या है ?

(३) यह प्लॉट किस स्कीम में हैं और इस स्कीम की स्वीकृति राज्य सरकार से कब ली गई है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

नगरपालिका निवाई की अदालतों में मुकदमें तथा उन पर व्यय

२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका निवाई ने सन् १९६०-६१, ६१-६२ व ६२-६३ में हर साल किस किस प्रकार के कितने २ मुकदमें बना कर अदालतों में भेजे ? अलग २ नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) हर साल कितने मुकदमों का अदालतों द्वारा फैसला हुआ और उनमें से कितने मुकदमों का फैसला नगरपालिका के

(श्री जयनारायण सालोदिया)
हक में हुआ व कितनों का खिलाफ ? अलग २ नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) उपरोक्त तीनों सालों में मुकदमों पर हर साल बोर्ड का क्या खर्चा हुआ ? खर्चे की विगतवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

१. वर्ष ६०-६१ की सूचना पालिका में प्राप्त नहीं है । ६१-६२ व ६२-६३ की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२. सदन की मेज पर प्रस्तुत सूचियों में सूचना अंकित कर दी गई है ।

३. मुकदमों पर तीनों सालों में खर्चा निम्न प्रकार हुआ है :—

१. १९६०-६१ ६७१.००

२. १९६१-६२ ७३९.९५

३. १९६२-६३ ४०९.३३

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हिन्डौन नगरपालिका द्वारा सडक निर्माण

३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हिन्डौन नगरपालिका ने जो सडक थाने से नाला तक बनवाई है उसमें कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ? क्या यह कार्य पूर्ण हो गया है ?

(२) यदि नहीं, तो इसका ठेका किस को दिया गया था और अभी तक कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया गया है ?

उत्तर

१. १२९६९.६४ पैसे व्यय हुए हैं । कार्य पूर्ण हो चुका है ।

२. ठेका श्री श्यामलाल बेनीवाल को दिया गया था । सडक का कार्य पूरा हो चुका है ।

नगरपालिका निम्बाहेडा का दवाखाना

४. **श्री अब्दुलजब्बार खां** (निम्बाहेडा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नगरपालिका निम्बाहेडा का दवाखाना कब व क्यों बन्द हुआ और किसके आदेश से बन्द हुआ ? इसके लिये क्या बोर्ड का कोई रिजोल्यूशन पास किया गया था ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह भी सही है कि दवाखाने की हजारों रुपये की दवाइयां खराब हो गई ? यदि नहीं, तो उनका क्या किया गया ?

उत्तर

१. मुत्तालिका हकीम की उम्र ५५ वर्ष हो जाने से पालिका के प्रस्ताव दिनांक १५-७-६२ द्वारा दिनांक १७-७-६२ से बन्द हुआ था । प्रस्ताव पास किया गया था जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

२. यह सही नहीं है। कुछ दवाइयां नियमानुसार ५१) रु० में नीलाम कर दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

सांभर सब-डिवीजन में गत आम चुनावों में वाहनों का प्रयोग

५. **श्री अमरसिंह** (दूदू): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् १९६२ के आम चुनावों में जो वाहन सांभर सब-डिवीजन में सरकार द्वारा अधिकार में लिए गए उनमें से कितनों का किराया अभी देना बाकी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सन् १९६२ के आम चुनावों में १६ वाहन उप-जिलाधीश, सांभर द्वारा अधिकार में लिये गये थे। १० वाहनों के बिल पास कर दिये गये हैं और बाकी ६ वाहनों के बिल प्राप्त नहीं हुये हैं। सूची सदन की मेज पर रखी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

चूरू जिले के गांवों को बिजली देने की योजना

६. **श्री रावतराम** (सादूलपुर): क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९६५-६६ में चूरू जिले के किन किन गांवों को बिजली देने की योजना है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या निर्धारित योजना के चालू साल के लक्ष्य पूरे हो जायेंगे?

(३) गांवों को बिजली देने का क्या आधार है?

(४) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में चूरू जिले के जितने गांवों को बिजली दी जावेगी उसकी पूरी योजना सरकार ने बना ली है? यदि हां, तो उस योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१. सूची संलग्न है। प्रोवीजनल सूची संलग्न है। फाइनल होने पर यदि संभव हो सका तो वित्तीय वर्ष में लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की जायगी।

२. वित्तीय वर्ष में लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की जायेगी।

३. कृषि के लिये बिजली देने की योजना, तकनीकी संभावना, लाइन की समीपता, धनराशि की उपलब्धता, इच्छित सामान की प्राप्ति, योजना का लाभप्रद होना आदि आदि अनेकों तथ्यों के आधार पर व ग्रामों की जनसंख्या तथा वहां पर कृषि विकास की संभावना को दृष्टि में रखते हुए बनाई जाती है।

४. अभी पूरी योजना नहीं बनी है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

रावतभाटा-चेचट तक सड़क निर्माण कार्य

७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा

Page No 39

(श्री जुझारसिंह)
करेंगे:—

(१) रावतभाटा से चेचट पहुंचने के लिये कौन २ से रास्ते हैं और क्या इनको पक्का करने की सरकार की योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि रावतभाटा से घाटादीपपुरा तक सडक पक्की की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस पर अब तक कितना पैसा खर्च किया जा चुका है ?

(३) घाटादीपपुरा से चेचट की क्या दूरी है और इस सडक को कब तक बनाई जाने की योजना है ?

उत्तर

(१) एक मार्ग रावतभाटा से चेचट वाया जालोरबावरी व दीपपुरा घाटा होकर तथा दूसरा मार्ग रावतभाटा से चेचट वाया एकलिंगपुरा होकर। मार्ग नं. २ के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(२) रावतभाटा से जालोर बावरी के भाग में इस विभाग द्वारा दीपपुरा घाटा का कार्य किया गया है जिस पर ५६,०००) रु० व्यय किया गया है बाकी ५ मील का मार्ग कच्चा है और बाकी भाग में सिंचाई विभाग की सडक है।

(३) २५ मील है। यह कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

जयपुर में दस्तकारी

८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष मेटल से बना दस्तकारी (हैन्डीक्राफ्ट) का काफी बडी मात्रा में उत्पादन जयपुर शहर में होता है ?

(२) यदि हां, तो दस्तकारी (हैण्डी-क्राफ्ट) का उत्पादन करने वाले लोगों को कच्चा माल पिछले पांच वर्षों में कितना दिया गया है ? वर्षवार विगत दें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) हैन्डीक्राफ्ट्स का उत्पादन करने वाले लोगों को कच्चा माल जो पिछले पांच वर्षों में दिया गया उसकी तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

मांगरोल से गनेशन तक की कच्ची सडक

९. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि बारां से खातौली (जिला कोटा) तक की सडक में से मांगरोल से गनेशन तक सडक कच्ची है और इस प्रकार काश्तकारों को काफी परेशानी रहती है ?

(२) क्या उपरोक्त कच्ची सडक को पक्की बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) इस सडक को पक्की बनाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है और इसे कब तक पक्का बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, यह सडक कच्ची है।

Page No 40

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(२) जी हां, दिनांक ८-११-६३ को।

(३) गनेश गंज की ओर से ३ मील का कार्य चल रहा है मंगरोल की ओर से ४ मील के टेन्डर आमंत्रित कर लिये हैं जो स्वीकृति के लिये विचाराधीन हैं। बाकी भाग के एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं।

निवाई-बोंली सडक का निर्माण-कार्य

१०. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि निवाई-बोंली सडक प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई है ?

(२) इस सडक के लिये कौन कौन से साल के बजट में कितनी कितनी रकम का प्रावधान रखा गया था ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) कौन कौन से साल में इस सडक पर कितना कितना काम किया गया और अब कितना बाकी है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, यह कार्य द्वितीय योजना में स्वीकृत हुआ है। कार्य चल रहा है।

(२) बजट प्रावधान निम्न प्रकार था :

वर्ष	१९५८-५९ में	५०,०००) रु.
	१९५९-६० में	५०,०००) रु.
	१९६०-६१ में	३०,०००) रु.
	१९६१-६२ में	२०,०००) रु.
	१९६२-६३ में	७५,०००) रु.
	१९६३-६४ में	३५,०००) रु.
	१९६४-६५ में	८०,०००) रु.
	१९६५-६६ में	९०,०००) रु.

(३) वर्ष

१९५९-६० में	१६८१४.४६
१९६०-६१ में	३६५२.००
१९६१-६२ में	४१९८१.९६
१९६२-६३ में	११०५८.९५
१९६३-६४ में	१६३९९.५१
१९६४-६५ में	१२०२१.८६
१९६५-६६ में	७६३७.३२

इस तरह १,०९,५६६.०६ रुपये का कार्य हुआ है और लगभग २,२९,४३४ रुपये का कार्य और होने को है।

अजान के नाले पर पुलिया का अभाव

११. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अजान (भरतपुर) से एक नाला जो ग्राम छोटा खेमरा व बडा खेमरा के पास होकर बहता है उस पर पुलिया का अभाव है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार जनता की परेशानी को देखते हुए नाले पर पुलिया बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

निम्बाहेडा खास में औद्योगिक ऋण

१२. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बा-

(श्री अब्दुल जब्बार)
हेडा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

निम्बाहेडा प्रोपर में उद्योग ऋण किन २ को दिया गया है तथा कितना कितना ? १९५७ से १९६४ तक सालवार दिये गए ऋणों की तथा चालू उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

निम्बाहेडा में सन् १९५७ से १९६४ तक उद्योगों को दिये गये ऋण के ब्यौरे की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, चाकसू, की कृषि सहकारी समितियों को ऋण तथा उसकी वसूली

१३. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति, चाकसू में कितनी कृषि सहकारी समितियां हैं ?

(२) उनको कितना २ अनुदान व ऋण दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जिन कृषि सहकारी समितियों में ऋण की वसूली बकाया है उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति चाकसू में कुल २० सहकारी कृषि समितियां हैं जिनमें से तीन सहकारी कृषि समितियों के विरुद्ध अवसायन की कार्यवाही की जा रही है।

(२) कृषि सहकारी समितियों को दिया गया ऋण व अनुदान की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) केवल लालपुरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० में ऋण की वसूली बकाया है जिसके लिए विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम की धारा ६७ के अन्तर्गत जिलाधीश महोदय, जयपुर को निवेदन किया जा चुका है। कार्यालय जिलाधीश महोदय द्वारा वसूली की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, चाकसू को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)।

चूरू जिले में छात्राओं के लिये छात्रावास की व्यवस्था

१४. **श्री रावतराम** (सादुलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

चूरू जिले में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये छात्रावास कब तक चालू कर दिया जायगा ? क्या यह सही है कि चालू साल में उक्त छात्रावास खोलने का सरकार ने निश्चय किया है ? यदि हां, तो छात्रावास के लिए कौनसा स्थान चुना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

चूरू जिले में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये छात्रावास निकट भविष्य में प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

(११.३५ म.पू.)

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री अनोपसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमित प्राप्त हो चुकी हैं :

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

(१) राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६५

(२) राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

(१) राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६५

(२) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५

(३) राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, १९६५

(४) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ ।

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (अध्यादेश संख्या २, सन् १९६५) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मंत्री और उप-मंत्री कहां गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (अध्यादेश संख्या ३, सन् १९६५) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर विहिकिल एक्ट. . . .

श्री अध्यक्ष : एक अध्यादेश और है ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६५ (अध्यादेश सं. ४, सन् १९६५) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री रामकिशन (वैर) : हिन्दी मंत्रीजी हिन्दी कैसी बना रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जैसी है वैसी पढ रहा हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : आपने यह गलत रखी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 'विपणि' का क्या मतलब है ?

Page No 43

श्री मथुरादास माथुर : मैं इम्तिहान में बैठा हूं क्या ?

श्री रामकिशन : हिन्दी को बदनाम करने के लिये गलत बना रहे हो, समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनायें, नियम आदि ।

सदन को मेज पर रखी गई अधिसूचनायें एवं नियम

श्री मथुरादास माथुर : (परिवहन मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर विहिकल्स अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ. १(३)(५) एच. बी. ।१६२ दिनांक १० नवम्बर, १९६४ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ में नियम १०६-बी. के पश्चात् एक नया नियम १०६ सी. जोड़ा गया है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : विदिन ब्रेकेट्स का मतलब क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : स्पीकर साहब कहेंगे तो बताऊंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १० नवम्बर, १९६४ की सूचना पिछले बजट अधिवेशन में क्यों नहीं रखी ?

श्री मथुरादास माथुर : उस समय उसका हिन्दी अनुवाद तैयार नहीं हुआ था ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पहले आप हाउस में यह एक्सप्लेनेशन दीजिये कि १० नवम्बर, १९६४ की विज्ञप्ति पिछले सैशन में क्यों नहीं रखी ? मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप हाउस को मजाक में न लें । यह कोई वैलिड रीजन नहीं है कि हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मूल आदेश हिन्दी में होते हैं उनका अनुवाद अंग्रेजी में होता है या मूल आदेश अंग्रेजी में होता है और अनुवाद हिन्दी में ही होता है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह पुराना था तब अंग्रेजी में ही बनता था । हिन्दी में ट्रांसलेशन का बाद में निर्णय लिया कि हिन्दी में रख दिया जाय, इसलिये हिन्दी में ट्रांसलेशन कराया गया, उसमें देरी लगी ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि हिन्दी अनुवाद तैयार हुआ या नहीं । सवाल यह है कि जिस दिन नोटिफिकेशन इश्यू किया उस दिन से वह लागू हो गया । इसमें यह कन्सीडरेशन नहीं रहा कि हिन्दी अनुवाद तयार नहीं हुआ इसलिये वह नोटिफिकेशन लागू नहीं हुआ । गवर्नमेन्ट जिस दिन से नोटिफिकेशन लागू करती है उसके बाद इमीजियेटली जब एसेम्बली का सैशन हो, तब एसेम्बली के सामने पेश करना पड़ेगा । गवर्नमेन्ट उसका हिन्दी अनुवाद कराये या नहीं कराये, लेकिन जहां तक एग्जीक्यूशन का सवाल है, एग्जीक्यूशन का मतलब है–अब से शुरू हो गया है । अब गवर्नमेन्ट यह रीजन लेकर चले कि उसका हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए पेश नहीं कर पाये तो यह रीजन वैलिड रीजन नहीं है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को कहना चाहिए कि इस संबंध में गवर्नमेन्ट से गलती हो गई है ।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक पेश करने में देरी हुई है–– उसका मुझे खेद है । वैसे मेरी इच्छा नहीं रही कभी कि देरी से पेश हो । मेरी यह इच्छा रही है कि सदन के

(श्री मथुरादास माथुर)

सामने पेश किया जाय। मैंने आपको वजह बताई जिस वजह से देरी हुई। वैसे पेश हो जानी चाहिए – यह मैं महसूस करता हूं और बराबर इसका पालन करने की कोशिश करता हूं। उस समय ट्रान्जीशनल पीरीयड था। वह अंग्रेजी में निकला था। बाद में फैसला हुआ कि हिन्दी में होना चाहिए। हिन्दी में अनुवाद उस समय नहीं होने की वजह से पेश नहीं हुआ। वैसे वह लागू पहले हो चुका था और क्योंकि हिन्दी में उसका तर्जुमा नहीं हुआ था इसलिए सदन के सामने रखने का हमारे सामने कोई साधन नहीं था। इसलिए हम पेश नहीं कर सके।

श्री भैरोंसिंह : कब हुआ उसका अनुवाद, आप यह बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त अनुवाद नहीं हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : मेरा कहना यह है कि बजट सैशन के पहले अनुवाद हो चुका था।

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : फिर आप बताइए कि कौनसी डेट को हुआ अनुवाद ?

श्री मथुरादास माथुर : सेशन के डेट्स के बाद में हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने खेद प्रगट कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : बार बार खेद प्रगट करते हैं, यह इनकी आदत हो गई है।

श्री अध्यक्ष: यह अच्छी आदत है।

श्री भैरोंसिंह : यह अच्छी आदत नहीं है। अगर खेद प्रगट करने की आदत बन गई तो उसके कॉन्सीक्वेंसेज खराब होंगे। मेरा निवेदन है कि इस पर चैक डालना चाहिए खेद प्रगट करने पर।

श्री रामकिशन : यह चैक डालना चाहिए कि साल में कितनी बार करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो बार खेद प्रगट करने के बाद में बैंच पर खड़ा करना पड़ेगा।

श्री रामकिशन : एक कायदा बना कर खेद प्रगट करना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २६ जनवरी, १९६५ के बाद में राज्य सरकार ने हिन्दी उपयोग चालू कर दिया और उसके बाद जितनी भी सरकारी विज्ञप्तियां थीं, अधिसूचनाएं थीं सब हिन्दी में निकलने लगीं। आपका जो विभाग है, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, हिन्दी विभाग, लेकिन ३ मार्च की जो विज्ञप्ति है, वह हिन्दी में है, उसे आपने क्यों नहीं रखा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जैसा निवेदन कर दिया था उस वक्त अनुवाद पूरा नहीं हुआ था इसलिये नहीं रखी। वैसे हम कोशिश करते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन इश्यू होते हैं उनको एसेम्बली के पहले सैशन में रख दिया जाय। यह नियमानुसार भी आवश्यक है। और जैसा कहा गया है कि हम बार बार खेद प्रगट करते हैं ऐसी स्थिति नहीं है। हम कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन हिन्दी अनुवाद उस समय नहीं हो सका था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो खेद की साक्षात मूर्ति बन गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : Shall I read again ?

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरी अधिसूचना है – मोटर विहिकल्स अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ. १(३)(१९) गृह–ख–ग्रुप–१ । ६३ दिनांक ३ मार्च, १९६५ जिसके द्वारा गृह विभाग की अधिसूचना सं. एफ. १ (३)(१९) गृह-ख-(१) । ६३ दिनांक २८ जून, १९६३ में संशोधन किया गया है ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री वित्त): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री की तरफ से राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, १९५४ की धारा २६(६) के अन्तर्गत वित्त (राजस्व. एवं अर्थ-कार्य) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं ।

(अ) अधिसूचना संख्या एफ०५(४१) एफ. डी. (आर. टी.) ६३ पार्ट २ । दिनांक ४ मई, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ के नियम ५९ में उप-नियम के पश्चात् नया उप-नियम (१–क) जोड़ा गया है ।

(आ) अधिसूचना संख्या एफ. ५(७७) एफ. डी. सी. टी. । ६५ दिनांक २५ मई, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ के नियम ६७ में संशोधन किया गया है तथा नियम ६७ के पश्चात् नये नियम ६७-ए, ६७-बी तथा ६७-सी जोड़े गये हैं ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निर्वाचन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा ८९ (३) के अन्तर्गत:–

(१) अधिसूचना संख्या एफ० १(१) इलैक।डिर।६३ दिनांक ३० अक्टूबर, १९६४ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत निर्वाचन नियम, १९६० में संशोधन किये गये हैं ।

(२) अधिसूचना संख्या एफ०१(१) ५।इलैक।६५, दिनांक २१ दिसम्बर, १९६४ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत नियम, १९६० में संशोधन किये गये हैं ।

(आ) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ७९(२) के अन्तर्गत:—

(३) अधिसूचना संख्या एफ० १ (१) (५) बी।इलैक।६५, दिनांक २१ दिसम्बर, १९६४ जिसके द्वारा राजस्थान जिला परिषद् (सदस्यों का सहवरण) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं ।

(४) अधिसूचना संख्या एफ० १ (१) (२) बी।इलैक।६५, दिनांक २१ दिसम्बर, १९६४ तथा अधिसूचना संख्या एफ ० १(१) (२) बी। इलैक। ६५ दिनांक ३० दिसम्बर, १९६४ जिनके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (सदस्यों का सहवरण) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये है ।

(५) अधिसूचना संख्या एफ०१(१) (७) ५। इलैक।६५, दिनांक ३० दिसम्बर, १९६४ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (ग्राम सभाओं में सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६४ में संशोधन किये गये हैं ।

(६) अधिसूचना संख्या एफ०१(१) (३) बी। इलैक। ६५, दिनांक ३० दिसम्बर

(श्री मथुरादास माथुर)
१९६४ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (प्रधान व प्रमुख का निर्वाचन) नियम, १९६४ प्रकाशित किये गये हैं ।

(७) अधिसूचना संख्या एफ० १(१) (४) २।इलेकशन।६५, दिनांक ३० दिसम्बर, १९६४, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (प्रधान,उप-प्रधान, प्रमुख और उप-प्रमुख के निर्वाचन) नियम, १९५९ में संशोधन किये गये हैं ।

(८) अधिसूचना संख्या एफ० १(१) (३) ५।इलेक्शन।६५ दिनांक २० जनवरी, १९६५, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिष (प्रधान और प्रमुख का निर्वाचन) नियम, १९६४ के नियम २६ के पश्चात् नया नियम २६-ए जोड़ा गया है ।

(९) अधिसूचना सं० एफ० १ (१) (७) ५।इलेक।६५।६१६, दिनांक १७ फरवरी, १९६५, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (ग्राम सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६४ के नियम ७ के पश्चात् नया नियम ८ जोड़ा गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत एवं विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ७९ (२) के अन्तर्गत, पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एफ०४।एल० जे।पी।एस।ए।६४।४१-३३८, दिनांक २ जनवरी, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान जिला परिषद् (प्रमुख का रिक्त स्थान) नियम, १९६५ प्रकाशित किये गये हैं ।

(२) अधिसूचना संख्या ४।एल. जे. पी० एस० ए०। ६४।६३७-६३४, दिनांक २ जनवरी, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (सहयोगी सदस्यों का चुनाव) नियम, १९६५ प्रकाशित किये गये हैं ।

(३) अधिसूचना सं० एफ० (४) विधि। पं. सं. नि. ३, दिनांक २७ मई, १९६५ (नियम. १४ (५) में जारी किये शुद्धि-पत्र सहित) जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कार्य संचालन) नियम, १९६५ प्रकाशित किये गये हैं ।

अधिक अनुदान की मांगों (१९६१-६२) व (१९६२-६३) के विवरण

(सदन की मेज पर रखना)

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, वित्त): अध्यक्ष महोदय, मैं बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री की तरफ से अधिक अनुदान की मांगें १९६१-६२ और १९६२-६३ के विवरण का उपस्थापन करती हूं ।

(११.४७ म.पू.)

सदन की मेज पर रखी गई एक और अधिसूचना

श्री अध्यक्षः एक और रह गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी अधिनियम, १९५० की धारा ७१(३) के अन्तर्गत वित्त (राजस्व एवं अर्थ-कार्य) विभाग (आबकारी अनुभाग) की अधिसूचना संख्या एफ० १ (५७) एफ०डी०।एक्स।६५, दिनांक ११ जून, १९६५ जिसके द्वारा

(श्री दामोदरलाल व्यास)
कुछ राजस्व जिलों में प्रतिरक्षा सेवी वर्ग को उक्त अधिनियम की धारा २८ के प्रावधानों के प्रवर्त्तन से मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(११.४८ म. पू.)

संकट-कालीन स्थिति पर प्रस्तुत होने वाले शासकीय संकल्प विषयक अध्यक्षीय निरूपण

श्री अध्यक्ष: जैसा माननीय सदस्यों को विदित है, आज का दिन एक संकल्प, जो माननीय मुख्य मंत्री प्रस्तुत करने वाले थे हमारे देश पर जो संकट-कालीन स्थिति है उसके सम्बन्ध में, उस पर विचार करने के लिये निर्धारित किया गया था। यह स्वाभाविक ही है कि माननीय सदस्य इस सारी स्थिति के ऊपर अपने विचार और अपनी भावनायें व्यक्त करें। कई माननीय सदस्यों ने कई सूचनाएं भी भेजी हैं, स्थगन प्रस्ताव भी भेजे हैं, और भी अन्य तरीकों से उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि इन सारी परिस्थितियों पर शीघ्र ही विचार किया जाय। परन्तु इस सारी व्यवस्था पर पुर्नविचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है कि आज और कल सरकारी अधिनियम, सरकार की ओर से जो विधेयक हैं दो, उन पर आज विचार किया जाय और कल जो अधिक अनुदान की मांगें प्रस्तुत की गई हैं उन पर विचार किया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे। और आज और कल का कार्य समाप्त होने के पश्चात् सब दलों के नेताओं से पुर्नविचार करके एक तिथि निश्चित की जाय, जब संकल्प पर विचार किया जाय और उस वक्त सारे माननीय सदस्य उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरःस्थापन)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: पुरःस्थापित किया जाय।

इस पर कई माननीय सदस्यों ने

(विराम)

अच्छा अच्छा।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करता हूं। मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों का भी विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

(११.५० म.पू.)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५
(परिनियत संकल्प की प्रस्तुति, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ ....

पहले पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक ले रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): इस संबंध में सप्लीमेण्टरी बिल तो रखा नहीं...

सचिव, विधान सभा (श्री अनोपसिंह): अभी आ रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कट मोशन्स कब रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसके संबंध में माननीय सदस्यों को सूचना मिल जावेगी और समय को भी कुछ आगे कर देंगे या आखिरी समय तक आप संशोधन दे सकेंगे या बोल सकेंगे ।

श्री रामकिशन (वैर) : अगैर संशोधन के ही बोलने दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि · · · ·

श्री अध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र से) पहले माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

पहले आप अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे और फिर मंत्री महोदय करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, "यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक १७ जुलाई, १९६५ को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (अध्यादेश सं० ३, सन् १९६५) को अस्वीकार करता है।"

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो पूर्व इसके कि मैं अपने विचार इस पर व्यक्त करूं, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिन जिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों ने राजस्थान में नियमानुसार शपथ ग्रहण नहीं की, जो उनको नियमानुसार ग्रहण कर लेनी चाहिये थी और उसके कारण यह अध्यादेश जारी करना पड़ा, क्या सरकार उन लोगों की संख्या बता सकती है कि राजस्थान की पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में से कितने ऐसे सदस्य थे जिन्होंने नियमानुसार शपथ ग्रहण नहीं की और उसके कारण सारी कार्यवाही को वैधकरण करने के लिये और दुबारा शपथ ग्रहण कराने के लिये यह अध्यादेश जारी किया । यदि राज्य सरकार के पास संख्या हो तो मैं समझता हूं कि वाद-विवाद में काफी समय की बचत होगी और फर्क पड़ेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह संख्या तो मेरे पास नहीं है । लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि ऐसे सदस्य बहुत अधिक मात्रा में थे जिन्होंने नियमानुसार शपथ ग्रहण नहीं की थी । इसके कई कारण थे । कई जगहों पर प्रधानों ने उनको शपथ नहीं दिलाई और कई जगह उन्होंने कलेक्टर से शपथ ले ली । इसके अलावा कई कारणों से शपथ वक्त पर नहीं ली गई, इसलिये ये अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता पैदा हुई । क्योंकि काफी मात्रा में सदस्य थे और उनको दुबारा चुनाव का मौका दिया जाना और उनको उससे महरूम रखा जाना ना-मुमकिन था, इसलिये यह अध्यादेश जारी किया गया । यह पूरी जानकारी कि किस पंचायत समिति और जिला परिषद् के कितने सदस्य थे, यह इन्फोर्मेशन मेरे लिये सदन को देना नामुमकिन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न सरकार से पूछा वह

Page No 49

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस भावना से प्रेरित होकर पूछा कि संकट-कालीन समय है जब हमारा दिमाग और दिल एक दूसरी तरफ लगा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मैं सदन में इस प्रकार का कोई वातावरण अपने भाषण के दौरान में बनाऊं, जिसको मैं स्वयं नहीं चाहता। और इस लिये मैं चाहता था, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार सदन के सामने कम से कम इतने आंकड़े रख दे कि जिसके आधार पर सरकार इस प्रकार के अध्यादेश जारी करने की जरूरत हुई तो वह इसे जारी करने के औचित्य को सिद्ध कर सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आज सरकार जिला परिषद् और पंचायत समिति में जिन जिन सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की और जिसका बहाना बनाकर राज्य सरकार ने यह कहा कि अमुक जिला परिषद् और पंचायत समितियों में निर्वाचित सदस्यों ने धारा ७२ के अनुसार शपथ ग्रहण नहीं की और अवैधानिक रूप से कार्यवाही में भाग लेते रहे, इसलिये दुबारा इन सारी कार्य-वाहियों को वैधकरण किया जाना चाहिये। इस प्रकार का अध्यादेश १७ जुलाई, १९६५ को जारी किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्थान सरकार और पंचायत विभाग के अधिकारी आज इस बात को बता नहीं सकते कि कितने सदस्य हैं जिन्होंने पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होने के बाद या जिला परिषद् के सदस्य निर्वाचित होने के बाद नियमानुसार शपथ ग्रहण नहीं की। मुझे तो सिर्फ एक व्यक्ति की जानकारी है और मैं समझता हूं कि केवल उसको वैध करण करने के लिये यह अध्यादेश जारी किया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने निर्वाचित होने के बाद शपथ ग्रहण नहीं की, आपने अध्यादेश जारी होने के बाद में ली।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह उस पर लागू नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप लाख चाहें, मैं उन सारी बातों पर नहीं आ रहा हूं। वे भी समझ गये हैं कि किसके लिये यह लाया गया है। पिछली बार भीखाभाई मंत्री थे, उनके पास भी कुछ महिलाओं ने एप्रोच किया और उनका हृदय गद् गद् हो गया और सदन में वह बात आई थी।

श्री दामोदरलाल व्यास :अध्यक्ष महोदय.... Rest assure, I shall not refer those cases.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : .....

(श्री दामोदरलाल व्यास बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rest assure, I shall not refer those cases.

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस सदन में माननीय मंत्री महोदय बहुत पुराने समय से सदन के मंत्री रहे हैं, कुछ समय को छोड़ कर और अध्यादेश जारी करने के बारे में कितना विरोध हमेशा से होता रहा है, वह उनके ध्यान में रहना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धारा २१३ का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिये, न कि इतनी साधारण परिस्थितियों में जैसा कि हमारी राजस्थान सरकार हमेशा करती आ रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो अध्यादेश जारी किया है वह इसलिये कि अधिकांश पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्यों ने जो निर्वाचित हुए थे, उन्होंने नियमानसार शपथ ग्रहण नहीं

Page No 50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की थी, लेकिन मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनको शपथ दिलाने का काम आपके विभाग और विभाग के अधिकारियों का था। बिना शपथ दिलाये काम करने देने की जिम्मेदारी तो जिलाधीशों की थी कि नियमानुसार धारा ७२ के अनुसार कार्यवाही में भाग लेते हैं और कार्यवाही अवैधानिक हो, संविधान के खिलाफ हो, कानून और नियमों के खिलाफ हो, नियमों को बलाये-ताक रख कर पंचायत समिति और जिला परिषद् में और लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के राज में आज से ६ महीनों तक काम करते रहें, मैं समझता हूं कि यह आपकी सरकार के लिये कलंक की बात है।

(१२.०० मध्यान्ह)

आज आप इस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, राजस्थान सरकार हिन्दुस्तान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम पर ढोल पीटती रही है, जिन स्थितियों में राजस्थान की पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें आज इस संकट-काल में राजस्थान की दो करोड जनता के मनोबल को ऊंचा करने में लगी रहनी चाहिये, संविधान की पवित्रता को भंग होने से बचाने की हमने यहां शपथ ग्रहण की, पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के सदस्यों के माध्यम से सरकार को वह कार्य कराना चाहिये, यह काम सरकार पंचायतों, पंचायत समितियों के निर्वाचित सदस्यों से नहीं करवा सकी; पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के चुनाव हुए, उनमें सरकार इतनी लिप्त रही कि उसको होश नहीं रहा कि पंचायत समितियों के सदस्यों को शपथ दिलानी है। मुझे जानकारी नहीं है कि हिन्दुस्तान के बाहर भी कोई इस प्रकार की लोकतान्त्रिक सरकार है या हिन्दुस्तान में कोई राज्य सरकार ऐसी है जिसने नियमों को बलाए ताक रख कर इस प्रकार के अध्यादेश को लागू करके शपथ ग्रहण कराई हो। सारी कार्यवाही अवैध हो गई शपथ ग्रहण नहीं करने के कारण, उसे वैध करने के लिये अध्यादेश जारी किया जाता है, शपथ ग्रहण नहीं की और सारी कार्यवाही की, वह सारी कार्यवाही अवैध हो गई।

राजस्थान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण चल रहा है; क्या सरकार ने कभी सोचा कि किस प्रकार इसको मजबूत बनाया जाय, कभी चुनावों में गडबड हो जाती है, कभी शपथ ग्रहण नहीं कराई जाती है। जितनी सारी अधिसूचनाएं ये सदन में पेश की गई हैं, इनमें से ३।४ अधिसूचनाएं पंचायत विभाग के बारे में हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में पंचायत विभाग का काम जिस तरीके से चल रहा है, वह कतई संतोषजनक नहीं है। जिन संकटकालीन परिस्थितियों में से आज राजस्थान गुजर रहा है, राजस्थान सीमावर्ती राज्य है, उसकी सुरक्षा राजस्थान के उस सेक्रेटेरियेट में बैठने वाले १८ मंत्री उतनी नहीं कर सकते जितनी कि २६ जिला परिषदें, २३२ पंचायत समितियां, साढे सात हजार पंचायतें और उनके ९० हजार चुने हुए पंच और सरपंच कर सकते हैं। ये जितने निर्वाचित लोग हैं इनके ऊपर भी सारी जिम्मेदारी आनी चाहिये। राजस्थान की सरकार पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के सम्बन्ध में नागरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिये अगर अध्यादेश जारी करती तो यह सदन उसका स्वागत करता, नागरिक सुरक्षा के कार्यों में इनको किस प्रकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
लगाया जा सकता है, राजस्थान पर जो दुश्मन का हमला हो रहा है उस स्थिति में नागरिक सुरक्षा को इन निर्वाचित संस्थाओं एवं इनके निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किस प्रकार नागरिक सुरक्षा को अधिक से अधिक मजबूत किया जा सकता है, इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया जाता तो यह सदन उसका स्वागत करता । आज राजस्थान में उदाहरणों की कमी नहीं है, अनेकों स्थानों पर राजस्थान में अनेकों पंचमार्गी हैं, गांव गांव में, तहसीलों में, जिला केन्द्रों में, जो हमारी सीमा सुरक्षा के लिये खतरनाक साबित हो सकते हैं। राजस्थान सरकार ने ६५ आदमियों को गिरफ्तार किया है । इस सदन के इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अनेकों बार मांग की है कि पाकिस्तान के नागरिक यहां राजस्थान में बसे हुए हैं, जिनके पासपोर्ट की मयाद खत्म हो गई, ऐसे अनेकानेक लोग राजस्थान में बसे हुए हैं, जिनके बारे में आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि कोई ५२ में आया, कोई ५४ में आया, दस दस साल हो गये, राजस्थान के बाहर ऐसे लोगों को कभी का निकाल दिया जाना चाहिये था, पर न पंचायत समितियों की तरफ से रिपोर्ट की गई, न पंचायतों की तरफ से किसी प्रकार की रिपोर्ट की गई, न विकास अधिकारियों की तरफ से कोई रिपोर्ट की गई और न किसी विलेज लेवल वर्कर ने ही रिपोर्ट की और न पुलिस के अधिकारियों ने ही रिपोर्ट की, वे राजस्थान में बसे हुए हैं, उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर लिया है, वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिया है, पंचायतों के सदस्य हैं, शायद पंचायत समितियों में भी गये होंगे, इस प्रकार की जानकारी पिछले सदन में माननीय सदस्यों ने रखी थी।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की संकटकालीन स्थिति में पंचायत विभाग नागरिक सुरक्षा की कार्यवाहियों में सबसे अधिक काम कर सकता है, नागरिक सुरक्षा के कार्यों में यदि सबसे अधिक प्रभावकारी काम कोई कर सकता है तो वह पंचायत विभाग ही कर सकता है और पंचायत विभाग से राजस्थान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है । बाडमेर के इलाकों में दस दस हजार बीघा जमीन पर पाकिस्तान के लोगों का कब्जा हो गया है, लगान देते रहे, बाद में यह तो जिलाधीश को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने कार्यवाही की । तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के माध्यम से क्यों नहीं नागरिक सुरक्षा की कार्यवाही को सुदृढ़ बनाती है ? जैसे पंजाब में की गई, पाकिस्तानी पकड़े गये। पंचों, सरपंचों, विकास अधिकारियों और सरकार के और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जायगा, ऐसे लोगों के विरुद्ध राष्ट्र हित में कार्यवाही की जायगी, पर आपने उस दृष्टि से कोई कार्यवाही नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आज उन सारे मसलों को जो सदन में लाये जा सकते हैं, लाना नहीं चाहता, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने निवेदन किया है, सदन मेरे इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेगा कि खास तौर से जो हमला पाकिस्तान की तरफ से हमारे राजस्थान पर किया जा रहा है, हमारे देश पर किया जा रहा है तथा चीन की ओर से धमकी दी जा रही है और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उससे जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बनती जा रही है, राजस्थान सीमावर्ती राज्य है; पाली, जालौर, बाडमेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर ये ६-७ सीमावर्ती जिले हैं, इनमें सुरक्षा की दृष्टि से कार्य किया जाना चाहिये; पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के माध्यम से कार्य किया जाना चाहिये, जहां निर्वाचित सदस्य रहते हैं, एम. एल. एज्. रहते हैं, जिला परिषदें जो सारे जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहां उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिये नागरिक सुरक्षा को सुदृढ बनाने के सम्बन्ध में, तभी संकट से छुटकारा पाया जा सकेगा। पिछले संकट-काल में कई पंचायती क्षेत्रों में, पंचायत समिति क्षेत्रों में रक्षा व्यवस्था के लिये रुपया इकट्ठा किया गया, उनके सम्बन्ध में कई जगह पुलिस थानों में जांच हो रही है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिये इकट्ठी की गई चन्दे की रकम को कोई खा जाय तो बडे से बडा जुर्म हमको उन लोगों पर आयद करना चाहिये। जितनी गडबडियां हैं, पाकिस्तान के लोग हमारे यहां राजस्थान में घुसे हैं; कैसे उन लोगों ने नाम लिखाये, कैसे खातेदार बने, इन सब कार्यों की पूरी जांच की जानी चाहिये पंचायतों और पंचायत समितियों के माध्यम से। मैं पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर सारी मशीनरी को इस प्रकार गीअर-अप करें कि सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल गृह विभाग, मिलिटरी, जिला प्रशासन नहीं सम्हाल सकता, राजस्थान की जनता में विश्वास पैदा किया जा सकता है तो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की इकाइयों के माध्यम से, ये इकाइयां उनकी जिम्मेदारी निभाने को तैयार होंगी तो उनके माध्यम से हम दावा कर सकते हैं कि देश पर किसी भी प्रकार का हमला आये, राजस्थान कभी मार नहीं खायेगा, राजस्थान अपनी परम्परा को ऊंचा रखेगा। लेकिन राजस्थान के सारे मनोबल को ऊंचा उठाने का, राजस्थान के हौसले को ऊंचा उठाने का सबसे बड़ा माध्यम पंचायत इकाइयां हैं। इसलिए सरकार इस संबंध में, आशा है, आवश्यक आदेश देगी। उस संबंध में जो अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता हो आप करें, सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस प्रकार के अध्यादेश जो आप छोटी छोटी बातों के लिए करते हैं, वह ठीक नहीं। आप इस संबंध में सदन को आश्वासन दें कि जिन अधिकारियों की गलती से ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाहियां होंगी और ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा आश्वासन दें। अगर सरकार ने आश्वासन नहीं दिया और सदन को विश्वास नहीं हुआ कि सरकार, जो सुझाव दिया जाता है उसको सरकार ईमानदारी से क्रियान्वित करेगी तब तो सदन से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे संकल्प को स्वीकार करें और अध्यादेश को अस्वीकार करें। और अगर सरकार पंचायत इकाइयों के माध्यम से सुरक्षा करने के प्रयास का आश्वासन दे और आवश्यक कदम उठाने का वचन दे तो फिर सदन उस पर विचार कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प पेश करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : श्री नत्थीसिंह।

(इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)

श्री रामकिशन (वैर)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा)

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)

१. "राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक माह। सात दिन। ३ माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"

श्री धौसरसिंह बाबेल (बैंगू)

श्री दुर्गालाल बादढदार (हवामहल, जयपुर)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)

२. "राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर।१५ दिन में। एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जिन सदस्यों ने प्रवर समिति को भेजने का सुझाव दिया है·······

श्री अध्यक्ष : वह भी आएगा इनके बाद में।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को पढने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस अध्यादेश के द्वारा सरकार ने राज्य के उन निर्वाचित प्रतिनिधियों की सेवा की है जो किसी अपनी भूल के कारण या किसी और कारण से शपथ ग्रहण करने से वंचित हो गए हों। लेकिन मैं इस सदन के द्वारा इस बिल में जो खामियां हैं या गलतफहमियां हैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर वे खामियां नहीं होतीं या इन्टरप्रिटेशन में गलती नहीं होती, तो आज इस अध्यादेश की आवश्यकता नहीं पड़ती।

आज जिला परिषद् के सदस्य एम० एल० एज़० होते हैं, प्रधान होते हैं, पंचायत समितियों के सदस्य, सरपंच होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, आज कहा जाता है कि उनको शपथ लेना जरूरी है उसके पद विशेष के कारण जिसकी शपथ पहले आप ले चुके हैं। इस बात को साफ समझना चाहिए कि यह गलत है। जो पदेन सदस्य हैं उनको उन संस्थाओं में जाकर दुबारा संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेने की जरूरत नहीं है। आज पंचायत समितियों में और कई जिला परिषदों में इस प्रकार का विवाद खड़ा हुआ है कि फलाने एम० एल० ए० ने, फलाने सरपंच ने शपथ नहीं ली; अध्यादेश जो जारी किया गया है उससे केवल फायदा उन सदस्यों को हो सकता है जो पंचायत समितियों के सहवृत सदस्य या

(श्री नत्थीसिंह)

जिला परिषदों में सहवृत सदस्य होते हैं। इसलिए यह अध्यादेश उन सरकारी अधिकारियों की अक्षुण्णता और कार्यकुशलता की कमियों को बचाता है। कानून में प्रावधान है कि चुनाव के एकदम बाद निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचित सदस्य को शपथ ग्रहण करानी चाहिए और उनकी गलतियों को छिपाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। इसलिए सदन को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि इस तरह की अध्यादेश लाने की जो प्रवृति है वह आगे नहीं बढ़े। आज पंचायत विभाग जिनके के चार्ज में है वे स्वयं वकील भी हैं। उसे स्वयं समझना चाहिए कि दुविधा की स्थितिकोमिटाने के लिए कोई कदम उठाए जिससे पंचायत समिति और जिला परिषद् में विवाद खड़ा हुआ है। एक प्रधान जिला परिषद् में शपथ ग्रहण नहीं करता है। इतने दिनों शपथ ग्रहण नहीं की है लेकिन आपके अध्यादेश के बाद क्या आप उसे जिला परिषद् से वंचित कर देंगे और वंचित कर देंगे तो वह पंचायत समिति में जहां वह प्रधान चुना गया है वहां उसने शपथ ग्रहण की है इसलिए आप उसे नहीं हटा देंगे। तो इस कानून का क्या मतलब निकलता है? असल मेंमूल कानून को समझने की जरूरत है। जो सहकारी समितियों से चुनकर आते हैं या सहवृत सदस्यों के रूप में आते हैं उनको उसी दिन, जिस दिन वे चुनकर आते हैं, शपथ ग्रहण कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी पर है।

इसका दूसरा पहलू भी है। जहां पंचायत समितियों और जिला परिषदों में जो निरंकुश वातावरण पैदा हो रहा है और जहां सरकार के विपक्ष में बातें पड़ती हैं तो उनको बाईपास करने के लिए इस प्रकार के अध्यादेश जारी होते हैं और अपनी गलतियों पर पट्टी डालते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण है कि एक सर्क्यूलर विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है एमर्जेन्सी का नाम लेकर जिस एमर्जेन्सी में हम सब एक हैं, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भारत का एक एक नागरिक सरकार के साथ है, लेकिन अगर सरकार राजनैतिक कारणों से एमर्जेन्सी की स्थिति का अपने लिए शोषण करना चाहे तो निश्चित रूप से ऐसा वातावरण बनेगा जिसस लोगों के दिमाग में वहम होगा कि शासक-दल अपने राजनैतिक हितों की सुरक्षा करना चाहता है। अभी अभी १५ तारीख को हमारे जिले में एक पंचायत समिति बयाना में अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने वाला था। १२ या १३ तारीख को विकास विभाग से एक हुक्म पहुंचता है कि पंचायत समिति की मीटिंग नहीं बुलाई जायगी और विचार नहीं किया जायगा, क्योंकि देश में आपत्तकालीन स्थिति है। यह नीति यदि सब जगह लागू होती हो बात समझ में आती। लेकिन जिन नगरपालिकाओं में सरकार दल समझता है वह वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पास कराया जाना चाहिए वहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, वहां आज भी तारीखें निर्धारित होती हैं और विचार-विमर्श किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा, उस पर विचार हुआ और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाया गया, वहां ३०० सदस्य विचार करते हैं। हमारे जिले के केस में स्थिति साफ थी। केवल एक प्रधान को बचाने के लिए, ताकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास न हो, एमर्जेन्सी की स्थिति का शोषण किया गया जो अत्यन्त निन्दनीय है।

पंचायत समितियां आखिर क्या करती हैं। जहां अंकुश लगाने की बात है, विकास

(श्री नत्थीसिंह)
विभाग कहां तक उनकी बातों को ठीक तरह से रोक सकता है ? वहां भी केवल राजनैतिक कारणों से इसका उपयोग किया जाता है। हमारे यहां कुम्हेर में २१ अगस्त को जलसा हुआ। ५ अगस्त को काश्मीर में पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया, देश की गंभीर स्थिति थी। २१ तारीख को हमारे प्रदेश में सूखा था, बरसात नहीं थी। हमारे जिले के लोगों ने सोचा था कि अब अनावृष्टि के कारण अकाल आएगा; पिछली बार शीत के कारण, अब की बार अनावृष्टि के कारण। उस २१ तारीख को जहां एक ओर हमारी सरकार एमर्जेन्सी के कानून का सहारा लेकर यह कहते हैं कि हम हर तरह से देश को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हमारा देश आक्रमण-कारियों का मुकाबला कर सके, देश के साम तो ऐसी स्थिति थी और हमारे जिले के सामने अकाल की समस्या थी, उस वक्त कुम्हेर के अंदर पंचायत समिति में एक वर्षगांठ मनाई जाय। किसी को वर्षगांठ मने मुझे कतई एतराज नहीं है। लेकिन उस वर्षगांठ को मनाने वाले कौन हैं ? जिला कांग्रेस कमेटी, पंचायत समिति नहीं। लेकिन आप देखिये कि हमारे जिले के जो केन्द्रीय मंत्री हैं श्री राजबहादुरजी उनकी वर्षगांठ मनाने के लिये पंचायत समितियों ने, कलेक्टर से लेकर पटवारी तक के तमाम सरकारी अधिकारियों ने सरकारी साधनों के द्वारा उस वर्ष गांठ का समारोह किया। वह कांग्रेस का जलसा नहीं, सरकार का जलसा था। तमाम सरकारी अधिकारी कलेक्टर, एस० डी० ओ०, तहसीलदार, विकास अधिकारी, पटवारी आदि सब लग गये। बहाना क्या किया गया कि नेहरू उद्यान का उद्घाटन होना है। मुख्य मंत्री जो उद्घाटन करेंगे। यह जलसा पंचायत समितियों द्वारा मनाया गया। हमारे मुख्य मंत्रीजी, योजना मंत्रीजी, केन्द्र के मंत्री जिनकी वर्ष गांठ मनायी जा रही थी और हमारे डिप्टी मिनिस्टर चंदनमलजी भी वहां पर विराजे हुए थे। जनता यह खुल कर कह रही थी कि पंचायत समितियों के साधनों का अपने राजनैतिक कारणों के लिये दुरुपयोग मत कीजिये, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जनता यह कहती रही कि मुख्य मंत्रीजी कम से कम हमारे यहां अकाल पड़ा है, देश पर इस प्रकार दुश्मन का आक्रमण हो रहा है, आप हमारी बात सुनें तो सही कि आपने हमारे लिये अनाज का क्या प्रबन्ध किया है और कितने आप आक्रमण के प्रति सजग हैं ? मैं उस स्थिति में आज नहीं जाना चाहता।

पंचायत समितियों ने किस प्रकार से सरकारी धन और साधनों का दुरुपयोग किय उसके दो उदाहरण मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। सरकार इस प्रकार की बातों को अध्यादेश और सर्क्यूलरों के द्वारा दबाना चाहती है। भरतपुर जिले की पंचायत समितियों ने इस वर्ष गांठ को मनाने के लिये एक टैक्स लगाया। टैक्स इस बात का लगाया कि जो लोग सीमेन्ट लेते हैं उनको कम से कम १) रु. वर्ष गांठ के लिये चन्दा देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो उनको परमिट नहीं मिलेगा। १) ही नहीं ३६००) कुम्हेर, बयाना, ताना आदि पंचायत समितियों ने लिया है। उनकी शिकायतें की गई। फोटो और परमिट पेश किये गये कि जबरदस्ती पंचायत समितियों ने सीमेन्ट पर, यहां तक पंचायत समिति के प्रशासनिक फैसलों पर इसके लिये टैक्स लगाये गये हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्य मंत्रीजी को भी कहा। उसके मुकाबले में जनता पर लाठी चार्ज किया गया और जेल दिखायी गयी। दूसरी बात है जो

(श्री नत्थीसिंह)

बहुत ही शर्मनाक है वह की गई। मैं अपने साथ वह अखबार भी लाया हूं जिसको मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। इसमें पंचायत समितियों के उन सब प्रकाशनों के फोटो हैं जिनको सौर मंडल कहें, या नवग्रह कहें, जो भी चाहें कहें, उन पंचायत समितियों ने विज्ञापन निकलवाये। पंचायत समिति कुम्हेर का विज्ञापन है, पंचायत समिति बयाना का विज्ञापन है, उन सब के विज्ञापन हैं कि ५४ वें वर्ष के लिये राजबहादुरजी का अभिनन्दन करते हैं। बहुत अच्छा है अभिनन्दन करें, राष्ट्रीय और सरकारी साधनों से। लेकिन इस अखबार में सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगी जिसको देख कर हैरत आवेगी कि इस राष्ट्र के नायक के साथ जिसको उधर के बैठने वाले और इधर के बैठने वाले सब ही राष्ट्र नायक मानते हैं, उन पं० जवाहरलाल नेहरू की स्मृति के साथ एक विश्वासघात किया गया है। पंचायत समितियों के साधनों से छपने वाले अखबार के मुख पृष्ठ पर जो फोटो छपा है उसको भी देखें। मुख्य मंत्रीजी को दिखाया गया है राजबहादुरजी को माला पहनाते हुए। पं० नेहरू के फोटो से सिर अलग कर दिया जाता है और धड़ रहने दिया जाता है, उस धड़ पर राजबहादुरजी का सिर लगाया गया है। उनको सुखाड़ियाजी माला पहिनाते हुए नजर आ रहे हैं। उस राष्ट्र नेता की स्मृति के साथ यह विश्वासघात किया गया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। जिला कांग्रेस के भूतपूर्व नेता मोतीलाल परासर ने यह बात कही है और पत्र लिखा है कि यह बड़ा ही अन्यायपूर्ण काम हुआ है और जघन्य अपराध हुआ है पं० नेहरू की स्मृति के साथ। राजबहादुरजी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो धोती कुर्त्ता पहिने हुए था और गरम शेरवानी और चूड़ीदार पायजामा में नहीं था। पंडित नेहरू के धड़ पर आपका सिर छपा हुआ है इसमें, वह कहां तक सही है? वे तो धोती कुर्ता में ही थे। विकास विभाग सो रहा है। उनके पास शिकायत आयी और उनसे पूछा गया कि आप बतायें कि इस प्रकार पंचायत समितियों के साधनों का दुरुपयोग करके शताब्दियां मनायी जायं, वर्ष गांठ मनायी जायं? देश की आजादी के अगुओं, राष्ट्र-नायक, जिसने आजादी के बाद १७ वर्ष तक देश की बागडोर सम्हाली, उनके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध किया जाय और आपको इस प्रकार की कार्यवाही के लिये दंड देने की ताकत नहीं। उसके लिये आपके पास कोई अध्यादेश नहीं, कोई नोटिस नहीं?

सदन में हम पहले ही कह चुके हैं कि जो पंचायत समितियां अन्याय करती हैं, अत्याचार करती हैं उनके लिये आप कुछ नहीं कहते कि आखिर यह क्या करती हैं? उदाहरण के लिये कहूंगा। सदन में पिछली बार भी कहा था कि एक अध्यापक पिछले चार साल से मौत्तिल पड़ा है। उसके लिये पिछले विकास मंत्री ने कहा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है उसका बहुत जल्दी फैसला कर देंगे, लेकिन उसका फैसला आज की तारीख तक तो हुआ नहीं और वह आज भी मौत्तिल पड़ा है। पंचायत समिति फैसला नहीं करेगी, विकास विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कहते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं है। अध्यादेश जारी करना था इस बात का कि पंचायत समितियां अपने कर्मचारियों के साथ निरन्तर जो अन्याय करती हैं उनको किसी प्रकार दंड दिया जा सके और उनका यह अन्याय मिट सके। कानून की सही व्याख्या है उसके अनुसार उनको दंड दिया जा सके और उनसे जवाब तलब किया

(श्री नत्थीसिंह)

जा सके। लेकिन आप उन्हीं को बचाने के लिये इस प्रकार के अध्यादेश जारी करते हैं तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं और यह जनाना चाहूंगा कि विकास मंत्री बतायें कि पंचायत समितियां जो इस प्रकार के अन्याय और अत्याचार करती हैं उनको मिटाने के लिये आपके पास क्या अधिकार है ? एक डकैती का मुकदमा चलाया, डी० आई० जी०, सी० आई० डी० ने कहा कि मुकदमा चलाना चाहिये, लेकिन मुख्य मंत्रीजी के वहां चरण कदम हुए कि डकैती का मुकदमा भी नहीं चला। कुम्हेर के प्रधान ने कितनी प्रगति की यह नहीं देखा ? आज जो इस प्रकार के अध्यादेश लाये हैं बिना मस्तिष्क से लाये हैं, ऐसे अध्यादेश नहीं लायें। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें। पंचायत राज को, ग्रामीण राज को सही माने में स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो कानून में सांगोपांग आमल-चूल परिवर्तन करना चाहिये। इसके लिये सदन से दो–तीन दिन का समय ले लिया जाय और सही कदम उठाया जाय। अन्यथा यह कानून के साथ भी बेइन्साफी होती है। इन शब्दों के साथ में हाउस से निवेदन करूंगा कि इस अध्यादेश को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन विधेयक को एक महीने के लिए जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया है। मैं इस सदन में आज से पहले भी कई बार कह चुका हूं . . .

श्री दामोदरलाल व्यास (विकस मंत्री) : I have not yet moved this resolution (motion) for consideration. That stage will come later on.

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को विचारार्थ रखने से पहले आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों ने जो कुछ बातें रखी हैं उनका संक्षेप में जिक्र करना चाहूंगा।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने हालांकि वे अभी नहीं हैं, उन्होंने कुछ बातें कहीं इस अध्यादेश के लिये। वे यह जानना चाहते थे कि इस अध्यादेश के जारी करने के लिये कितनी पंचायत समितियों ने और उनके कितने सदस्यों ने, जिन्होंने वक्त पर शपथ नहीं ली, कहा था कि इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया जाय। यह मेरे लिये ऑफहैन्ड जवाब देना मुश्किल है, फिर भी मोटे रूप में जो मुझे जानकारी है मैं बताना चाहता हूं कि इस बारे में जितनी शिकायतें आयी थीं वह काफी तादाद में थीं और काफी सदस्य ऐसे थे जो बगैर शपथ लिये हुए थे, इसलिये मुनासिब समझा कि उनके स्टेटस को प्रोटेक्ट किया जाय।

बीकानेर की, कोलायत, बीकानेर और नोखा, नागौर की तीन पंचायतें व भीलवाड़ा की दो। इस तरह से सात–आठ पंचायत समितियों और सदस्यों की शिकायतें आई थीं जहां पर कि लोगों ने सदस्यता की शपथ ग्रहण नहीं की। केवल एक गलती की वजह से किसी को उनके अधिकारों से वंचित रखना उचित नहीं है। इसके तीन कारण हो सकते हैं–एक तो लोगों की जानकारी नहीं थी कानून की। दूसरी बात यह भी हो सकती है प्रधान और उप-प्रधान जहां दूसरी पार्टी के चुनकर आये हों उनको जान-बूझकर शपथ नहीं दे रहे हों। तीसरा कलेक्टर के पास शपथ लेने के लिये जाना चाहिये, लेकिन राज्य सरकार के आदेश होने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाहिये, बगैर आदेश के ही चले गये। इस तरह से बहरहाल किसी की भी गलती से हो इसमें सदस्यों की गलती नहीं, लेकिन जहां लार्ज स्केल पर लोग अफेक्टेड होते हों तो सरकार का फर्ज है कि सदस्यों के लिये वापिस चुनाव के लम्बे प्रोसेस में भेजा जाय, उनको वेलीडिटेट करना ज्यादा उचित था, इसलिये यह अध्यादेश जारी किया गया, ताकि लोगों को अनावश्यक असुविधा न हो, इसलिये यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है।

यह कहना कि सरकारी अधिकारियों की गलती को छिपाने की गरज से यह किया गया है, यह कतई नहीं है। यह आवश्यक है कि किसी भी ऑर्डिनेन्स को बनाया जाता है तो उसके लिये कान्सीक्वेन्शियल प्रोवीजन रखना पड़ता है। कुछ सदस्यों ने शपथ नहीं ली इसलिये कॉन्सी-क्वेन्शियल प्रोवीजन रखना पड़ता है। सरकारी अधिकारियों की गलती को छिपाने की गरज से यह ऑर्डिनेन्स लाया गया हो यह समझना गलत है। दर असल में पिछली पंचायत समिति में जो भी कार्यवाही हुई हो, उनमें ऐसे मेम्बर्स ने भी हिस्सा लिया हो, जिसने वक्त पर शपथ नहीं ली हो, इसमें सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि एक अधिकारी तो होता नहीं, विकास अधिकारी की नोलेज में न आये ऐसा मेम्बर हाजिर हो सकता है जिसने शपथ नहीं ली हो, तो उसकी कार्यवाही को वेलिडेट करना आवश्यक है और उसी के लिये यह कोन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है और उसी के लिये यह अध्यादेश लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

दूसरी बात भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी बातें कहीं। पंचायत समिति, कुम्हेर के लिये मैं समझता हूं कि उन सब बातों का इस अध्यादेश से कोई सम्बन्ध नहीं। इसलिये जो बातें इस अध्यादेश से संबन्धित नहीं हैं, उनका जवाब देकर मैं सदन के समय का अपव्यय करना उचित नहीं समझता। मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी एलीगेशन्स उन्होंने लगाये हैं, उनके लिये मैं यही कहना चाहता हूं कि जब पंचायत समिति ने तय कर लिया चन्दा देना, परमिट देना आदि जो भी पांच छः पंचायत समितियों के खिलाफ आरोप लगाये हैं, मैं उनसे अर्ज करना चाहूंगा कि चाहे पंचायत समिति वैर हो, कुम्हेर हो, भरतपुर हो, कोई भी हो जहां भी अनियमित कार्यवाही हुई है, उसके लिये आप बाकायदा शहादत पेश करेंगे और शिकायत करेंगे तो मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरतूंगा। मैं उनसे यह कह दूं कि न तो उनकी तरफ से और न किसी की तरफ से एक भी शिकायत मेरे पास आयी है। जहां तक अखबारों में खबरें छपने का सवाल है, अखबारों में कई प्रकार की खबरें छपती हैं उन सबके लिये एक्शन लेना मुमकिन नहीं। आपने एक अखबार का नमूना पेश किया उसमें कहां तक तथ्य है, यह मैं नहीं कह सकता, वे स्वयं इसके बारे में ज्यादा वाकिफ होंगे।

किसी की वर्षगांठ मनाई गई, पंचायत समिति से हॉल लिया गया, उन सब का इस अध्यादेश से सम्बन्ध नहीं। पंचायत समिति या जिनके पास हॉल है या मकान है, उनसे मांग कर कोई भी ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने उसको जलसे के लिये उपयोग कर लिया, यह कोई आपत्तिजनक बात हो, यह मैं नहीं मानता। जिस किसी के पास हाल या मकान होते हैं काम के लिये

(श्री दामोदरलाल व्यास)
किराये पर या बगैर किराये मांग लेते हैं। सार्वजनिक काम के लिये यदि कोई उसका उपयोग करता है तो में समझता हूं एतराज की बात नहीं होनी चाहिये, में इसको गलत नहीं मानता। आज किसी की वर्षगांठ मनाने के लिये उसको उपयोग में लिया गया हो, कल माननीय सदस्य की वर्षगांठ मनाने के लिये उस हॉल का उपयोग किया जा सकता है, उसके लिये इजाजत दी जा सकती है। महज इसलिये कि किसी एक व्यक्ति की वर्षगांठ का जल्सा उसमें मना लिया गया उसमें सारी पंचायत समिति के कर्मचारी लग गये, धन का दुरुपयोग हुआ, में नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं इसका यह नतीजा निकालना उचित नहीं, जैसा कि माननीय सदस्य ने निकाला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसा कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं जहां किसी व्यक्ति की वर्षगांठ मनाने के लिये, उसका अभिनन्दन करने के लिये राज्यकोष में पैसा देकर एडवार्टाइजमेन्ट दिया गया हो ?

Even with regard to President and Prime Minister, you will not find such instance.

श्री दामोदरलाल व्यास : में आपको निवेदन कर रहा हूं जो वर्षगांठ मनाई गई वह पंचायत समिति की तरफ से न होकर के जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मनाई गई थी। उन्होंने भरतपुर ठीक जगह न समझकर कुम्हेर में मनाई, यह उन्होंने ज्यादा उपयुक्त समझा होगा।

संकटकालीन स्थिति में धन का दुरुपयोग किया गया हो किसी इन्डीविजुअल द्वारा तो उसके मेरिट को एग्जामिन किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पैदा तो भरतपुर में हुए, वर्षगांठ कुम्हेर में मनाई; यह क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य जरा धीरज रखें। में अर्ज कर रहा था कोई भी पंचायत समिति या म्युनिसिपैलिटी किसी भी सार्वजनिक कार्य-कर्त्ता का अभिनन्दन करती है और अपनी कमेटी में तय करके उसके लिये एडवर्टाइजमेन्ट करती है तो में इसको आपत्तिजनक नहीं मानता। यह एडवार्स्टाइज-मेन्ट की बात अभी अभी कही गई है; म नहीं कह सकता कि वह किस हालत में दिया गया, इस बारे में पंचायत समिति में निर्णय लिया गया या नहीं, यह में नहीं कह सकता। लेकिन यदि पंचायत समिति अपनी बैठक में किसी बात का निर्णय लेती है और उसके अनुसार कार्य करती है तो में इसको गलत तरीका नहीं मानता। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का अभिनन्दन हमेशा से सार्वजनिक संस्थाएं करती आयी हैं इसलिये इसमें में समझता हूं कोई गलती नहीं की गई।

इसके अलावा जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने संकटकालीन स्थिति को लेकर के बहुत ही उपयोगी सुझाव पेश किये। में उनका बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को बतलाया कि पंचायतें और पंचायत समितियों के जरिये से हम अपने देश की सुरक्षा को बहुत सुदृढ बना सकते हैं। उनकी इन बातों से में शत प्रतिशत सहमत हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनका और माननीय सदस्यों का इस बारे में पूरा पूरा सहयोग लिया जायगा। सरकार अपनी तरफ से जो कुछ एक्शन्स और हिदायतें दे सकती थी वह दी हैं और में आपको और सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पंचायतें

(श्री दामोदरलाल व्यास)
और पंचायत समितिया और उनके सदस्य जितने जागरूक हैं, जितने एक्टिव हैं, वह देखकर के माननीय सदस्यों को बहुत खुशी होगी । मैं खुद उनके साथ दस पंचायत समितियों में जो उनकी पसन्द की हों, उनके काम दिखाना पसन्द करूंगा ।

वे देखें कि आज पंचायत समितियों के सदस्यों ने अपने आपको रक्षा दलों में परिवर्तित कर लिया है । आज गांवों में से होकर जो रेल, सडक और पुल आदि निकालते हैं या हैं, उनकी निगरानी वे रात-दिन एक करके कर रहे हैं । आप जिस किसी भी पंचायत में जो आप देखना चाहें जाकर देख सकते हैं, मैं आपके साथ चल सकता हूं । सरकार यदा-कदा जो जो उनको हिदायतें देती है उनका वे पालन करते हैं । वे पांचवें दस्तों की भी निगरानी करते हैं । उनका इन कामों में पूरा पूरा सहयोग रहा है । इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर इतना ही कह सकता हूं कि आपके सुझाव बिल्कुल ठीक हैं । राज्य सरकार उन पर अमल कर रही है । आगे भी आपसे सलाह-मशविरा करते रहेंगे । आपका आभार तो हम इसमें मानेंगे और सिर्फ आभार ही नहीं मानेंगे उनको कार्य-रूप भी देंगे आपके सुझावों को ।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं उनको आश्वासन दूं कि सरकारी अफसरों के खिलाफ अगर उनकी गलती साबित हुई तो एक्शन लूंगा । अगर वास्तव में गलती होगी तो जरूर एक्शन लेंगे । पर जो काम वे कर रहे हैं उनसे कोई गलती इसमें नहीं हो रही है । क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस ऑर्डिनेन्स का सेकण्ड पोर्शन कान्सीक्वेन्शियल है । अब जो टाइम एक्सटेण्ड करते हैं उसमें जो गैप रहता है उस गैप में किये गये एक्शन को वेलिडेट करते हैं और यही तरीका है । अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर तो ऑर्डिनेन्स को जारी करने का ही कोई अर्थ नहीं रह जाता । इसलिए कोई हम उनके कन्डक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिये इसे जारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है । यह गलत है । माननीय सदस्य जो स्वयं एक वकील हैं और लायक और काबिल वकील हैं, वे भी इसे समझते हैं ।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये तो मैं यह कहना चाहता हूं, विरोधी दल के मुखियाजी को तो वक्त पर जवाब दूंगा, बाकी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये अर्ज कर दिया है मैंने कि जिस प्रकार पंचायत समितियों के खिलाफ शिकायत है तो वे उसे अपने खिलाफ नहीं समझें । यह भी नहीं समझें कि कोई दलगत राजनीति के खयाल से, पक्षपात के विचार से यह कर रहे हैं । जो सही और ठीक बात होगी, वही करेंगे । चाहे किसी पक्ष का प्रधान या उप-प्रधान हो या सदस्य हो जो इसमें आवेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर जरूर की जावेगी ।

रहा सर्क्यूलर का प्रश्न । बयाना पंचायत समिति के बारे में तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बयाना पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख दिया वह गलत है, बल्कि प्रधान जिस तरह आप शिकायत कर रहे हैं उस तरह उनकी शिकायत है कि आपने क्यों रोका ? हमारा देश आज संकटकालीन स्थिति में से गुजर रहा है ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग बिलकुल साफ है । हमारा दिमाग इलेक्शनों

(श्री दामोदरलाल व्यास)
में लग कर आपस में लडाई झगडे में न बंटे इसे रोकने के लिहाज से यह एक्शन हमने लिया हैं। न हमारे दिमाग में बयाना था उस वक्त, न नगर था और न और कोई बात थी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की कोई बात हमारे दिमाग में नहीं थी। अब चूंकि बयाना समिति इससे प्रभावित हो गई, इसलिये आपने ऐसा समझ लिया। पर भरतपुर के प्रमुख के खिलाफ भी तो आवेगा। वहां भी तो इसका असर पडता है। तो इसलिए इस भावना से हमने इसे कभी नहीं रखा है। हमारे दिमाग और दिल में एक बात थी कि हम आपस में एक होकर रहें और इस संकटकाल का मुकाबला करें। अब कहा गया कि म्युनिसिपल इलेक्शन क्यों नहीं रोके गये? अगर वे कहीं हो रहे हैं तो उनको भी रोक देंगे, यह विश्वास मैं दिलाता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : वह तो आप पहले से सोचे बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री ढाबरिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले ऑर्डिनेन्स डिस्पोज ऑफ होगा तब यह लिया जा सकेगा।

सन् ५७ से लेकर ६२ के बीच इस विधान सभा का मैं भी सदस्य था और माननीय मंत्री भी थे। उस समय जवाब देने में जो मंत्री महोदय का रवैया था और जो आज है उनमें बहुत तब्दीली दिखाई दे रही है। उस समय तो ऐसे थे जैसे मसूरिया का भाटा हो। पर आज जो रुख अख्तियार किया है वह रचनात्मक है और ऐसा लगता है कि लोकतन्त्र के इस ढांचे में काफी कुछ उनका दिमाग मोल्ड हुआ है।

इसको मद्दे नजर रखते हुए सदन में जो उन्होंने आश्वासन दिया है उसको ध्यान में रखते हुए, उनके रुख को ध्यान में रखते हुए, संकटकालीन स्थिति में उनके दिमाग पर जितना भी जोर है और जिम्मेदारी वे महसूस कर रहे हैं और जिस जिम्मेदारी के साथ वे परिवहन करना चाहते हैं, और उसे जिम्मेदारी से पूरा करने का जो आश्वासन दिया है, उन सबको ध्यान में रखते हुए और इस संकटकालीन में अपनी जिम्मेदारी को स्वयं महसूस करते हुए मैं चाहता हूं कि मुझे अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसे उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री महोदय के प्रस्ताव पर विचार होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : May I move?

श्री अध्यक्ष : You have already moved.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है मैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में ही कुछ कहना चाहूंगा।

जहां तक इस धारा का संबंध है वह जिला परिषद् और पंचायत समिति के जितने भी सदस्य राजस्थान में हैं उनको शपथ दिलाने के बारे में है।

जो कानून आज हैं और इनके चुनाव हुए जितना समय निकल गया है, अगर उस सारे समय में जो काम करने का तरीका है उसको ख्याल में रखा जावे तो मैं समझता हूं कि एक एक मेम्बर को कम से कम कितनी ही बार काम करने का मौका मिला होगा और उन्होंने काम किया है और वे काम जब करते हैं तो विना शपथ ग्रहण किये नहीं कर सकते। यह कानून में स्पष्ट तौर से लिखा है। पंचायत समिति में प्रमुख का चुनाव होता है तो हर मेम्बर को शपथ ग्रहण करने जाना पडता है। सहवरण का मौका आता है तो उस समय वोट दिया है तो शपथ ग्रहण करने का मौका आया होगा। जिस वक्त पंचायत समिति में सब-कमेटियां बनती हैं और वोट देने का अवसर आया है तो वोट का प्रयोग किया है तो शपथ ग्रहण का मौका आया होगा। इस तरह से कितने ही काम के अवसर पर पंचायत समितियों में या जिला परिषदों में शपथ ग्रहण के अवसर उपस्थित हुए हैं और उस वक्त उनको शपथ ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया गया होना चाहिए। और अगर नहीं किया गया है, जैसा कि बताया गया है कि कुछ जगह नहीं किया गया है, बीकानेर की तीन पंचायतों में, भीलवाडा की दो पंचायत समितियों में और दो एक के नाम और लिये, तो इस तरह से कुल राजस्थान में जहां २३२ पंचायत समितियों के करीब हैं और २६ जिला परिषदें हैं, जिनके सब के निर्वाचित सदस्य करीब एक लाख से ज्यादा हैं। उन एक लाख में से दस-पन्द्रह सदस्य अगर शपथ ग्रहण से वंचित रह जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के ऑर्डिनेन्स की कोई आवश्यकता हो सकती है, जिसका असर सभी एक लाख से ऊपर सदस्यों पर पडता हो। ऐसे ऑर्डिनेन्स को इस सदन में लाने की कोई मनोवृत्ति उचित नहीं कही जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा कानून इतना पेचीदा बना हुआ है कि जिसके अन्दर कई तरह के सदस्य रख दिये गये हैं। जो एम. पी. हैं या एम. एल. ए. हैं उनको कानूनी अधिकार है कि वे जिले की पंचायत समितियों के सदस्य बने रहेंगे और जिला परिषद् के सदस्य बने रहेंगे। जब उनको आपने कानूनन अधिकार दे रखे हैं इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य और पार्लियामेंट में बैठने वाले माननीय सदस्य, जिनको कि ४ साल से चुनाव लड कर इस सदन में और दिल्ली के सदन में बैठने का अधिकार है और इस सदन ने जो कानून बनाया है उसके आधार पर जिला परिषद् और पंचायत समिति में बैठने का कानूनन अधिकार दिया गया है और जब उन्होंने एक बार शपथ ग्रहण कर ली है पंचायत समिति के सदस्य की हैसियत से और जिला परिषद् के सदस्य की हैसियत से, तो मैं नहीं समझता कि फिर उनको दुबारा शपथ ग्रहण कराने का कौन सा कानून इसके

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

लिए बाध्य करता है कि वह फिर जाये और शपथ ग्रहण करे ? इसलिए इस तरह का जो ऑर्डिनेन्स लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल बेकार ऑर्डिनेन्स है कि जिसको इस सदन के सामने कभी भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें और किसी भी आदमी को प्रोटेक्ट करने की मन्शा नहीं है, जिनके ऊपर बहुत बडी संख्या में असर पडता हो। जैसा मैंने कहा कि १०-१२ आदमियों के ऊपर इसका असर पडता है तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई ऑर्डिनेन्स यहां पर लाया जाना चाहिए।

मैंने अभी कुछ दिन पहले अखबारों में पढा था कि बीकानेर जिला परिषद् में वहां के एम० पी० राजा करणसिंहजी हैं उनको इसलिए अलग कर दिया कि उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि मंत्री महोदय ने उस अखबार को पढा या नहीं या उनके निर्णय की खबर उन तक पहुंची या नहीं, लेकिन मैं कानून के जरिये पूछना चाहता हूं कि क्या जिला परिषद् को यह अधिकार है कि इस सदन ने जिन सदस्यों को कानूनन अधिकार जिला परिषद् का सदस्य होने का दिया है, क्या कोई जिला परिषद् में कानून के होते हुए भी उस सदस्यता से अलग कर सकते हैं ? जिन्होंने आज से ४ साल पहले उस जिला परिषद् का सदस्य होने की एक बार शपथ ग्रहण कर ली है, उसको कोई भी पंचायत समिति या जिला परिषद् सदस्यता से अलग नहीं कर सकती, जब तक कि यहां पर कानूनन तौर से यह लिखा है कि एक पार्लियामेंट का सदस्य जब तक वह मेम्बर रहेगा, वह बाकायदा जिला परिषद् और पंचायत समिति का सदस्य रहेगा–यह जब तक आपके कानून में है और उन्होंने जब एक बार शपथ ग्रहण करली है तो कोई जरूरत नहीं है कि दुबारा इस तरह के कानून को बनाने की जरूरत पडे।

दूसरी बात आपने कही कि..........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने विधान सभा के सदस्यों या पार्लियामेंट के मेम्बर्स के लिए नहीं कहा। माननीय सदस्य यह समझें कि क्या है, क्या नहीं है, बहरहाल उनका कोई केस मेरे सामने नहीं था, जब कानून बनाया गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने अर्ज किया कि मैंने बीकानेर जिला परिषद् का उदाहरण दिया कि वहां के एम. पी. को इसलिए अलग कर दिया कि उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि उनको अलग नहीं किया गया है। एम. पी. जो हैं महाराजा बीकानेर उनका कानूनी इन्टरप्रिटेशन चाहते हैं कि आया उनके ऊपर लागू होगा या नहीं। अलग करने का प्रश्न नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो अखबार में था उसको मैंने कहा है। अगर अलग नहीं किया है तो बहुत अच्छा किया है। आप कहते हैं कि एम. पी. और एम. एल. ए. के ऊपर इस आर्डिनेन्स का असर नहीं होता।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा है कि एम. पी. और और एम. एल. ए. का कोई केस मेरे सामने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं था, जब यह अध्यादेश जारी किया गया। असर होता है या नहीं it is a matter of interpretation on which I have no authority to say.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं कहता हूं कि यह लागू होता ही नहीं है। एक ही सदन का सदस्य होने के कारण दुबारा, तिबारा शपथ ग्रहण करे, यह किसी कानून में नहीं है। दूसरे आपने कहा कि कलेक्टर महोदय से बिना सरकार की आज्ञा के किसी आदमी ने शपथ ग्रहण कर ली है, तो वह अवैधानिक तरीका था। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे पास में जिला परिषद् की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कलेक्टर भीलवाडा ने दो–तीन बार लिखा कि मेरे सामने जिला परिषद् की सदस्यता की शपथ ग्रहण कर लें। मैं नहीं समझता कि जिलाधीश महोदय, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी अधिकार रखते हैं उनको कानून की इतनी कम नालेज है कि वह अध्यक्ष को लिखें कि मेरे सामने आकर सदस्यता ग्रहण कर लें। जब कि मंत्री महोदय के कहने के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद् के मेम्बर को शपथ ग्रहण कराने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मंत्री महोदय एक्शन लेने को तैयार हैं, नहीं कि वे इस तरह बाध्य करते हैं कि आदमी वहां जाकर शपथ ग्रहण कर लें। अगर वहां पर कोई आदमी जाकर शपथ ग्रहण कर लेता है तो आप कहते हैं कि यह अवैधानिक काम कर लिया, वहां जाकर क्यों शपथ ग्रहण कर ली, क्योंकि हमने तो राज्य की तरफ से कलेक्टर को ऑथोराइज नहीं किया है कि वह जिला परिषद् के मेम्बर्स को शपथ दिलाये। तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो कानून इस सदन ने पास किया है उस कानून में बहुत सी ऐसी पेचीदगियां है कि आप के जिला अधिकारी हैं वे नहीं समझते, जिला परिषद् के सेक्रेटरी हैं वे नहीं समझते, पंचायत समिति के बी. डी. ओ. हैं वे नहीं समझते और माफ करें मुझे आपके विकास विभाग में जो बैठने वाले लोग हैं वे नहीं समझते, क्योंकि समय-समय पर नाना प्रकार की विज्ञप्तियां आपके विभाग के द्वारा निकलती हैं जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको ही उनके बारे में ज्ञान नहीं होता। तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इसी सदन में चुनावों के पहले पंचायत कानून में एक संशोधन सरकार की ओर से पास किया गया है, उस समय भी मैंने कहा कि यह पंचायत के कानून हैं, यह ऐसे नियम नहीं हैं कि जिनका असर राजस्थान की २ करोड जनता के ऊपर नहीं पडता है, बल्कि यह ऐसे नियम हैं कि जिनका असर राजस्थान की संपूर्ण जनता के ऊपर पडता है।

इसलिए राजस्थान की जनता को यह महसूस नहीं होना चाहिये कि राज्य सरकार ऐसे कानून पारित करती है, ऐसे संशोधनों को पारित करती है, जो कि उनकी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये हों। पहले भी एक संशोधन लागू किया था, जिन सदस्यों को पांच मीटिंग बराबर अटेण्ड न करने के कारण पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सदस्यता से अलग कर दिया गया था, वे अगर चाहें तो ४० दिन के अन्दर सरकार के पास एप्लीकेशन कर दें और सरकार उनको वापिस मेम्बर बना देगी। उसका नाजायज उपयोग सरकार ने किया और अपनी पार्टी के जो लोग अलग हो गये थे उनको वापिस पंच, सरपंच और जिला परिषद् के सदस्य बना

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

दिया। इसका असर राजस्थान की जनता के ऊपर पड़ा और आज इस ऑर्डिनेन्स से फिर इस तरह से जनता के ऊपर गलत आदमी को, कानून का पालन न करने वाले आदमियों को मेम्बर बनाया जाता है; ऐसे आदमियों को थोपना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि इसका असर जनता पर है, इसका संबंध जनता से है, इसलिये कोई भी ऐसा कानून जो १२ आदमियों के लिये बनाया जाता हो, वह कानून इस सदन के द्वारा आसानी से पास नहीं होना चाहिए। जनता जानती है कि किस तरह सरकार गलत तरीके से कानून में संशोधन लाती है। इसका असर जनतन्त्र पर है, जनता पर है, इसलिये इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करना चाहिये।

(१.०० म. प.)

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा था कि संकटकाल की स्थिति में कुछ ऐसे प्रश्नों को नहीं रखा जाय, जिनकी वजह से मन में और मत में मतभेद पैदा हो। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जो गम्भीरतम आरोप हैं उनको भी साधारण कह कर इस तरह से उड़ा दिये कि जिनकी वजह से मेरे लिये यह आवश्यक हो गया है कि मैं अपनी बात यहां रखूं। यह उनके अधिकार की चीज हैं कि वे इन पर दुबारा विचार करें, यह उनके अधिकार की चीज है कि वे इसे अस्वीकार करें। यह हो सकता है कि यह उनके दल के हित में हो और यह भी हो सकता है कि यह उनके विपक्ष में हो। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया है और जिसे माननीय मंत्रीजी ने यह कह कर कि इसका पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, टाल दिया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो आपने अध्यादेश जारी किया है उसका इससे सम्बन्ध नहीं है, लेकिन हम जब पंचायत राज संगठनों के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में कोई बात कहना चाहते हैं कि सदन में ऐसे ही अवसर आते हैं जब कि इन बातों को यहां रखा जा सकता है। अभी जिस अखबार के सम्बन्ध में, उन्होंने खुद ने भी देखा है जिसे, कहा कि यह पंचायत समिति का अधिकार है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यकर्ता का अभिनन्दन करे। हम विश्वास दिलाते हैं मंत्री जी और उनके सहकर्मियों को और हमें इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि वे अपनी वर्षगांठ मनावें। उनकी कल्पना हो सकती है कि हजारों वर्ष तक जीवित रहें और हम तो खुद भी चाहते हैं कि वे हजारों साल तक जीवित रहें, ताकि अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे खुद ही बदनाम हो जायं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): हमें भी तो उनकी बदनामी देखने के लिये हजार साल तक जिन्दा रहना पड़ेगा।

श्री रामकिशन: हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि पंचायत समिति किसी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता का अभिनन्दन करे, लेकिन वह भी तो प्रस्ताव पास किया हो, तो ही किया जा सकता है। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला

(श्री रामकिशन)

परिषद् एक्ट की किसी धारा में यह प्रावधान नहीं है कि कोई भी पंचायत समिति किसी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को अभिनन्दन दे सके। इस अभिनन्दन का जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसमें उस पंचायत समिति का कोई जिक्र नहीं है, उसमें उस क्षेत्र के विकास का कोई जिक्र नहीं है। केवल यह है कि ५४ वीं वर्षगांठ की बधाई हो और इस चार लाइन के लिए २५०) रु० का पेमेंट पंचायत समिति के द्वारा किया गया है। इसका मंत्रीजी यह जवाब देते हैं कि उनका अधिकार है। मैं पूछता हूं कि कौन सी धारा के तहत यह उनको अधिकार है? और अगर अधिकार है भी और वे उस अधिकार को काम में लेते हैं, तो आज तो केन्द्रीय मंत्रीजी का अभिनन्दन करते हैं और इस पर ढाई सौ रुपये एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर देते हैं, तो कल इन्हीं अभिनन्दनों पर लाखों रुपया खर्च कर देंगे।

आज केन्द्रीय मंत्रीजी का अभिनन्दन किया, कल हमारे मंत्रीजी अपना अभिनन्दन करायेंगे और उसके बाद अगर प्रधान की तबियत आ गई कि अपना भी अभिनन्दन करवा लें, तो फिर इन पर कितना पैसा खर्च हो जायेगा, यह सोचने का प्रश्न है। अगर इन अभिनन्दनों के एडवर्टाइजमेंट पर ही पैसा खर्च हो गया तो फिर विकास के लिये पैसा कहां से आयेगा? जो विकास के कामों के लिए पैसा है वह सारा विज्ञापनों में ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार के अधिकारियों का यह कर्तव्य नहीं था कि वे उनको रोकें कि इस प्रकार सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं किया जावे। मैं मंत्रीजी से स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से धन का दुरुपयोग किसी पंचायत के लिए, किसी देश के लिए वाजिब नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए किसी पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास नहीं किया। जो पंचायतों के लिए स्टेंडिंग कमेटी बनी हुई है, उस स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इन सब बातों पर मंत्रीजी कहते हैं कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई तो यह तो उन देशी राजाओं की सी बात हो गई कि उनके पास कोई मिलने नहीं आया। लोकतंत्र के अन्दर यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर इस प्रकार का कोई मामला होता है तो फिर चाहे उसकी शिकायत आए या न आए, खुद मामले की जांच करे जिससे कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है, जिससे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता हो, जिससे अविश्वास की भावना पैदा होती हो। सरकार इस बात की प्रतीक्षा नहीं करे कि उसके पास कोई शिकायत करता है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नदबई पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद् के सदस्य, श्री होतीलाल पारासर ने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा है और उसमें बताया कि किस प्रकार सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है, किस प्रकार जवाहरलालजी की फोटो को काट कर उस पर राजबहादुरजी का मुंह चिपका दिया गया है। मंत्रीजी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने यह पत्र राजबहादुर जी के पास भेजा है तो क्या इसकी जानकारी मुख्य मंत्री जी ने विकास मंत्रीजी को नहीं दी? अगर विकास मंत्रीजी को इसकी सूचना नहीं है

(श्री रामकिशन)
तो विकास मंत्रीजी इसकी जांच करें और मैं यह भी निवेदन करूं कि वैर पंचायत समिति ने सीमेंट से पैसा लिया है, टीन से पैसा लिया है, विकास विभाग के पास शिकायत गई है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बयान हुए हैं छौपरवाडा सहकारी समिति के सचिव के। जब वे बीस बोरा सीमेंट लेने गए तो प्रधान ने उनसे कहा कि बीस रुपये लाओ, राजबहादुरजी का अभिनन्दन करना है। उन्होंने रुपये देने से इन्कार किया और वह विकास अधिकारी छुट्टी लेकर चला आया और दुबारा जब बीस रुपये लेकर गये तब बीस बोरे सीमेंट दिया। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी संकटकालीन स्थिति है और आप चाहते हैं कि जनता का सहयोग आपको प्राप्त हो . .

श्री दामोदरलाल व्यास: कौन सी पंचायत समिति के बी. डी. ओ. ने पैसा लिया ?

श्री रामकिशन: बी. डी. ओ. ने नहीं, प्रधान ने लिया है। छौपरवाडा का मामला है वैर में। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि अगर सरकार......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आप क्या कर रहे थे, आप भी तो अध्यक्ष हैं।

श्री रामकिशन: अभी तो मैं प्रधान की बात कह रहा हूं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन मामलों में जांच करे और जहां भी जनता के धन का दुरुपयोग होता हो उसको रोकने की कोशिश करे। यह ठीक है कि यह बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ही आगे जाकर बहुत गम्भीर परिणाम निकल सकता है। आज हिन्दुस्तान पाकिस्तान से लड रहा है, कल चीन भी आक्रमण कर सकता है। इन परिस्थितियों में जनता का सरकार से जितना निकटतम सम्बन्ध होगा उतना ही ज्यादा सरकार के लिए सहायक होगा। सरकार कहती है कि जनता को सरकार से ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए और जनता सहयोग कर भी रही है, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इससे जनता पर बुरा प्रभाव पड सकता है, जनता का सहयोग सरकार को कम मिल सकता है और इससे सरकार के रक्षा प्रयत्नों में बाधा पहुंच सकती है। इसलिए मैं विकास मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इन मामलों में गम्भीर रूप से जांच करें।

दूसरी बात इसी अखबार में जिसका जिक्र है पंचायत समिति के एडवर्टाइजमेन्ट में कि भारतरत्न राजबहादुरजी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई अपनी बकरी को नूरजहां कहे, चाहे हुमायूं कबीर कहे, लेकिन यह विकास विभाग के देखने का काम है कि भारत-रत्न क्या है? भारत-रत्न राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला विशिष्ट पदक है और जिसे यह पदक दिया जाता है उसी को भारत-रत्न लिखा जा सकता है। इस प्रकार लिखना कानून का उल्लंघन है। जिन्होंने राजबहादुरजी को भारत-रत्न लिखा है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे विकास मंत्रीजी अच्छे वकील भी हैं और कानून की गुत्थियों को भी अच्छी तरह से समझते हैं, वे कहते हैं कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है तो हम सदन के समक्ष यहां रखते हैं कि यह कांग्रेस का मुख-पत्र है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसीलिए ये मंत्रीजी कार्यवाही नहीं करते हैं।

श्री रामकिशन : सरकार कहती है कि जनता को रक्षा प्रयत्नों में मदद करना चाहिए और यह उनका काम भी है। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन घटनाओं को मामूली नहीं ले, उनके गम्भीर परिणाम होंगे। इसी पैसे को जनता की भलाई के कामों में लगाया जा सकता था, सिंचाई के कामों में लगाया जा सकता था, भरतपुर में बाढ आई और इस ढाई हजार रुपये के अगर चने ही बंटवा दिए जाते तो इस पैसे का सही उपयोग होता। हम चाहते हैं कि जो हरिजन आदि-वासियों के मकान टूट गए हैं उनको अपने मकान ठीक करने के लिए लोन दे दिया जाए, तो ये लोग समझेंगे कि सरकार हमारा ध्यान रखती है। पंचायत समिति ने दो-ढाई हजार रुपये इस काम में खर्च कर दिए और मंत्रीजी ने जवाब दिया कि यह कोई खास बात नहीं है। हम तो तुम्हारा भी अभिनन्दन करवा देंगे या म्युनिसिपैलिटी की जमीन दे देंगे, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि हमारा तो कभी इस प्रकार का अभिनन्दन होगा नहीं क्योंकि ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य तो वे ही जो छोटे विचारों के लोग होते है, चाहते हैं; जो बहुत छोटे लोग हैं वे बडा बनने के लिए ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य किया करते हैं। एक मंत्री बन जाने से कोई बडा आदमी नहीं बन जाता। उनको इतिहास के साधारण नियमों का भी ज्ञान नहीं है कि कौन आदमी कितने साल में बडा आदमी बन पाता है। कोई दो साल मंत्री रह जाने से कोई आदमी बडा आदमी नहीं बन सकता। दो–तीन सौ सालों में जाकर उसके कार्यों के परिणाम सामने आते हैं और तब ही मालूम होता है कि कौन बडा आदमी था। इस प्रकार के अभिनन्दनों से कोई प्रभाव पडने वाला नहीं है। यह तो जो खुशामदी लोग हैं या जो लोग सरकार से लाभ उठाना चाहते हैं, वे लोग ही इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। मंत्रीजी ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ भी अविश्वास की बात है, लेकिन संकटकाल की स्थिति की वजह से सरकार ने उस प्रस्ताव को अभी निकाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि क्या संकटकाल की स्थिति में इस तरह के अविश्वास के प्रस्ताव आने बन्द होने से कोई मदद मिलने वाली है ? मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यों से कोई प्रभाव नहीं पडता है। अगर मेरे खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव है तो मेरा निवेदन है कि उस पर आज ही मत ले लें। अगर मेरा बहुमत नहीं है तो मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि मैं उस जगह से हट जाऊं। जब मेरा बहुमत नहीं रहता है तो मुझे उस जगह पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध-काल में, संकटकाल में तो यह और भी आवश्यक है कि मुझे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इसकी परम्परा तो पहले भी रही है। ब्रिटेन में चम्बरलैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था जब कि वहां पर बम्बार्डमेन्ट हो रहा था। तो यह तो किसी भी पंचायत समिति के सदस्य के खिलाफ या किसी भी संस्था के सदस्य के खिलाफ अगर अविश्वास हो तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जावे। यह तो उनकी अच्छाई के लिए ही होगा, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन विरोध इस बात का है, उसके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं।

(श्री रामकिशन)
इसकी सरकार जांच करायेगी। जहां तक उद्घाटन समारोह और राजबहादुरजी की वर्षगांठ का सवाल था, हमारा इससे कोई मतभेद नहीं था। हमारा मतभेद तो इस बात से था कि कुम्हेर पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर यह आयोजन क्यों किया गया ? राजबहादुरजी भरतपुर के रहने वाले हैं और पढा-लिखा वर्ग भरतपुर में रहता है। हम चाहते थे कि हम भी इस समारोह में शामिल होते और व्यस्त होते हुए भी प्रेरणा और आदर के दो शब्द हम भी समर्पित करते। लेकिन इसका कारण और था........

श्री दामोदरलाल व्यास: नत्थीसिंहजी शामिल नहीं होते।

श्री रामकिशन: पंचायत राज्य और विकास मंत्री तथ्यों को समझें। जहां यह समारोह हुआ उसके दो कारण थे। इसके प्रधान के खिलाफ दो आरोप हैं–एक आरोप तो यह था कि इसने एक बनिये की दुकान को लूटा था। इसके बारे में प्रश्न इस सदन में भी उठा था और उस पर बहस-मुबाहसा भी हुआ था, लेकिन उस मामले को सरकार ने दबा दिया था। डी. आई. जी., सी. आई. डी. ने लिखकर भेजा कि इसका चालान किया जाय, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको रुकवा दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी और भरतपुर कांग्रेस में पता नहीं क्यों नहीं पटती है। यह मालूम नहीं होता है कि कब उनमें एका हो जाता है और कब लडाई हो जाती है। दिन में लडाई हो जाती है तो रात में एका हो जाता है। डी. आई. जी., सी. आई. डी. लिख चुके हैं कि इसका चालान किया जाय, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी का संदेश एस. पी. के पास पहुंचता है कि फिलहाल इसको रोक दिया जाय। अगर मैं गलत कहता हूं तो, सदन में आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप में हिम्मत और परम्परा की आदत नहीं है, लेकिन आप माननीय मुख्य मंत्रीजी से टेलिफोन पर पूछ लें कि क्या कहा था। दूसरा आरोप उसके खिलाफ यह था कि कुम्हेर के पुराने किले को तोडा गया था तो उस के तोडने पर जो उसमें से पत्थर निकला तो अनुमान है कि दो लाख के मूल्य के पत्थर की गडबड कुम्हेर पंचायत समिति के अधिकारियों और प्रधान ने की है। इसकी जांच वहां के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने की है और उसने अपनी रिपोर्ट दी है कि दो लाख की बात तो सही नहीं पाई गई है, लेकिन ६० हजार का गबन जरूर हुआ है। उस पर उनका चालान हुआ है। इन दो बातों को दवाने के लिए कुम्हेर में यह आयोजन किया गया था। हम तो सदन के सदस्य हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और राष्ट्र को बचाने के लिए संकटकाल में आपके साथ खडे हो जायेंगे, लेकिन साधारण जनता में जब यह बात फैलती है कि गबन के मामले दबाये जाते हैं, डकैतियों के मामले दबाये जाते हैं, चोरियों के मामले दबाये जाते हैं तो सरकार के विरुद्ध नापसन्दगी बढती है। संकटकाल में सरकार को ज्यादा से ज्यादा जनता के नजदीक आना चाहिए। जनता की भावना के जितना अनुकूल चलेगी उतना ही सरकार सशक्त होगी। जनता के विरुद्ध आचरण करेगी तो सहयोग मिलना असम्भव हो जायेगा। हम सदन के माननीय सदस्य हैं और समझदार हैं। आप कुछ भी करेंगे तो भी मुल्क को बचाने के लिये आयेंगे, लेकिन हिन्दुस्तान के

(श्री रामकिशन)

१०० में से ८० आदमी मुल्क, सरकार और आक्रमण में भेद नहीं कर पाते हैं। वे सारी स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। अगर चीन या पाकिस्तान वाले आकर कहते हैं कि तुम्हारे यहां भ्रष्टाचार है, डकैतियों के मामले दबाये जाते हैं। सशस्त्र आक्रमण नहीं करे, लेकिन प्रचार के द्वारा साधारण जनता को विद्रोह के लिये उकसाया जा सकता है।

अभी जैसा कि माननीय सतीशचन्द्रजी कह रहे थे कि मन्त्रीजी बदल गये हैं। मंत्रीजी समझदार हैं, योग्य हैं; उनको बदले हुए तो तब समझेंगे जब कि ये दो–तीन मामले आपको दिये हैं उनकी जांच करेंगे। अगर ये गलत हैं तो सदन के सदस्यों की हैसियत होते हुए भी हम पर मामले चलाये जायें। हम बाहर भी यही कहते हैं। माननीय मंत्रीजी को पहले घोषणा करना चाहिए कि ये मामले तय कर दिये हैं और एक मामला भी गलत नहीं है। मगर उन्होंने नहीं कहा श्री सतीशचन्द्रजी और इनकी तो मिली-भगत है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। दोनों ही वकील हैं और ऐसे ही आपस में तारीफ एक दूसरे की की जाती है, वैसे वाद-विवाद में भले ही चले जायें। हम तो आक्षेप रखते हैं। उनकी परीक्षा कीजिये अगर हमारे खिलाफ आरोप हों तो हम माननीय मंत्रीजी के पास नहीं जायेंगे। आप हमारा चालान करें और मामले को चलायें।

एक माननीय सदस्य आसीन्द से आने वाले श्री गिरधारीलालजी ने कहा कि आपने प्रमुख की हैसियत से मामला क्यों नहीं किया? वे वकील तो हैं लेकिन ऐसा मालूम पडता है कि वे युनिवर्सिटी से सर्टीफिकेट वैसे ही ले आये हैं। जिला परिषद् एक्ट के किस कानून के तहत प्रमुख को यह ताकत है इसको आप समझायेंगे। वैसे नाराज होने की बात नहीं है। आप पढ़कर बता दें कि ऐसी कौन सी यह धारा है कि जिसके आधीन यह ताकत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): प्रमुख होने के नाते ऐसे गैर-कानूनी काम ये दो-तीन दफा कर चुके हैं।

श्री रामकिशन: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषद् एक शक्तिहीन संगठन है। जिला परिषदों को या तो आप शक्ति दें या उनको तोड दें। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार जो दो–तीन लाख रुपया प्रमुख के भत्ते या मेम्बरों के भत्ते पर खर्च करती है उसका कोई उपयोग नहीं है। जिला परिषद् अगर कोई ग्राम सेवक सरकारी ट्रेक्टर को लेकर अपने खेत में जोतता है तो उसको नहीं रोक सकती है। इसका प्रावधान पंचायत एक्ट में नहीं है। जब मंत्री जी ने इस सदन में नये वर्ष में प्रवेश किया है और अध्यादेश पंचायत राज्य का बनाया तो सादिक अली टीम की रिपोर्ट के साथ होना चाहिये था। वह सामने आनी चाहिए थी, ताकि उस पर एकेडेमिक बहस होती। उनको इस जीवन का बहुत बडा अनुभव है, थोडा अनुभव मैंने भी किया है। जिला परिषद् के प्रमुख का यह पद बेकार है जैसे कि पहले महाराजप्रमुख का पद था। उसको कोई काम नहीं था सिर्फ एक चिट्ठी उदयपुर चली जाती थी। बिल्कुल यही स्थिति है; मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अब महाराजप्रमुख बनाना बन्द करें, या तो उनको कोई अधिकार दें, चाहे वह अधिकार सीमित ही हों। आज पंचायत समिति अगर कोई गडबड करती है और उनको एक चिट्ठी लिख देते हैं तो

(श्री रामकिशन)

वे पूछते हैं कि किस कानून के तहत चिट्ठी लिखी है। अब जिला परिषद् कानून को देखती है तो कानून में कहां है? उसके पास केवल एक मात्र यह काम है कि वह मास्टरों को चुन ले और उनका ट्रान्सफर कर दे, और कुछ काम नहीं है। उसमें भी अगर पंचायत समिति यह लिख दे कि किसी मास्टर को वे देने को तैयार नहीं हैं तो जिला परिषद् के पास अधिकार नहीं है। मैं माननीय गिरधारीलालजी से निवेदन करूंगा कि वे मुझे बता दें कि कानून में वह शक्ति कहां है, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं। उस हिसाब से मैं काम करूंगा ·······

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): टेलीफोन में शक्ति है।

श्री रामकिशन: वे तो एक पार्टी सरकार के मेहमान हैं लेकिन विरोधी पार्टी की हैसियत क्या है? इसको आप समझ लें। प्रमुख नहीं हों तो भी उनकी बडी हैसियत है। वे अगर मंत्रीजी से कहेंगे तो उनके ध्यान में रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास: आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनूंगा।

श्री रामकिशन: बहुत कम। हमारी स्थिति तो ऐसी है कि एक तरफ तो हम जनता को समझा समझा कर हार जाते हैं और दूसरी ओर मंत्रीजी से निवेदन करते करते थक जाते हैं और नतीजा कुछ नहीं होता है।

इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अध्यादेश लागू किया गया है उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। वह तो कानून के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। कई तरह के लोग इन्टरप्रिटेशन करते हैं। और अभी जो सतीशजी ने कहा है कि अध्यादेश पुरःस्थापित करने वाले मंत्रीजी को भरतपुर जिला परिषद् से सुभीता नहीं है इसलिए लागू नहीं होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास: तो अध्यादेश का मैंने कोई फायदा नहीं उठाया है। लागू होने या नहीं होने का सवाल नहीं है।

श्री रामकिशन: इसमें भ्रम है। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि यह बात कुछ अप्रसंगिक है लेकिन बात वास्तविक इस तरह की नहीं थी जो कि इस अखबार में थी। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं एक अखबार के बारे में जो कि हिन्डौन से निकलता है; "विपथ"। उस समारोह के सम्बन्ध में उसने एक लिस्ट दी है चन्दा देने वालों की जिसमें विकास अधिकारी, हिन्डौन ने २५०) रु. दिये हैं। क्या कोई सरकारी अधिकारी किसी गैर-सरकारी आयोजन के लिए चन्दा इकट्ठा कर सकता है या दे सकता है? मंत्रीजी कहेंगे कि यह उसकी श्रद्धा है। इस तरह से तो आप २० बात कहेंगे और मैं भी २० बात कहूंगा। तहसीलदार ने १००) रु० दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "विपथ" अखबार में वह सूची छपी है। मंत्रीजी अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सरकारी अधिकारियों ने किस तरह से राजनीति में भाग लिया है। अगर सरकारी अधिकारियों को राजनीति में भाग लेने दिया तो इसके भयंकर परिणाम निकलेंगे। हमारी पार्टी की तो मान्यता है कि राजकर्मचारी राजनीति में भाग लें मगर यह हो जाय तो सरकारी पार्टी को, मैं निवेदन करूंगा

(श्री रामकिशन)

रोना पडेगा। जैसे जैस सरकारी अधिकारी राजनीति में भाग लेते चले जायेंगे वैसे आपकी लोकप्रियता खत्म होती जायगी। विरोधी दल के पास तो कुछ नहीं है। वे तो जो कुछ कहते हैं समझा कर कहते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे देखें कि तहसीलदार ने चन्दा इकट्ठा किया है, ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर ने जनता से चन्दा इकट्ठा किया है, थानेदार ने चन्दा इकट्ठा किया है। मंत्रीजी को मालूम होना चाहिए कि मैं यह जो निवेदन करना चाहता हूं वह केवल यहां पर बात सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सदन के द्वारा जनता में यह बात फैलाना चाहता हूं। अगर इस तरह से करते चले जायेंगे तो एक दिन हमको सरकार की कुर्सियों से हटाने में मदद मिल जावेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसको आप कर देंगे तो आपको बदले हुए का सर्टिफिकेट मिल जायेगा। नहीं करेंगे तो जनता को रोना है ही। बस इतना ही मेरा निवेदन करने का उद्देश्य था। मैं समझता हूं जो अध्यादेश जारी किया है यह अध्यादेश की प्रथा बहुत बुरी है। इस प्रकार के अध्यादेश जारी करके असीमित अधिकार ले लेते हैं इससे गलत परम्परा चलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, एक अध्यादेश जो कि १७ जुलाई, १९६५ को गवर्नर के द्वारा जारी किया गया जिसको आज बिल में परिवर्तित करने के संबंध में बिल प्रस्तुत है और जिसके द्वारा पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट की धारा ७२ में दो धाराएं और बढादी गई हैं, ७२ ए और ७२ बी, जिसके जरिये उन लोगों को जिन्होंने वैधानिक तौर से देश के विधान के प्रति सच्चाई, ईमानदारी और उसको मानकर चलने की शपथ ग्रहण नहीं की थी उनका वैधकरण किया जा रहा है। उनके द्वारा शपथ नहीं ग्रहण करने की स्थिति में जो मेम्बर नहीं बने रह सकते थे, उनको मेम्बर बनाने के लिये और जो इस कारण से मेम्बर नहीं रहे थे और उन्होंने जो कार्यवाही की, उसको वेलिडेट करने के लिये यह बिल प्रस्तुत है।

मैंने इस सदन के विद्वान सदस्यों की बातें सुनीं और इस अध्यादेश को बिल में परिवर्तित करते समय जो वक्तव्य मंत्रीजी ने दिया वह भी सुना। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, इस पर विचार करें। माननीय मंत्रीजी का जितना तर्क है वह विशेषरूप से इस बात पर आधारित है कि राजस्थान की २३२ पंचायत समितियों में से ८ पंचायत समितियों में ऐसे सदस्य थे जिन्होंने दफा ७२ की तहत शपथ ग्रहण नहीं की थे और सदस्य नहीं रहे। बार बार दोहराने के बावजूद भी केवल ८ पंचायत समितियों के नाम वे ले सके। उनमें सदस्यों की संख्या कितनी है इसका अंदाज वे सदन के सामने नहीं रख सके। इस तर्क को देखते हुए जब कि उनके पास न तो पंचायत समितियों की संख्या और न सदस्यों की संख्या सदन के सामने है जिन्होने एसी लापरवाही की, जिनमें ऐसे लापरवाह सदस्य मौजूद हैं जो विधान के प्रति शपथ लिये बिना सदस्य बने रहते हैं, जिनकी विधान के प्रति आस्था नहीं है,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
जिनकी कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है, ऐसे पंचायतों के जिन सदस्यों ने विधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ली, उनको बाकायदा सदस्य बनाये रखने के लिये अध्यादेश निकाला गया है, मैं समझता हूं यह बहुत ही बुरी बात है।

यह अध्यादेश १२ जुलाई को जारी किया गया। उस समय रण ऑफ कच्छ का संकट था जो जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के आरम्भ में आरम्भ हो चुका था, लेकिन कोई मंत्री इस बात की आवश्यकता सदन के सामने रखने नहीं आया कि जिसके बिना पर सदस्यों के द्वारा सक्रिय काम करने के लिये उनको वेलिडेट करना आवश्यक हो गया हो और उसके लिये ऑर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता हो गई हो। ऑर्डिनेन्स जारी करने की आपकी आदत है। इमर्जेन्सी के लिये ऑर्डिनेन्स जारी किया जाय, या ऑर्डिनेन्स देश की रक्षा के लिये जारी किया जाय तो जनता उसको सहर्ष स्वीकार करेगी। आज राजस्थान में ९० हजार पंच, सरपंच हैं और ७ हजार पंचायतें हैं। यदि आज एक ऑर्डिनेन्स के जरिये यह पाबन्दी करने की बात होती कि ३५ साल से नीचे या ४० से नीचे की आयु के हर एक पंच और सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य को मिलिटरी की ट्रेनिंग कम्पलसरोली लेनी होगी और देश के लिये आगे बढ़ना होगा, तो ऐसे ऑर्डिनेन्स का स्वागत होता और पंच और सरपंच उससे गौरवान्वित होते और सैनिक शिक्षा लेकर देश के लिये अपना शरीर देने के लिये तैयार होते। यदि एक ऑर्डिनेन्स जारी किया जाता है गवर्नर के द्वारा इस आशय का कि पंचायत के सदस्य सिविल डिफेन्स के लिये अपने अपने क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं या अपने अपने क्षेत्र में वे फलां फलां काम फुल पॉवर के साथ कर सकते हैं, तो उसके लिये हर्ष ध्वनि होती और सहर्ष स्वीकार किया जाता। यदि ऑर्डिनेन्स के जरिये वे कुछ और अधिकार देते बोर्डर के पंच, सरपंचों को, उनकी राशि बढ़ाते और शक्ति देते, उनकी शक्ति कलेक्टर से कम नहीं होती तो वे इसको आदर के साथ देखते। यदि ऑर्डिनेन्स के जरिये यह करते कि कलेक्टर्स के समान जिला प्रमुख को अधिकार देते कि जो लोग अनाज को छिपाये रखे हुए हैं और देश में इस समय भुखमरी पैदा कर रहे हैं उनके साथ कड़ा बर्ताव कर सकें, जिला प्रमुख को यह अधिकार देते कि जो लोग इस समय मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकें तो देश उसका स्वागत करता, राजस्थान उसका स्वागत करता। लेकिन आपने अपनी सारी दलील कुछ चन्द लोगों के संबंध में दी जो अपनी लापरवाही के कारण शपथ नहीं ले सके उनको वेलिडेट कर दिया जाय। यही नहीं, बल्कि स्थिति ऐसी भी हुई है कि कुछ जगह पंचों ने शपथ ग्रहण नहीं की और कलेक्टर ने उनको इल्लीगल शपथ ग्रहण करा दी, इसलिये शायद कलेक्टर्स ने जो इल्लीगल कार्य लूणकरणसर, कोलायत और नोखा में कर दिये, शपथ नहीं ले सके, को लीगेलाइज करने के लिये या जो शपथ ग्रहण नहीं कर सकते थे, उनको वेलिडेट करने के लिये या इल्लीगल कार्य पर पर्दा डालने को समस्या आ गई थी इसलिये अध्यादेश लाना पड़ा।

म निहायत अदब से अर्ज करना चाहता

Page No 74

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हूं कि देश की रक्षा के लिये शुद्ध भावना से जारी किये गये ऑर्डिनेन्स के ऊपर जनता को आपत्ति नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, बोर्डर क्षेत्र में बीकानेर जिले में ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हुई है कि महाजन गांव में ५०० घरों की बस्ती के लिये पीने के पानी का एक कुआ था जिस पर लोगों की भीड लगी रहती थी। वहां के जागीरदार राजा-महाजन ने लोगों को पानी भरने नहीं दिया। तब लोग कलेक्टर के पास रिपोर्ट करते हैं तब कलेक्टर आदेश देते हैं कि नल तोड दिया जाय और उसका मुंह जनता के लिये मोड दिया जाता है। इस पर राजा महाजन के फेवर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट से इल्लीगल स्टे का ऑर्डर होता है और ७००० गैलन पानी महाजन के राजा के किले की ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है। लोग प्यासे मरते रह जाते हैं। कलेक्टर के ऑर्डर को मुंसिफ मजिस्ट्रेट इल्लीगल स्टे ऑर्डर देकर बालाये ताक रख देता है और पंचायत कुछ नहीं कर सकी। पंचायत समिति राज्य सरकार के पास पहुंची, लेकिन सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है कि महाजन के लोगों को पानी मिलता है या नहीं। सरकार को ऐसे सदस्यों को वेलिडेट करने की चिन्ता अवश्य है जो विधान की अवहेलना करते हैं।

ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि मैंने सदन में कहा था कि सरदारगढ के एक गांव में २०० पाकिस्तानियों की फेमिलीज रहती हैं जो स्पाईज का काम करती हैं। हमारी राजस्थान सरकार चुप रही, लेकिन भारत सरकार ने उनमें से ६ आदमियों को डी. आई. आर. के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। मैंने हाउस को जानकारी दी थी कि सूरतगढ फार्म का कर्नल इकराम मिर्जा पाक अधिकारियों के साथ मेल-जोल रखता है और उनके साथ दावतें खाता है। मैंने सदन के सामने यह बात भी प्रस्तुत की थी कि जिस दिन जवाहरलालजी नेहरू का निधन हुआ था उस दिन कर्नल इकराम मिर्जा शिकार खेल रहा था। जब लाखों लोग देश के महान् नेता को शान्ति वन में श्रद्धान्जलि अर्पित कर रहे थे, उस समय कर्नल इकराम मिर्जा सूरतगढ फार्म में घेरा दिलवाकर शिकार कर रहा था, तीतर और बटेर मार रहा था, हिरन मार रहा था। राजस्थान सरकार को उसकी चिन्ता नहीं हुई। भारत सरकार ने इसकी चिन्ता की और सुनने में आया है कि कर्नल इकराम मिर्जा और बेगम इकराम मिर्जा ६ सितम्बर को दिल्ली में गिरफ्तार हुए हैं। मैंने उनका नाम कई बार हाउस के सामने पेश किया था। जिनके बारे में अनेक बार लिखा, सरपंचों ने लिखा। जनता पर चार-पांच साल से केसेज चल रहे हैं, काश्तकारों पर केसेज चल रहे हैं, उनके बारे में राजस्थान सरकार को चिन्ता नहीं है। इस सम्बन्ध में पंचायतों को शक्ति देने की चिन्ता नहीं है, इस सम्बन्ध में कोई एक्शन लेने या इन्क्वायरी करवाने की चिन्ता नहीं है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखने के बाद और वहां की इन्क्वायरी होने के बाद कुछ लोगों की धर-पकड हुई है।

अध्यक्ष महोदय, एमर्जेन्सी के समय पंचों और सरपंचों की और पंचायतों की आवश्यकता महसूस हुई है और उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री की इस बात से मैं सहमत हूं कि, उनका जो यह कहना है, कुछ पंचायतें देश के अन्दर कार्य

Page No 75

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर रही हैं, मैं मानने के लिये तैयार हूं, आप जयपुर से रवाना होइये तो बहुत सी पंचायतें आपको बहुत ही जागरुक नजर आयेंगी। उन्होंने बाकायदा रेल्वे लाइन्स के ऊपर अपना पहरा नियुक्त किया है, राजस्थान की पंचायतें इस दिशा के अन्दर गौरवपूर्ण हिस्सा ले रही हैं। इसमें संदेह नहीं है, पंचायतों ने गांवों के अन्दर पहरा लगाया है। साथ ही मैं जिस बोर्डर के क्षेत्र गंगानगर से आता हूं, मुझे गर्व है, मेरे हर गांव के अन्दर पंचायतों ने बाकायदा अपनी सेनायें, अपने दल बना कर, अपने स्वयंसेवक दल बना कर, अपनी वालन्टियर फोर्स बना कर ब्लेक आउट करवाने, खन्दक खुदवाने और संकट-काल के लिये क्या क्या कदम उठाने हैं, उन कदमों को उठाने के सम्बन्ध में बहुत आगे बढ कर हिस्सा लिया है। मैं इसी दौरान म अर्ज कर दूं कि आज पंचायतों के काम में यदि कोई अडचन उपस्थित होती है तो वह अधिकारियों की तरफ से होती है। अन्यथा पंचायतें इस दिशा के अन्दर तीव्र गति से बढ रही हैं।

आज बोर्डर जिलों की पंचायतों की मांग है कि हमको बन्दूक दीजिये, हमको कारतूस दीजिये। आज हर एक व्यक्ति, जो पंचायत क्षेत्र में रहने वाला है, चाहे वह पंच हो, सरपंच हो, निवासी हो या किसान हो, वह बन्दूक चाहता है, कारतूस चाहता है। आज उसके दिल में तडप है और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आक्रामक नीतियों के खिलाफ, जंगबाजी के खिलाफ आगे बढ कर हिस्सा लेने के लिये बेकरार है। उनका कहना है कि हमारे एक कन्धे पर बन्दूक होगी और हमारा एक हाथ हल की मूठ पर होगा। वह कल्पना करके चलता है कि उसका एक हाथ घोडे पर होगा और दूसरा हाथ हल की मूठ पर होगा। वह एक तरफ पैदावार करना चाहता है और दूसरी तरफ वह रक्षा, सीमाओं की रक्षा करने के लिये जागरुक है। वह दोनों क्षेत्रों के अन्दर आगे बढ कर हिस्सा लेना चाहता है, वह खेती में ज्यादा अन्न पैदा करने के लिये तैयार है और दूसरी तरफ दुश्मन से लोहा लेने के लिये तैयार है और वह इसके लिये बेकरार है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं बडे दुःख के साथ अर्ज करना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्य, जो भरतपुर से आते हैं, ने कहा कि जिला परिषद् को इस समय कोई शक्ति नहीं है। सरकार ने कुछ सदस्यों को वहां वेलिडेट करने की बात की है, लेकिन जिला परिषद् को शक्तियां देने को कोई कोई बात नहीं होती। मेरी जिला परिषद् ने बार बार प्रस्ताव पास करके सरकार के सामने यह मांग प्रस्तुत की है, प्रस्ताव भेजे हैं कि गंगानगर के किसानों को केवल पानी चाहिये। आज बोर्डर के ऊपर नहर के पानी की व्यवस्था नहीं है और उनके खेतों में पानी लगता नहीं है। उन लोगों का कहना है कि हमारी अस्थियां यहीं पर मिट्टी में मिलेंगी और हम हमारे खेतों को छोड कर नहीं जायेंगे, हमारे बच्चे नहीं जायेंगे। उनमें से कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं जायगा। वह डट कर मोर्चा लेंगे। लेकिन सरकार का कर्त्तव्य है कि वह बोर्डर पर पानी पहुंचाये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि इस दिशा में मजबूती के साथ कोई कदम उठाने के लिये कुछ नहीं किया गया है। जिला परिषद् ने कहा कि जिला परिषद् को कुछ अधिकार दिये जायें। मैंने यह सुना है और अखबारों में यह चर्चा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आई है, एक लाख की इरिगेशन के सम्बन्ध में ग्रान्ट दी है और केबिनेट के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि मिडिल स्कूलों का कंट्रोल जिला परिषद् को दे दिया जाय। उस वक्त एमर्जेन्सी की बात नहीं थी, लेकिन अब सरकार को निश्चित रूप नहर के पानी की व्यवस्था करने का और हथियारों के डिस्ट्रिब्यूशन का कुछ अधिकार जिला परिषदों के प्रधान को देना चाहिये। लेकिन आज भी इस सम्बन्ध में मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिला परिषदों ने सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि नहरें टूटती हैं, नहरों के पानी की चोरी होती है। बोर्डर के ऊपर ऐसे गांव भी मौजूद हैं जहां उन्नीस-बीस गांवों में दो तीन माह में कई बार पानी की चोरी पकड़ी गई है। और एक चक में पिछले एक वर्ष दो-तीन दफा नहरें टूटी हैं। यह अब तक की स्थिति है। कुछ समय पहले मैंने एक रात को देखा कि दो-तीन आदमी नहर को काट कर जा रहे हैं। मैंने उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई। लेकिन इतना समय गुजर गया है लेकिन किसी भी थानेदार ने इस मामले में इन्वेस्टीगेशन नहीं की है और मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है जिन्होंने नहर को काटा था।

अध्यक्ष महोदय, नहर विभाग के अधिकारियों के लिए यह मुश्किल हो गया है कि वे नहर की किस तरह रक्षा कर सकें। वहां लोग नहर को अपने खेतों के पास से काट लेते हैं। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सोचा है कि कोई फ्लाइंग स्क्वाएड इरिगेशन डिपार्टमेन्ट को दे दें, इस सम्बन्ध में एक मजिस्ट्रेट प्रोवाइड कर दें जिसमें देश के संकट काल के समय में जो देशद्रोहिता का काम किया जाय तो उसके सम्बन्ध में सारी ट्राइल करके सजा दे दी जाय, या डी. आई. आर. में इस व्यक्ति को रख दिया जाय। यह अधिकार उनको दिया जाय, ताकि वह इस पर काबू कर सकें और उनकी रिपोर्ट पर पुलिस काग्नीजेन्स ले सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब और ज्यादा समय न लेकर यह अर्ज करूंगा कि ऑर्डिनेन्स अगर देश के लिए है, ऑर्डिनेन्स अगर शुद्ध हृदय से है और उसके पीछे शुद्ध मोटिव है तो उस ऑर्डिनेन्स को हम स्वीकार करने को तैयार हैं और मैं इसे प्रजातंत्र के ऊपर आघात मान कर नहीं चलता। लेकिन ऑर्डिनेन्स केवल कुछ कारणों से हो, कुछ व्यक्ति विशेष के लिए हो, कुछ भावनाओं को लेकर हो, कुछ निजी हितों को लेकर हो, कुछ राज्य सत्ता को कायम करने के लिए हो, कुछ विशिष्ट दलों के विशिष्ट लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हो, तो ऑर्डिनेन्स जारी करना बिल्कुल गलत है। ऑर्डिनेन्स एमर्जेन्सी की स्थिति के लिए एक साधन है और वैसी स्थिति में गवर्नर को ऑर्डिनेन्स जारी करने का अधिकार दिया है और उसका उपयोग हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा, वह ऐसी ऑर्डिनेन्स लाने के बजाय पंचायतों को ज्यादा शक्तियां देने के लिए, ज्यादा फाइनेन्सेज देने के लिए, सादिकअली रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने के प्रश्न को सामने रख कर लाते या दूसरी रिपोर्ट को लागू करने के प्रश्न को सामने रख कर लाते। इसकी आवश्यकता भी थी और इससे पंचायतों के लिए भी अच्छा होता। माननीय मंत्रीजी जानते हैं कुछ ऐसी स्थिति भी सामने आई है, जैसे नोहर की पंचायत के अन्दर एक प्रधान ने कुर्सी को उठा कर बी० डी० ओ० के ऊपर फेंक दी। इस पर एस० डी० एम० ने रिपोर्ट की कि इसमें प्रधान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ने गलती की है। उसने बाकायदा बताया है कि प्रधान ने कुछ कागज लेकर फाड़ने की कोशिश की थी। और उसके बाद दल-ब-दल के साथ कुर्सी उठा कर मीटिंग के अन्दर बी० डी० ओ० के ऊपर फेंक दी और इस कारण उसकी अंगुली टूट गई। लेकिन फिर भी मंत्री महोदय या राज्य को यह आवश्यकता महसूस हुई कि ए० डी० एम० की रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है और इस सम्बन्ध में दुबारा इन्क्वायरी कराई जाय और इसके लिए कलेक्टर को इन्क्वायरी करने के लिए कहा। कलेक्टर ने भी रिपोर्ट दी है कि प्रधान ने निश्चित रूप से गलती की है। उसके बाद भी, अध्यक्ष महोदय, मैं नौकरशाही का समर्थक नही हूं; मैं मान कर चलता हूं कि नौकरशाही इस रूप से काम करती है कि पंचायती राज सफल नहीं हो, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स उसके अन्दर मौजूद है और इस तरह की चीजें भी चलती हैं कि नौकरशाही पंचायत राज को उठने नहीं देना चाहती। यदि कोई न्याय पंचायत कोई फैसला करती है तो और कोई ऑर्डर देती है तो इस नौकरशाही ने उसके ऑर्डर की तामील नहीं की है। पुलिस के द्वारा पंचों और सरपंचों का अपमान होता है, वह भुगतने की चीज है। पंचायत समितियों को जिस प्रकार से कष्ट उठाना पड़ता है वह रोजमर्रा के भुगतने की चीज है। जिला परिषद् के अधिकारी जिला परिषद् में आकर क्या रोल अदा करते हैं जिला परिषद् के फैसलों को, आदेशों को कितनी गम्भीरता से लेते हैं वह भी रोजमर्रा के देखने की चीज है। इसके बावजूद भी मैं नहीं चाहता कि कोई इस प्रकार की बात को, चीज को प्रेरणा दी जाय। यदि एक बी० डी० ओ० प्रधान के नीचे काम करता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रधान इस प्रकार की गलत कार्यवाही करे और बी० डी० ओ० को इस इस प्रकार से चोट पहुंचाये और उसके एक्शन को इस प्रकार जस्टीफाई किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। अभी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि दस, बीस, तीस मेम्बर अगर पंचायत समिति के मेम्बर नहीं रहें तो कोई कष्ट नहीं होने वाला है। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि केवल एक सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि दूसरे सदस्य को मैं जानता हूं। वह भी सदस्य नहीं रहेगा। और वे हैं हमारे यहां के राजस्व मंत्री, श्री कुम्भारामजी चौधरी। उन्होंने भी जिला परिषद् में शपथ ग्रहण करने का कष्ट नहीं किया क्योंकि वे भी मंत्री हो गये। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक मंत्री होने के नाते वे विधान की इस प्रकार से अवहेलना करें और विधान का पालन न करें और जिला परिषद् में जाकर शपथ लेने का कष्ट न उठावें, यह शोभनीय बात नहीं है। क्योंकि अब तो वे मंत्री हो गये हैं इसलिये वे जिला परिषद् की मीटिंग में क्यों आवें और वहां पर जा कर क्यों शपथ लें? मैं यह कहूंगा कि जहां पर प्रधान, एम० एल० ए० आदि आ कर बैठते हैं और पंचायतों के पंचों आदि के साथ बैठ कर जिले की सारी बातों की जानकारी करते हैं, उनके बीच में बैठ कर और शपथ ग्रहण करने का और जिले की बातों की जानकारी करने का कष्ट न करें तो उसकी सदस्यशिप को विलोपित कर दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि इन दो व्यक्तियों को शिक्षा मिलनी चाहिये जिन्होंने देश के संविधान की अवहेलना की है। अध्यक्ष महोदय, म यह चाहता हूं कि चुने हुए लोगों के बीच में बैठ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर उनसे बात होनी चाहिये न कि उनके बंगले में बैठ कर बातें की जावें ।

इस समय देश पर संकट है । देश का एक एक व्यक्ति संकट का सामना करने के लिये चट्टान की तरह अड़ा हुआ है । देश की रक्षा के लिये देश के सभी नौजवान डटे हुए हैं और देश के हर दल का व्यक्ति देश की रक्षा के लिये सोच रहा है और सबसे बड़ी इस समय देश की बात है, देश रक्षा की बात है और इसके सामने दूसरी सभी बातें टाली जा सकती हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस रोशनी में, अभी यह समय है, जबकि देश का मेटलिंग और स्टेलिंग हो रहा है, देश में नया निर्माण हो रहा है, देश के नवयुवकों में नई चेतना की स्टेलिंग हो रही है, ऐसे समय में हमारे मंत्री महोदय को कम से कम इतना स्टेलिंग करना चाहिये, यह देश के लिये अति आवश्यक है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जैसा कि पिछले माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है कि ऑडिनरी कोर्स में इस प्रकार का आर्डिनेन्स नहीं निकाला जाना चाहिये··

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ऑर्डिनेन्स तो जारी हो गया है । फिर इसको बीच में क्यों लाते हैं ? वह तो जारी हो चुका है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । आप पहले सुन लें । ऑडिनरी कोर्स में अध्यादेश नहीं निकलना चाहिये लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स एन्ड एम्स प्रस्तुत किये गये हैं उसकी तरफ ध्यान से देखा जावे तो यह बात भली प्रकार से मालूम हो जावेगी कि किन किन पंचायत समितियों के सदस्यों ने, जिला परिषद् के सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की जिसके कारण पंचायत समितियों और जिला परिषद् के काम में किसी प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं और किस प्रकार से एमर्जेन्सी में मदद पहुंच सकती है; इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह अध्यादेश जारी किया गया है । जहां तक मैं महसूस करता हूं, पंचायतों में आप गांवों में जा कर देखें, सरपंच और पंच चुने गये, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि अगर शपथ नहीं ली जावेगी और जो काम किया गया तो उस कार्य को वैध माना जावेगा या नहीं । इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जिन जिन सदस्यों ने अब तक शपथ नहीं ली है और उनके कारण उनकी वैधता और जो काम उन्होंने किया है उसको किस प्रकार से रेगुलराइज़ या वेलिडेट किया जावे, उसके लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है । यहां पर यह कहा गया है कि एक या दो व्यक्तियों के लिये यह अध्यादेश जारी किया गया है और एक दो व्यक्तियों की वजह से कोई अड़चन नहीं आ सकती । मेरा ख्याल है कि एक-दो व्यक्ति नहीं हैं, पंचायतों में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पंचायतों की बात नहीं कहता । यह पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों से संबन्धित है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप सुनिये और भी कई तरह के इफेक्ट पड़ सकते हैं । यह भी बात ध्यान में रखने की चीज है । इसलिये यह कानून बहुत ही जरूरी था और अगर यह कानून नहीं लाया जाता तो कई

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती थीं । आज एमर्जेन्सी के समय में पाकिस्तान ने, जिसने हम पर आक्रमण किया और हमारे देश में हम उसको खतम करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, पंचायतों और जिला परिषदों के सदस्यों द्वारा जगह जगह उनका विरोध कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने और मजबूत बनाने के लिये उन लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, तो इस प्रकार का कानून अगर नहीं लाया जाता तो इसमें भी कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होतीं ।

आज कई बातें कही गई कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा है । एक जगह अविश्वास का प्रस्ताव लाया जावे और दूसरी जगह नहीं लाया जा रहा है । जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार की तरफ से इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि इस प्रकार का झंझट पैदा नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों में आपस में वैमनस्यता पैदा हो और जो शक्ति और संगठन हम पैदा करना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव पैदा हो । इसलिये इस प्रकार की जो बातें कही जा रही हैं उसमें कोई सारांश नहीं है । अपने मतभेद के कारण जो भी सरकार को कहना चाहते हैं किसी तरह से मुंह खोल कर इस अध्यादेश में या संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें घुसेड़ कर सरकार को वे लोग अपनी बात बताना चाहते हैं ।

अभी रामकिशनजी ने कहा कि जिला परिषद् के प्रधान को कोई अधिकार नहीं है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जहां तक जानकारी है जिला परिषद् एक एड्मिनिस्ट्रेटिव बोडी है और जिसके तहत में जितनी पंचायत समितियों हैं अगर उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो जिला परिषद् के प्रधान का यह कर्तव्य है कि सरकार के नोटिस में वे गड़बड़ियों को लावें और उसके लिये वे अपना सुझाव पेश कर सकते हैं । वे इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे कर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं हैं । मैं यह कहूंगा कि जो अधिकार पहले से दिये गये हैं उनका पालन किया जावे तो यह सब गड़बड़ियां मिटाई जा सकती हैं । बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके कारण यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है । यह बात सही है कि बहुत से लोगों ने जो उनको अधिकार इस कानून के पहले नहीं था उन्होंने शपथ दिला दी है; यह कानून पास नहीं होता है और कलेक्टर साहब ने ऐसा काम किया कि पंचों, सरपंचों और प्रधानों ने शपथ ग्रहण नहीं की, उनके कार्यों को वेलिडेट करने के लिये यह कानून नहीं लाया जाता तो वह सब कार्यवाही अवैध हो जाती है और उसका कुप्रभाव हमारे इस विकेन्द्रीकरण पर पड़ेगा । इसलिये ऐसे समय में जबकि हम देश को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में, देश को मुसीबत से बचाने के सम्बन्ध में देश की रक्षा के सम्बन्ध में पूरी तरह से विचार कर रहे हैं तो ऐसे समय में जो लोग हमारी, रीढ की हड्डी हैं गांव गांव में जा कर जो भी लोगों को बातें बताना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जिनको कि राजनैतिक कारणों से या और किसी कारण से जानकारी न होने के कारण या वहां पर दो गुट होने के कारण उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की हो, इन सारी बातों को रफा करने के लिये यदि इस प्रकार के कदम उठाये जावें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और इससे हमारे पंचायती राज्य को ज्यादा से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ज्यादा मदद मिलेगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो अध्यादेश जारी किया गया है या जो कानूनी संशोधन लाया गया है, इन कारणों की वजह से कि जिन्होंने शपथ नहीं ली है और जो कार्य उन्होंने किया है उसको अवैध नहीं ठहराया जा सके, उसके लिये यह कानून लाया गया है, यह निहायत जरूरी है। इसको लाने में राजनैतिक या दूसरा कोई दृष्टिकोण नहीं है।

इसमें सिर्फ यही दृष्टिकोण है कि किस प्रकार हमारी पंचायतों, पंचायत समितियों, और जिला परिषदों को मजबूत बना सकें, उनकी कार्यवाही, उनके सदस्य अवैध घोषित न हों, वे ज्यादा से ज्यादा मजबूती से काम कर सकें ताकि दुबारा चुनाव न कराना पड़े। अवैध घोषित कर देते हैं तो दुबारा चुनाव कराना पड़ेगा, इस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि दुबारा चुनाव करायें, इससे हमारे रक्षा प्रयत्नों में कमजोरी आयेगी। इसलिये यह संशोधन वाजिब है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर मेरा प्रस्ताव है कि इसको तीन महीने के लिये जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे उनको सुनने के बाद मैं अपने तजुर्बे के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं, वैसे मैं अखंड विश्वास रखता हूं विकेन्द्रीकरण में, मैंने कई बार विचार व्यक्त किये पर हमारी सरकार ने कभी कोशिश नहीं की कि पंचायती राज को सुधारने में दिमाग की ताकत को खर्च किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस होती है कि पंचायत समितियों के सदस्य पंचायत समितियों की बैठकों में आते हैं तो इस प्रकार बैठते हैं जैसे कैद कर दिये हों और इस पर शासनारूढ पार्टी फक्र करती है कि पंचायत समिति फंक्शन कर रही हैं। जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की, फिर भी उन्होंने पंचायत समितियों में काम किया, जिला परिषदों में काम किया और उनकी इस अवैध कार्यवाही को वैध किया जा रहा है, यहां वही कहावत चरितार्थ होती है : "सैयां भये कोतवाल अब डर काहे का"। शपथ ग्रहण नहीं करवाई तो इसके लिये कौन कौन जिम्मेदार हैं, इसके लिये कोशिश नहीं की सरकार ने कि उन्हें दण्डित किया जाय। इसके लिये विकास अधिकारी और जिला परिषद् के सेक्रेटरी को दोषी ठहराया जा सकता है। वह दल जो हिमायत करता है कि इसे पास किया जाय उसी के सदस्यों की तरफ से इस प्रकार की अवैध कार्यवाहियां की गई है, विरोधी सदस्य एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने शपथ नहीं ली। शासनारूढ दल, जिसके लिये मैंने कहा कि "सैयां भये कोतवाल अब डर काहे का" उन्हीं के दल के लोगों ने शपथ नहीं ली और उन्हीं के लिये यह अध्यादेश लाया गया है कि शपथ नहीं ली है तो भी उन्हें मेम्बर माना जाय।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों का हाल यह है कि जिस पंचायत राज्य को आप जान देना चाहते हैं, उसकी सूखी नसों में खून का संचार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सही ढंग से काम करें, उन पंचायत समितियों में चद्दरें और सीमेंट बांटी जाती हैं तो पंचायत

(श्री अब्दुलजब्बार)

समिति के किसी भी मेम्बर को नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे क्षेत्र में कितनी कितनी सीमेंट और चद्दरों की जरूरत है, केवल प्रधान और विकास अधिकारी ही बांट देते हैं। जिस पंचायती राज का निर्माण इसलिये किया जाय कि न्याय और व्यवस्था ग्रामीणों को अच्छी तरह से सुलभ हो सके, एक तरफ तो ग्रामीणों को बताया जाता है कि तुम्हारा शासन तुम्हारे हाथ में है, इस पंचायती राज से तुम्हें सस्ता न्याय और सुन्दर व्यवस्था दी जायगी, इस जमाने में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके घर पर छाने के लिये केलू नहीं होते वे कोशिश करके टीन खरीदना चाहते हैं तो पंचायत समिति में उनको कहा जाता है कि एक बोरी गेहूं लावो तो तुम्हें टीन दिया जायगा। इस विधेयक से हम उन्हीं लोगों को वापिस कुर्सियों पर बैठाना चाहते हैं जो गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। इस प्रकार की हरकतों से सेल्स टैक्स की भी चोरी हुई है, विकास अधिकारी और प्रधान के मर्जीदान थे उनको गेहूं पहुंच गया, वे किसान बेचारे खुद मक्का और ज्वार खाते हैं, उनका गेहूं गया तहसीलदारों के पास, हम जैसे लीडरों के पास, क्लर्कों के पास। इससे सेल्स टैक्स की चोरी हुई है। मैं पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पूछें कि तुमने अपने मर्जीदानों को गेहूं दिलाया या नहीं, अगर वे इस पर इन्कार करते हैं तो मैं साबित करूंगा।

(१.५७ म. प.)

(श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज इस संशोधन को लाकर किस प्रकार का कॉम्प्लीकेशन खड़ा किया गया है इस बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। कोटा में लाडपुरा पंचायत के सम्बन्ध में इसी प्रश्न को लेकर इलेक्शन पिटीशन चल रही है, वह सब्ज्युडिस है, यह इस संशोधन के पास हो जाने पर कहां स्टेन्ड करेगी, उसकी पिटीशन खारिज होगी या क्या होगा ? न्याय पाने के लिये रिट की है कि अमुक मेम्बर ने शपथ ग्रहण नहीं की इसलिये वह डिस्क्वालिफाइड है। पर आज उसको राज्य सरकार की ओर से प्रोटेक्शन देने का सवाल है। कहते हैं कि किसी को इससे प्रोटेक्शन नहीं दिया तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्रोटेक्शन देने के लिये नहीं लाये तो फिर यह संशोधन लाया किस लिये गया है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट को इसे विद्ड्रॉ कर लेना चाहिये और सर्वे कराना चाहिये कि कितनी रिट पिटीशन्स इस प्रकार की अदालतों में चल रही हैं, वर्ना यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो न्याय पाने के लिये अदालतों में गये हैं।

एक तरफ हम यह बताना चाहते हैं कि न्यायपालिका को राज्य पालिका से अलग करके हम सख्ती लाना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ इस प्रकार का संशोधन लाकर न्याय-पालिका पर कुठाराघात किया जाता है और आप यह बताना चाहते हैं कि न्यायपालिका हमारे इशारों पर नाचती है। इस प्रकार के संशोधन से आप उन व्यक्तियों को, जो न्याय पाने के लिये अदालतों में गये हैं मजबूर करना चाहते हैं कि उन्हें मजबूर होकर बैठ जाना पड़ेगा। इन सब तथ्यों के आधार पर मैं इस संशोधन विधेयक का घोर विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह राजस्थान की दो करोड़ जनता से सम्बन्ध रखने वाली बात है, यह कोई थोड़े से समय के लिये नहीं, यह हमेशा हमेशा के लिये है, इसलिये इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित करना

(श्री अब्दुलजब्बार)

चाहिये ताकि यह नहीं कह सकें ग्रामीण कि एक सदस्य ने शपथ नहीं ली और फिर भी सरकार ने उसकी सदस्यता को और उसके कार्यों को वैध घोषित कर दिया।

इसके लिये इसके समर्थन में कहा यह गया कि हम सुरक्षा का काम कर रहे हैं इसलिये इनको वैध नहीं किया तो सुरक्षा के कामों में ढिलाई आयेगी। सुरक्षा का काम कौन कर रहा है, यह तो मैं वाद में कभी अवसर आया तो बताऊंगा। इस समय यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें लोगों में विश्वास के स्थान पर अविश्वास पैदा करती हैं। मेरा यह मत है कि एमर्जेन्सी के समय में राजस्थान सरकार पंचायत समितियों को खत्म करके देखे कि पंचायतें बलपूर्वक काम करती है या नहीं? अगर पंचायत समितियों को खत्म करके देखा जाय तो पंचायतें निश्चित रूप से ठीक तरह से काम करेंगी। यदि पंचायतों को उनके पूरे अधिकार दे दिये जायं और पंचायत समितियों को खत्म कर दिया जाय तो जिस पंचायती राज को कायम करने के लिये लाखों रुपया हमारी सरकार ने खर्च करके काम किया, वह मकसद हासिल हो जायगा।

(२.०० म० प०)

पांच-पांच, सात-सात लाख का बजट एक एक पंचायत समिति का है, उसको धूल की तरह उडा देते हैं। धूल तो फिर भी कई कामों में आती है। लेकिन पंचायत समितियां धन का बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग करती हैं। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने ट्रेक्टर प्रतापगढ समिति को बेचा। उसके बारे में शिकाय की गईतें, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, अन्यथा मेरे दल का कोई सदस्य होता तो मेरे दल की पॉलिसी के आधार पर यदि इस प्रकार पंचायत समिति का सदस्य गलती करता तो बंदूक की गरम गरम गोली उसकी छाती पर लग जाती और उसे बताता कि राष्ट्र में किस प्रकार से कैरेक्टर बनता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि वह मांग करे कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **जोरावसिंह चौहान** (गिरवा): उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति व जिला परिषद संबंधी जो संशोधन हमारे सामने रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और मने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय क्योंकि जल्दी से प्रस्ताव पास करने से काम खराब होता है। हमारे यहां विधान सभा का अधिवेशन शुरू होने वाला था तो जनता ने यह आशा लगा रखी थी कि सीमा की रक्षा के बारे में सोचा जायगा, जनता को बडी आशाएं थीं। हम लोग भी घर पर सूचना देकर आए थे कि हो सकता है कि देश की रक्षा के लिए हम वापिस आएं या नहीं आएं। अच्छा होता, जहां देश में हमला हो रहा है वहां हमारी नियुक्ति हो जाती जिससे सीमा पर रहने वालों को हम विश्वास दिला सकते कि हम विधान सभा छोड कर यहां आए हैं, पहले हमारी गर्दन कटेगी। लेकिन हमारे सामने जिला परिषद् का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसमें केवल कुछ मंत्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह प्रस्ताव पास किया जा रहा है।

(श्री जोधसिंह चौहान)

अच्छा होता, इस प्रस्ताव को वापिस लेकर सरकार पहले हमारी सीमा के बारे में सोचती, रक्षा के बारे में सोचती। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जाय और हमारा समय ऐसे नष्ट नहीं किया जाय।

जिस प्रकार से पंचायत समितियों में गडबड होती हैं, जितने बिल पास होते हैं उनमें सरकार यही सोचती है कि हमारा उल्लू कैसे सीधा हो, हमारे हाथ में किस प्रकार ताकत रहे। इसके सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं होता। हमारी गिरवा तहसील में गिरवा पंचायत समिति है वहां जो पहले चुनाव हो रहा था वहां के सरपंच का, जिसका नाम श्री उदयसिंह है, उसके खिलाफ मुकदमा चालू रखा, उनको चुनाव लडने का अधिकार नहीं दिया गया। यही घरियावद के प्रधान के साथ हुआ। उसके खिलाफ मुकदमा लडकर उसको चुनाव लडने के काबिल नहीं रखा। गुंडली पंचायत समिति के सरपंच के खिलाफ मुकदमा लगाया गया और नई पंचायत का चुनाव हुआ, उसको खारिज किया गया।

यही नहीं डांगी नाम का एक व्यक्ति है जो पढा लिखा है वह पहले न्याय पंचायत का सदस्य था। जब न्याय पंचायत का सदस्य बिना पढे-लिखे नहीं हो सकता तो फिर उस आदमी का चुनाव अधिकारी ने कैसे फॉर्म रद्द कर दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो उस व्यक्ति ने अपन हाथों से मुझे एप्लीकेशन लिखकर दी। मैंने उसको पढकर देखा कि वह पढना-लिखना जानता है, फिर भी फार्म रद्द कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस सरकार मनमानी करती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गुडली पंचायत के सरपंच का जो चुनाव हुआ उस बारे में जांच करे। मंत्री महोदय के पास दरख्वास्तें और तार भेजे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वे तो सदन में भी सोते रहते हैं, इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया।

आज इलेक्शन के बारे में पंचायतें मनमानी करती हैं। सरपंच जो चाहे कर सकता है। कहीं कहीं विरोधी सरपंच होता है वह तहसील को लिखकर भेजता है····

श्री उपाध्यक्ष : बहस केवल शपथ लेने के विषय में है। जो कुछ इसमें प्रावधान हैं उस विषय में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जोधसिंह चौहान : यह जो पंचायतों का बिल लाया गया, तभी कहना पडा। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं जिससे पता लग सकता है कि किस प्रकार पंचायतों के सरपंच मनमानी करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा अवसर आएगा, लेकिन इस समय विषय पर केंद्रित रहें।

श्री जोधसिंह चौहान : हमारी पंचायत समितियों का जो बिल आया है उसमें ७२वीं धारा जोडी जा रही है जिससे मंत्रियों को हक मिल जायगा········

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मंत्रियों को कौन सा हक मिल रहा है ?

श्री जोधसिंह चौहान : मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार संशोधन लाने का क्या उद्देश्य है ? जब हम विधान सभा में शपथ लेते हैं, जिस प्रकार हम वोट देने जाते हैं, पंच वोट देते हैं, पहले शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद पंचायत समिति का

(श्री जोधासिंह चौहान)

वोट देते हैं। मैं जिला परिषद् का वोट देने गया था। पहले शपथ दी गई थी, एम. एल. ए. होने के बावजूद भी। इस प्रकार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो फिर समझ में नहीं आता कि इस प्रकार जल्दी से नई धारा जोड कर संशोधन करने का क्या लाभ होगा? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय जिससे सारी जनता को पता लग सके कि इस कठिनाई के समय, आपत्काल के समय हमारी सरकार को पंचायतों का बिल या जिला परिषद् का बिल पास करने का समय मिला है। इसलिये बाद में अगर इस बिल को पास किया जाय तो ठीक होगा।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६५ को मैंने प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव किया है। इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के अन्दर तीन मीटिंगों के अन्दर नहीं जाने परत वह सदस्य सदस्यता से खारिज हो जाता है। जब तीन मीटिगों का मौका मिलता है और वह नहीं जाता है और गल्ती करता है तो यह चान्स फिर उसको नहीं दिया जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने इस बिल को लाने के अन्दर कोई माकूल आधार नहीं दिया है जिससे यह बिल पारित किया जा सके। मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय ने जिन आठ पंचायत समितियों के नाम बताये हैं, किसी शख्स ने नाम दर्ज नहीं कराया उनको उसकी केवल शंका ही होती है, उसके लिये सदन में कहें, उस पर विश्वास कर लिया जाय, इसका मतलब यह होगा कि कुछ व्यक्तियों के लिये यह बिल लाकर हजारों व्यक्तियों को, जिन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है उनको भी इस प्रकार का ऐसा करने के लिये चान्स दिया जाय, यह नहीं दिया जाना चाहिये।

शपथ-पत्र ले लिये जाते हैं। पार्टी बाजी के कारण उनको फिर छिपा दिया जाता है। पारसोली पंचायत समिति के सरपंच के साथ ऐसा हुआ। कहने को तो फाइल में लगा दिये जाते हैं लेकिन उनकी कोई एन्ट्री वगैरह नहीं होती हैं जिससे गायब हो जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि पारसोली पंचायत समिति, जिला चित्तौड के सरपंच के साथ हुआ। इसलिये उनको किसी रजिस्टर में एन्ट्री करके नम्बर के लिये कोई नियम बनाया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं एक बात और कहता हूं। पहले के सरपंचों द्वारा कोई निर्माण के कार्य किये जाते हैं और उसके बोर्ड लगे हुए होते हैं तो वर्तमान में आने वाले सरपंच उसको हटा देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बेंगू पंचायत के लिये ही अर्ज करूं पहले के सरपंच ने जो निर्माण-कार्य कराये उसका बोर्ड लगा हुआ है, उसको वर्तमान सरपंच ने हटा दिया। इससे क्या हुआ कि शान्ति भंग होने का भी मौका आया। इसलिये इस विषय में नीचे के लोगों को मनाही की जानी चाहिये कि इस प्रकार बोर्ड वगैरह न हटाये, जिससे शान्ति भंग न हो। यह घटना बेंगू पंचायत में हुई है। इस ओर ध्यान दिया जाय।

इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स लाने से कोई मतलब हल नहीं होता है। सदन का लम्ब

(श्री चौसरसिंह बाबेल)
चौडा वक्त लिया गया है। आपको तो आज देश के अन्दर जो संकट की घडी है ऐसे समय में कोई एसे काम लायें जिनसे हमारे लिए भी कोई तैयारी वताई जाती, जिनके द्वारा कोई बात ऐसी की जाती, कोई इस प्रकार प्रतिबन्ध लाया जाता कि हम देश के लिये यह कुर्बानी करेंगे तो अच्छा होता।

अतः मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय विद्वान सदस्य काफी कह चुके हैं, इसलिये मैं अधिक बहस में नहीं उतरना चाहता।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् और पंचायत समिति अध्यादेश, १९६५ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, यह मेरा संशोधन है।

जहां तक अध्यादेश का सवाल है, मैं इसका स्वागत करता हूं। जो शपथ ग्रहण करने से रह गये हैं उनको खारिज नहीं किया जाय, इस कारण ही यह बिल लाया गया ह।

डिटेल्स में जावें तो कई कारण हैं। यदि जिला परिषद् व पंचायत समिति में काम करने वाले अधिकारी इस ओर ध्यान देते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता और सरकार को यह अध्यादेश भी जारी नहीं करना पडता। एक मेम्बर जिला परिषद या पंचायत समिति में चुन लिया गया, उससे समय पर ही शपथ ले ली जाती तो यह प्रश्न नहीं उठता।

इस कानून में बार बार अमेन्डमेन्ट आ जाते हैं, यह अच्छा नहीं है। यदि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट है उस पर भी ध्यान दिया जाता और दो-तीन महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाता तो यह बहुत अच्छा होता। प्रमुख और प्रधान के चुनने के बाद ६ महीने तक कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जावेगा। सरपंच का वहां कहीं नाम नहीं है जब कि वह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दो हजार मतदाता उसको मत देते हैं और उसके लिये यह प्रावधान नहीं है कि ६ महीने तक उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव न लाया जावे। जब कि स्थिति यह है कि सरपंच बनते ही दूसरे दिन अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि यह जो बिल पेश किया गया है उसी पर बहस होनी चाहिये। सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट और दूसरे सुझावों पर क्या संशोधन बिल लाया जायगा, यह बाद की बात है। लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि उस सम्बन्ध में बाद में एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिल प्रस्तुत करूंगा। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दे रखे हैं उन पर उसमें विचार किया जावेगा। अभी चूंकि ऑर्डिनेन्स निकाला गया था उस पर बिल आना आवश्यक था इसलिये यह रखा गया है। अतः इस सम्बन्ध में ही अपने विचार आप रखें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस आशय को समझ कर इसी पर केन्द्रित रहें तो अच्छा रहेगा।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : प्रधान और प्रमुख के लिये अविश्वास का प्रस्ताव आया, उसको तो आपने महत्वपूर्ण समझा लेकिन सरपंच के लिये नहीं समझा।

(श्री गोविन्दसिंह)

इलेक्शन पिटीशन में प्रावधान है कि जिला परिषद् या पंचायत समिति का मेम्बर इलेक्शन पिटीशन कर सकता है। पंचायत समिति व जिला परिषद् के नए कानून से पंचायत समिति का रहने वाला प्रधान के लिये व जिले में रहने वाला प्रमुख के लिये खडा हो सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति पंचायत समिति या जिला परिषद् का सदस्य नहीं है तो उसके लिये इलेक्शन पिटीशन करने का प्रावधान नहीं है। वे चीजें ज्यादा जरूरी थीं मेरी निगाह में, बजाय इसके कि आप इसको करत।

आपके राज्य के कर्मचारी हैं। प्रमाण के साथ कहता हूं। पंचायत समिति, झालरापाटन से नोटिस मिला कि शपथ ग्रहण करो कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास गया। मीटिंग हो रही थी। मैंने कहा कि शपथ लेना है। कलेक्टर ने कहा कि फॉर्म नहीं है, फिर कभी आ जाना। मैंने कहा कि दूसरी जगह जाना है। लेकिन नहीं। यह महत्वपूर्ण गलती है। सरकारी कर्मचारियों को जहां की तहां शपथ दे देनी चाहिये। सरकारी कर्मचारियों का जहां तक संबंध है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनी। कहा गया कि इस तारीख तक मीटिंग करके बजट भेजो। मीटिंग हुई, बजट आ गया। जिला परिषद् का सेक्रेटरी कहता है कि पंचायत समितियों को कितना कितना धन खर्च करना है, वह नहीं दिया है इसलिये बजट अधूरा है। ब्रेक-अप नहीं दिया तो कैसे पेश करें? वे कभी भी ध्यान देने के लिये तैयार नहीं हैं। पंचायत समिति के पास ब्रेक-अप आये या नहीं, इसकी कतई परवाह नहीं।

जिला परिषद्, झालावाड़ का निवेदन करूं कि वहां पर स्टेन्डिंग समितियों का गठन हुआ, तारीख निश्चित कर दी। बाद में क्लेरिफिकेशन हुआ कि २० सदस्यों से कम संख्या जिस जिला परिषद् में होगी उसमें तीन समितियां बनेंगी। पहले की केन्सिल की। दुबारा भी हुई। मेम्बर गये। समाज शिक्षा आदि चार कमेटियां होती हैं, कौन २ सी के लिये फॉर्म भरें। वहां कहते हैं कि हमने इस चीज को नहीं मंजूर किया। कल इलेक्शन पिटीशन होगी। कहा गया कि मेम्बर सब आये हैं। वे कहते हैं कि हमसे गलती हुई।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह शपथ ग्रहण का विषय उससे किस प्रकार सम्बन्धित है?

श्री गोविन्दसिंह : यदि जिला परिषद् और पंचायत समितियों के अधिकारी ध्यान देते तो इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स के आने की आवश्यकता ही नहीं होती। अभी असेम्बली में भी दो मेम्बर आये तो उनको पहले शपथ दी गई। उसके बाद ही उन्होंने कार्यवाही में भाग लिया।

मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार छोटी २ बातों के लिये ऑर्डिनेन्स निकाल कर इस प्रकार के बिल लाये जाते हैं तो यह उचित नहीं लगता है। अधिकारियों के द्वारा जो इस प्रकार गलतियां की जाती हैं उनके लिये आप ऑर्डिनेन्स ले आते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन घड़ियों के बीच में जो यह ऑर्डिनेन्स लाया या है,....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार संक्षेप में रखें ताकि आज की कार्यवाही शीघ्र ही समाप्त हो सके।

श्री मुरलीधर व्यास : जिन घड़ियों के बीच यह आर्डिनेन्स लाया गया है वे कुछ ऐसी हैं कि जिसमें कुछ यह बिल्कुल ही संगत नजर नहीं आता। इस समय हमारी सरकार देश की परिस्थिति को देखते हुए कुछ ऐसा ऑर्डिनेन्स लाती जिससे सदन के सारे ही सदस्यों को, राज्य के सारे नागरिकों को विशेष प्रकार की प्रेरणा मिलती। आज देश जिन स्थितियों से गुजर रहा है उसमें सहायता मिलती। अगर हमारी सरकार कोई इस प्रकार का अध्यादेश लाती जिसमें राज्य के हर नवयुवक के लिये अनिवार्य सैन्य शिक्षण हो तो उससे देश के हर नागरिक में बड़ा जोश रहता। इसके साथ ही साथ उस मोर्चे को भी ताकत मिलती। दूसरी तरफ जो हमारे घर का मोर्चा है, जो हमारे यहां की घरेलू हालत खराब होती जा रही है, जो लोग आज का होर्डिग किये हुए हैं, मिट्टी का तेल जिसकी कीमत एक बोतल की दस आने से बारह आने तक वसूल कर रहे हैं ऐसी हालत में अध्यादेश तो इस प्रकार का आना चाहिए था कि इससे अधिक कीमत कोई नहीं ले सकते, इससे अधिक मुनाफा कोई कमा नहीं सकता, एक सीमा बांध देते तो बहुत बड़ा काम होता। लेकिन हमारी सरकार ऐसे मौके पर जब आम नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मोर्चे के दृष्टिकोण से, घर के मोर्चे के दृष्टिकोण से जब कि हमारे क्षेत्र के अन्दर अकाल है, जहां एक रुपये का एक किलो बाजरा नसीब नहीं हो रहा है, उस हालत के अन्दर होना तो यह चाहिये था कि इस भाव से ऊपर कोई अनाज नहीं बेच सकता और जिसके पास अधिक अनाज है उसको बाहर लाना पडेगा और वह जनता को देना पडेगा, इस प्रकार का अध्यादेश लाते तो इस देश को राहत मिलती, जनता को राहत मिलती। जनता भी यह देखती कि राज्य सरकार हमारे लिये कितनी जागरूक है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, जब हमारा दिल और दिमाग कहीं दूसरी ओर जारहा है उस ओर तो हम ध्यान देते नहीं और ऐसे सवालों को लाकर खड़ा कर देते हैं जिनका इस समय को देखते हुए लाना कतई आवश्यक नहीं था, उन सवालों को लाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे या तो इस बिल को विड्रॉ कर लें या इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित कर दें। मैं यह मानता हूं कि मेरे बीकानेर क्षेत्र के भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बात की ओर अवश्य ध्यान देना होगा कि जिन सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की है ऐसे कितने सदस्य हैं, क्या उनको लोकतन्त्र के प्रति कोई प्रेम है भी या नहीं। या वे आना ही नहीं चाहते, इरादतन अगर इस प्रकार से कोई आना नहीं चाहता और उपेक्षा करता है ऐसे लोगों को यह कह करके लाना कि उन्होंने शपथ ग्रहण की मैं समझता हूं लोकतन्त्र की अवहेलना है। जिन लोगों ने जान बूझ कर लोकतन्त्रीय परम्पराओं की अवहेलना की है उनको जबरदस्ती लाकर शपथ ग्रहण करवाना मैं समझता हूं यह अच्छी परम्परा नहीं होगी। जैसे हमारे बीकानेर के हिज हाईनेस हैं वे भी जिला परिषद् के सदस्य हैं, वे कभी नहीं आये, उनकी इच्छा भी नहीं, हुकमसिहजी हैं जो भी जिला परिषद् के सदस्य हैं वे भी कभी नहीं आये। जिस आदमी की दिलचस्पी लोकतन्त्र में नहीं है उनके लिये कानून बनाकर जबरदस्ती लाना, मैं समझता हूं लोकतन्त्र के प्रति उचित व्यवहार नहीं होगा। आपके द्वारा यह मौका देने पर भी अगर वे नहीं आते

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं तो आप क्या करेंगे ? इस मामले के अन्दर जो व्यक्ति हमेशा लोकतन्त्र की उपेक्षा करते रहे हैं उनको मौका देना चाहते हैं इससे लोकतन्त्र पनप नहीं सकता इसलिये आपको चाहिए उनके लिये इस प्रकार का अध्यादेश जारी करना उचित नहीं होगा । चाहे मंत्री हों या दूसरे लोग हों, जो लोकतन्त्र की उपेक्षा करते हैं उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये ।

इसके अन्दर यह भी बात रखी है कि जो कुछ भी पहले कार्यवाही कर ली गई है उन सारी कार्यवाहीयों को वैध समझा जाय । जिन लोगों ने उसके अन्दर बैठकर अवैध तरीके से काम कर लिया हो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यह समझ कर कि उन्होंने कानूनी तौर पर शपथ नहीं ली है इसलिये कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, उन्होंने कार्यवाही में भाग नहीं लिया । और कुछ लोग दूसरी तरफ जबरदस्ती बैठ गये और कार्यवाही कर ली। अगर उस कार्यवाही के विरोध करने वाले बैठ जाते तो दूसरी ही प्रकार की कार्यवाही होती । वे एक तरफ तो शपथ नहीं लेने की वजह से वंचित हो गये दूसरी तरफ लोग वगैर शपथ लिये ही कार्यवाही में शामिल हो गये और उनके द्वारा की गई कार्यवाही को आप वैध कर रहे हैं, मैं समझता हूं इसका बुरा नतीजा निकलेगा । कानून के मुताबिक जो इसके अन्दर आये नहीं, इसलिये कि शपथ नहीं ली इसलिये वे सदस्य नहीं और दूसरे सदस्य बिना शपथ लिये ही कार्यवाही कर गये, वहां यदि वे भी सदस्य उसमें बैठते तो कार्यवाही इधर से उधर हो सकती थी । आज उन सारे अवैध फैसलों को आप वैध करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कानूनी दृष्टिकोण से भी उनमें दिक्कतें आयेंगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय; ताकि इसके क्या कॉम्पलीकेशन्स होने वाले हैं वे सामने आजायेंगे । अगर वे इसको विड्रॉ कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि वे लोकतन्त्र की रक्षा करते हैं । ऐसे सदस्य जिन्होंने लोकतन्त्र की उपेक्षा की है और जो अवैध तरीके से आकर बैठ गये हैं उनके कार्यों को वैध करना ठीक नहीं होगा, न न्याय संगत ही होगा ।

श्री दलपतसिंह (आबू): कोई फन्डामेन्टल बात रखिये ... ..

श्री मुरलीधर व्यास: मैं तो ठीक तरीके से समझा रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आये तो यह मेरा दोष नहीं है । मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों के बीच में आपने यह अध्यादेश रखा है और जिन कार्यवाही को वैध करना चाहते हैं उससे कोई लाभ नहीं, न उनसे लोकतन्त्रीय परम्पराओं में सफलता मिलने वाली है और न आप यह संवैधानिक कार्यवाही ही करना चाहते हैं । अगर आप इसको विड्रॉ नहीं करते हैं तो दूसरा प्रस्ताव है प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, उसको मान्य करें; यही मेरा इस संबन्ध में निवेदन है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उसको पांच दिन के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । इस प्रकार का मैंने प्रस्ताव रखा है ।

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के ऊपर कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। कई बातें इस प्रकार की भी कही गईं जो इससे रिलेवेंट नहीं थीं। यह भी कहा गया था कि विधेयक बिल्कुल फालतू है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, एमर्जेन्सी के समय में ऐसा बिल नहीं लाना चाहिये था। मेरा यह निवेदन है कि यह जो ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था वह एमर्जेन्सी के काफी अर्से पहले जारी किया हुआ प्रतीत होता है। उस समय एमरर्जेन्सी का प्रश्न नहीं था। जैसा कि इस ऑर्डिनेन्स के एम्स एण्ड ऑब्जैक्ट्स में स्पष्ट किया गया है कि बहुत से ऐसे सदस्य पंचायत समिति और जिला परिषद् में रह गये हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली है, महज उनके ओथ् न लेने की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन इन्कार हो गई और उन्होंने बैठकों में सम्मिलित होकर निर्णय ले लिये उनको वैध करना जरूरी था। इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है। जब ऑर्डिनेन्स जारी किया जा चुका है तो उसको कानूनी रूप देना जरूरी था, इसलिये सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स में कहीं गई हैं कि बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो ओथ् नहीं ले पाये और डिस्क्वालिफिकेशन इन्कर हो गई तो इसके लिये मैं एक बात मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने सदस्य हैं जिनको साधारण या कानून की जानकारी नहीं थी, ऐसे कितने हैं जो अफसरान के सामने उपस्थित हो गये फिर भी उनको शपथ नहीं दिलवाई गई, यह राज्य सरकार को बताना चाहिये। क्या निर्धारित समय में कमी होने की वजह से वे समय पर ओथ लेने उपस्थित नहीं हुए या जानबूझकर शपथ नहीं ली ? तो इन कारणों को ब्यौरेवार अलग अलग प्रस्तुत करना जरूरी है।

इसके अलावा, जो ऑर्डिनेन्स प्रस्तुत किया गया उसकी मंशा स्पष्ट है। ओथ न लेने से जो डिस्क्वालिफाई हो सकते थे और जिनका दुबारा चुनाव कराने में सरकार को खर्चा करना पड़ता तो उस खर्च से बचना जरूरी था। ऐसे छोटे छोटे मसलों पर छोटी सी टैक्निकल गलतियों पर इतना खर्चा करना भी नहीं चाहिय। इसलिये बिल में तो सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। यह बिल तो लाना जरूरी था। पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने में कोई लीगल कम्पलीकेशन तो नहीं हो जावेगा, यह लॉ डिपार्टमैन्ट से दिखा लेने के लिये और इस मुद्दे पर विचार करने के लिये, अगर सरकार उचित समझे तो पांच दिन के लिये प्रवर समिति को सौंप दे।

इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दो किस्म के संशोधन सदन में आये हैं। एक तो जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के संबंध में और दूसरा प्रवर समिति को सौंपने के संबंध में।

मुझे आम तौर पर किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होती अगर कोई अहमियत वाला प्रस्ताव होता। शुरू मने

(श्री दामोदरलाल व्यास)
में अर्ज कर दिया था कि जहां तक इसका ताल्लुक है हमें इसे ऐसे सकम्सटांसेज में जारी करना पड़ा था जब कि इमीजियेटली इलेक्शन के बाद हमारे सामने यह बात आई कि बहुत से मेम्बर ऐसे हैं जो वक्त पर शपथ ग्रहण नहीं कर सके हैं। मैंने कारणों पर भी प्रकाश डाला था। इनमें एक तो यह था कि कानून की जानकारी उनमें नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि कुछ प्रधान ऐसे थे जो जानबूझ कर विरोधी पक्ष के लोगों को शपथ दिलाना नहीं चाहते थे इसलिये नहीं दिलाई। एक कारण यह भी था कि कुछ ने बगैर राज्य की आज्ञा प्राप्त किये ही शपथ ग्रहण कर ली कलेक्टर के सामने। इस तरह से बहुत से सदस्य महरूम रह गये थे और इस कारण या तो उनका इस छोटी सी खामी के कारण री-इलेक्शन करवाया जाता या उनको वैलिडेट करवाया जाता। हमने इलेक्शन करा कर खर्चा करना उचित नहीं समझा क्योंकि उनकी तादाद भी ज्यादा थी। आठ तो मैंने वैसे ही याददाश्त के तौर पर बतलाये हैं, बाकी सारे राजस्थान में कितने हैं इसका संग्रह नहीं करवाया गया है। अगर मुझे खयाल होता कि माननीय सदस्य इस पर इतना जोर देंगे तो यह भी करवा लेता। बहरहाल इस इत्तला को पेश करना बहुत मुश्किल है।

तो सवाल यह है कि इस बिल की महत्ता क्या है? जो मेम्बर एक छोटी सी गलती के कारण डिस्क्वालिफाई हो रहे थे उनको दुबारा मौका दिया गया है। तो इसमें अब जनमत की या प्रवर समिति में भेजने की क्या बात रह गई है? ऑर्डिनेन्स इसके लिये जारी किया था और सदन के प्रारंभ होते ही इसे पेश कर दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल को लेकर एक फिजा पैदा करने की कोशिश की है कि यह तो बहुत खराब ऑर्डिनेन्स लाया गया है। सरकार कोई सुरक्षा के बारे में कानून लाती, बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये कोई कानून लाती, आज के संकट-कालीन समय में। मैं निवेदन कर दूं कि यह ऑर्डिनेन्स १७ जुलाई को लागू किया था जब कि आज की संकटकाल की स्थिति नहीं थी।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने जोरदार भाषण में काफी बातें बताई। पर वे इस बात को भूल गये कि जो बातें उन्होंने बताई उन सबका जिक्र डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट में ऑलरेडी है। इनके लिये और किसी दूसरे कानून की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जिस वक्त आवश्यकता होगी ऐसी, तो उसको भी लाने, बनाने में या प्रोमलगेट करने में हीलो-हुज्जत नहीं होगी। पर आवश्यकता पड़ने पर ही ऐसा किया जावेगा।

यह कहा गया कि इससे अदालती मामले में भी हस्तक्षेप किया गया है। ऐसा नहीं है। आप देख लीजिये। हमने वैलिडेट किया है, पर जिनमें कोर्ट का डिसीजन हो गया है उसको वैलिडेट नहीं किया है। जिस किसी एक-दो केसों में कोर्ट ने वोइड करार दे दिया है तो उनको नहीं छेड़ा है।

श्री अब्दुल जब्बार : आपने जो रि-ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया है, उससे फिर क्या होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें एक महीने की मियाद दी गई है कि वह शपथ ग्रहण कर लें। अब इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यह आप समझ लीजिये?

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह एक बहुत इन्नोसेन्ट प्रोवीजन है जिसके लिये इतनी सारी बात की कोई गुंजाइश नहीं थी। पर चूंकि हम बहुत दिनों से मिले हैं इसलिये बात कहने का कोई मौका चाहिये; तो और कोई मौका नहीं था तो पंचायतों को लेकर ही कुछ कह दिया है। हालांकि इनमें से बहुत से काफी अच्छे रचनात्मक सुझाव भी आये जिनको मैंने बड़ी नम्रता के साथ सुना और अर्ज किया कि हम इन पर पूरा पूरा ध्यान भी देंगे और अमल भी करेंगे।

इन्हीं बातों को लेकर और बहुत सी बातें भरतपुर से और दूसरी जगह से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहीं, खास करके लोकल राजनैतिक परिस्थितियों को लेकर कहीं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऐसे सीमेन्ट के परमिटों में या और बातों में कोई गड़बड़ी की है या और कोई ऐसी बात की है तो आवश्यक कार्यवाही जो कायदे से होगी, वह की जावेगी। कोई रियायत बरतने का सवाल पैदा नहीं होता।

एक बात जरूर है, पंचायत समिति के द्रव्य को गलत तरीके से काम में जहां लाया जाता है, मैं ठीक मानता हूं कि पंचायत समिति को जो पैसा राज्य सरकार किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिये देती है उसको उसी काम में खर्च किया जाना चाहिये, किसी और तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाहिये। अगर वे कोई सिविक एड्रेस राजनैतिक कार्यकर्ताओं को या किसी को करते हैं तो उसमें यह रुपया काम में नहीं लिया जाना चाहिये, पर अगर वे अन्य सोर्सेज से ऐसा करते हैं तो इसमें राज्य सरकार को भी और माननीय किसी सदस्य को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये, बशर्ते कि काम ऐसा हो जिसके लिये पंचायत समिति ने रिज्योलूशन पास कर लिया हो। बहुमत से काम करना चाहते हैं तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये जो पैसे के दुरुपयोग का सवाल है, जो पैसा स्पेसिफाइड पर्पज के लिये दिया गया है और अनुदान में दिया गया है उसको खर्च करनेका सवाल नहीं है। अपनी खुद की आय को खर्च करते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ये तो लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपेलिटीज हैं, दिल्ली का कॉर्पोरेशन है वहां रोज हाई डिग्नीटरीज बाहर से आती हैं और उनको सिविक एड्रेस दिया जाता है और अपना पैसा खर्च करते हैं। इसलिए लोकल बॉडीज के ऊपर ये रोक लगादें कि किसी को सिविक एड्रेस दे ही नहीं सकते, यह उचित नहीं होगा। अलबत्ता यह लगा सकते हैं कि अपनी खुद की इन्कम से खर्च करें और मैं समझता हूं कि वह ठीक भी है और इस बात का हम प्रबन्ध भी करेंगे। मैं समझता हूं कि और कोई बात नहीं रही है जिसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता हो। बाकी अनाज की, देश की रक्षा की, फोडर की और बहुत सी बातें हांडा साहब ने कही हैं, यह कोई शक नहीं कि उन्हें भाषण देने की आवश्यकता थी, और बड़े सही मौके पर उन्होंने कहा है, लेकिन जिस पृष्ठ भूमि में हम बिल पर बहस कर रहे हैं उसमें यह मौजू नहीं है। खासतौर से पहले ही जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य के जवाब में कह दिया था उसके बाद में, मैं समझता हूं कि कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जो माननीय सदस्य ने बहुत काबिल सुझाव दिये हैं उनके लिए मैं उनका बहुत मशकूर हूं और मैं आशा करता हूं कि विचारार्थ लिए जाने का जो प्रस्ताव है उसको सदन स्वीकार करेगा और जो माननीय सदस्यों ने अपने एमेण्डमेन्ट्स पेश किये हैं वे वापिस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपने अमेन्डमेन्ट्स वापिस लेने का विचार रखते हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं भी विद्ड्रा करता हूं ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह अदालत की कार्यवाही पर इफैक्ट नहीं करेगा इसलिए मैं अपना अमन्डमेन्ट वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : So I presume that all want to withdraw their amendments.

क्या सदन की इजाजत है कि जितने अमेन्डमेन्ट्स आये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा दी जाये ?

(स्वीकृत)

So they are withdrawn.

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जायें ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाये ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

(२.४३ म. प.)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५

(विचार विमर्श स्थगित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं दूसरे बिल के संबंध में मेरे संकल्प को प्रस्तुत करूं मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो म्यूनिसिपेलिटी का ऑर्डिनेन्स है उसके सम्बन्ध में और पंचायत समिति का ऑर्डिनेन्स है उसके लिये आज और कल का दिन मुकर्रर किया गया था । आज हमने एक ऑर्डिनेन्स को तो पारित कर दिया हैं और चूंकि आज अभी पालियामेंन्ट में हमारे प्रधान मन्त्री महोदय का भाषण होने वाला है जिसको सुनने के लिए सभी माननीय सदस्य बहुत इच्छुक हैं, इसलिये सदन के अनेक माननीय सदस्यों की तरफ से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही आज समाप्त कर दी जाये और बाकी जो दूसरा विधेयक है उसको कल ले लेंगे और कल उसको पारित कर लेंगे और भी बिजनेस दूसरी तरह का होगा उसको भी ले लेंगे । क्योंकि सदन बहुत ही कोआॅपरेटिव मूड में है और उसको हम कल पारित कर देंगे । इसलिए सदन की कार्यवाही अभी यहीं पर स्थगित कर दी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की सैन्स जानना चाहूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह बहुत आवश्यक है ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बहस तो आज शुरू हो जाय और पारित कल कर दिया जाये, क्योंकि काफी सदस्य बोलने वाले हैं और १३-१४ सदस्य बोलेंगे। इसके अलावा कल एक्सेस डिमाण्ड वाला भी बिजनेस हाउस के सामने है और यदि आज इस पर बहस नहीं हुई तो कल वह पारित नहीं हो सकेगा। इसलिए बहस आज हो जाती तो ठीक रहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यदि सारी चीजें आपकी तरफ से अनुकूल हो जाती हैं फिर तो कल सारी चीजें फटाफट हो जायेंगी, इसलिये सारा मूड उसी हिसाब से चलेगा, इसलिए आज मूड नहीं है इस बात का। एक्सेस डिमाण्ड, सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड और आगे ७ बिल भी सदन के सामने हों और कोऑपरेटिव मूड हुआ तो सब कुछ हो जायेगा और अगर कोऑपरेटिव मूड नहीं होगा तो एक दिन में एक बिल भी पास नहीं होने देते हैं हम तो, इसको आपने पहले भी कई बार देखा है। इसलिए आज की कार्यवाही तो सदन की यहीं समाप्त कर दी जाये।

श्री परसराम मदेरणा: Government has no objection if the House is adjourned.

श्री उपाध्यक्ष: तो मैं समझता हूं कि सदन की मंशा है कि आज की बैठक स्थगित की जाये।

(हां, की आवाजें)

बैठक कल प्रातः १०. बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. २ बजकर ४६ मिनट पर कल दिनांक २२ सितम्बर, १९६५ को म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर देखिये)

S. No.	Name of Localities	Source of Supply
1.	Surajpur	
2.	Chikana	Banasthali
3.	Khandwat	
4.	Dangarthal	
5.	Basi	Todarai Singh
6.	Govindpura	
7.	Titaria	
8.	Kantoli	
9.	S ta Rampura	
10.	Bagri	Malpura
11.	Sindoliya	
12.	Rupaheli	
13.	Sujanpura	
14.	Nasirda	
15.	Balad	
16.	Dilwara	
17.	Sandla	Bhateda water works.
18.	Baneriakera	
19.	Thaola	
20.	Bisalpura	
21	Gurat	Nagar

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर देखिये)

राजस्थान हरिजन सेवक संघ को गत पांच वर्षों में दी गई सहायता की सूची "अ"

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत धनराशि
१	२	३
१.	१९६०–६१	४१,०१६
२.	१९६१–६२	३७,८४६
३.	१९६२–६३	३८,२६०
४.	१९६३–६४	६८,६७७
५.	१९६४–६५	१,३५,८६६

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर देखिये)

राज्य में निहित उन संस्थाओं की सूची जिनमें राज्य सरकार का विनियोग है

१.	आदित्य मिल्स, किशनगढ	१५,००,०००
२.	बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०	४,३२,४००
३.	भवानी मंडी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०	१०,०००
४.	आबू रोड इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०	१,२५,०००
५.	झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	१,००,०००
६.	कोटा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	२,००,०००
७.	एसोसियेटेड आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	१,००,०००
८.	जयपुर उद्योग लिमिटेड	७५,००,०००
९.	मान इंडस्ट्रियल कोरपोरेशन	१५,००,०००
१०.	मिश्र बन्धु इंडस्ट्रीज लिमिटेड	२५,०००
११.	बीकानेर जिप्सम लिमिटेड	४,००,०००
१२.	धौलपुर ग्लास वर्क्स लिमिटेड	५०,०००
१३.	डूंगरपुर शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	४६,०००
१४.	सादूल टैक्सटाइल लिमिटेड	११,८०,०००
१५.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०	१७,४५,८००
१६.	कोटन प्रेस कम्पनी	२०,८३,५३३
१७.	ओरिन्टल पॉवर केबिल लिमिटेड	१३,३५,७००
१८.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०	६,००,०००

विघटन में आई हुई संस्थाएं

१९.	नवलगढ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	६,२५,०००
२०.	उदयमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	१,३०,०००
२१.	ग्लास वेयर लिमिटेड	७५,०००
२२.	हरीशचन्द्र इंडस्ट्रियल पोटरी वर्क्स लिमिटेड	१०,०००
२३.	स्टोन वेयर पाइप फिटिंग मैन्युफेक्चरिंग लि०	१२,५००

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या १६ दिनांक १५–७–६२

प्र० १६ दिनांक १५–७–६२

साधारण बोर्ड मीटिंग

कागजात बोर्ड में पेश हुये। बोर्ड ने बहुमत से निर्णय दिया कि चूंकि श्री हकीम साबिर अली खां सा० की उम्र ५५ साल पूरी हो चुकी है और गवर्नमेन्ट के और बोर्ड के आदेश भी ५५ साल की उम्र होने तक पुनः रखने के हैं। ऐसी अवस्था में भी हकीम साबिर अली खां सा० को दिनांक १७–७–६२ से अपनी सेवा से अलहदा किये जाते हैं हस्ब जाप्ता चार्ज की तकमील की जाकर चार्ज लिया जाये। चूंकि हकीम सा० की म्याद, वृद्धि या रिएपॉइन्टमेन्ट की कोई दरख्वास्त नहीं ऐसी अवस्था में रिएपॉइन्टमेन्ट का कोई प्रश्न नहीं। किशोरराय जी सा० की राय न्यूटरल है। लिहाजा बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हकीम सा० को ५५ साल उम्र पूरी होने से अलहदा किये जाते हैं।

ह० कन्हैयालाल ढेलावत,
चेयरमैन,
म्यूनिसिपल बोर्ड, निम्बाहेडा।

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिये)

वाहनों की सूची

क्र०सं०	गाड़ी नं०	बिल पास हो गया है या नहीं
१.	आर.जे.एल. ८६३६	बिल पास हो गया है।
२.	,, २५८८	,,
३.	,, १९१०	,,
४.	,, ६७८६	,,
५	आर.जे.पी. ६२३	,,
६.	आर.जे.एल. ५५२०	,,
७.	,, ४८२६	,,
८.	,, ६९३४	,,
९.	,, ८०६८	,,
१०.	,, ६०४५	,,
११.	,, ४७५८	बिल प्राप्त नहीं हुआ है।
१२.	,, ८२६९	,,
१३.	,, १७२	,,
१४.	आर.जे.एक्स. २८५	,,
१५.	आर.जे.एल. ९०३४	,,
१६.	आर.जे.एल. ७६९	,,

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

१. गाजसर
२. घन्टेल
३. झरिया
४. सोमासी
५. आसनखेडी
६. रामपुरा
७. रिवासर
८. चार वासी
९. कनीसर
१०. कोट बाद नायोसान
११. कोटबाद ताल
१२. धामेरी
१३. मालेरी
१४. रायतन
१५. मेलसर
१६. डावला
१७. दान्द
१८. धाधु
१९. लाखान
२०. आसल
२१. ढाढार
२२. राणासर
२३. बलासिर
२४. कुलासर
२५. माडडेसर
२६. सामासर
२७. उदासर
२८. सरसर

गत वर्ष क काम
तालासर
बायली

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING ALLOTMENT OF RAW MATERIAL TO HANDICRAFTS WORKERS

S. No.	Name of raw materia l	PERIOD								Remarks
		10/60 to 3/61	4/61 to 9/61	10/61 to 3/62	4/62 to 9/62	10/62 to 3/63	4/63 to 9/63	10/63 to 3/64	4/64 to 9/64	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Copper	1 Ton	6 Tons	..	..	..	..	..	..	
2.	Zinc	0.58 Ton	4 Tons	..	..	..	..	..	..	
3.	Brass Scraps	4.815 Tons	..	..	..	28 Cwt.	..	..	..	
4.	Sheet and Circles	..	..	6.272 M.T.	6.272 M.T.	10 M. Tons	10 M. Tons	7 M. Tons	7 M. Tons	

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर देखिये)

सहकारी कृषि समितियों को दिये गये ऋण एवं अनुदान संबंधी सूचना।

क्र. सं.	समिति का नाम	ऋण राशि जो समिति को दी गई।	अनुदान जो समिति को दिया गया।
१	२	३	४
१.	कादेडा टीनेन्ट कृषि सहकारी समिति लि०	१७६०)	८७७)५०
२.	कृपाराम पुरा सामुहिक कृषि सहकारी स. लि.	१४३२०)	२०००)००
३.	नैनपुरा ,,	१२२००)	२२५)००
४.	कोट खावदा ,,	३२६०)	..
५.	लाखावास ,,	११६००)	..
६.	लालपुरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि.	२८५३६)	१०००)००
७.	दलपतपुरा सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि.	२९००)	१३६०)००
८.	किशनपुरा ,,	१६००)	४००)००
९.	बल्लुपुरा ,,	१७६०)	२२५)००
१०.	रायपुरा बुजुग ,,	..	३७५)००

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २१ सितम्बर, १९६५)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३	१५	मांग	मार्ग
१५	१६	किया :	किया
,,	अन्तिम से ३	निवदन	निवेदन
,,	अन्तिम	इसक	इसके
१६	शीर्षक	प्रश्नोत्त	प्रश्नोत्तर
२१	१	मुकदर्मे ।	मुकदमे
२४	३	कन्पयूज	कन्फ्यूज
,,	१६	क	कि
,,	२४	बेंचग	बेचेंगे
३२	६	स्वंय	स्वयं
३४	१४	रेज्यूलेशन	रिजोल्यूशन
३५	१४, १५	क्रिर्यान्वित	क्रियान्वित
४०	७	**श्री तेजाराम गहलोल**	**श्री तेजाराम गहलोत**
४१	१४	स	से
४२	अन्तिम से १०	**श्री मनिकचन्द सुराणा**	**श्री मानिकचन्द सुराणा**
४८	२	कसे	कैसे
५१	८	श्री हरिश्चन्द	श्री हरिश्चन्द्र
५६	अन्तिम से ५	कीय	राजकीय
६१	३	व्यवत्था	व्यवस्था
,,	१५	जन-स्वास्थय	जन-स्वास्थ्य
,,	अन्तिम	को	की
६४	अन्तिम से १२	(legal heix)	(legal heir)
,,	,, १०	जिसे करीब	जिसे
६८	१	श्री गोविन्दसिंह	श्री गोविन्दसिंह
७१	६	**श्री रामप्रसाव लड्डा**	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**
७२	५	काय	कार्य
७३	२	सवक्षण	सर्वेक्षण
९५	अन्तिम	सशोधन)	संशोधन)
९६	स्कम्भ	[९	[९६
९७	९	: (परिवहन मंत्री)	(परिवहन मंत्री) :
१००	३	खद	खेद
१०२	अन्तिम से ९	१९५९	नियम, १९५९
१०५	अन्तिम	व्यक्त	व्यक्त

(ख)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
११०	१३, १४, १५	Rest assure I shall not refer those cases. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rest assure I shall not refer those cases.
,,	अन्तिम	नियमानसार	नियमानुसार
११२	२१	संकटकालोन	संकटकालीन
११३	१५	बठने	बैठने
११६	अन्तिम से ३	श्री अध्यक्ष :	श्री अध्यक्ष :
११८	११	हें	है
११९	२१	चना	चुना
१२०	१०	जिसस	जिससे
,,	,,	वहम	वहम
,,	अन्तिम से ३	अत्य त	अत्यन्त
१२१	१	विभांग	विभाग
,,	३	स	से
,,	१६	साम	सामने
१२२	शीर्षक	पजला	जिला
,,	१७	किय	किया
१२३	१३	चाज	चीज
१२५	अन्तिम से ४	(विकस मंत्री)	(विकास मंत्री)
१२९	२०	एडवार्टाइजमेन्ट	एडवर्टाइज़मेन्ट
१३०	स्कम्भ	१३	१३०
,,	१०, ११	एडवार्स्टारजमेन्ट	एडवर्टाइज़मेन्ट
,,	११	म	में
,,	२२	आन	आने
१३४	अन्तिम	श्री दामादरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
१५८	अन्तिम	म	में
१५९	,,	मने	मैंने
१६१	१२	स्वयसेवक	स्वयं सेवक
१८२	८	न ि ै कि	नहीं है कि
१९१	२	सकम्सटांसे ज	सर्कम्सटांसेज़
१९८	अन्तिम से ६	वैठक	बैठक
१९९	१३	S ta Rampura	Sita Rampura
२००	शीर्षक	परिशिंट	परिशिष्ट
२०४	अन्तिम से ३	वर्ष क	वर्ष के
२०६	अन्तिम	१० रायपुरा बुजुग	१०. रायपुरा बुजूंग